



छत्तीसगढ शासन

जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी.डी.एम.पी.) कोरबा

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोरबा

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

जयसिंह अग्रवाल
मंत्री



छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर रायपर




संदेश (प्रारूप)

जिले की आपदा प्रबंधन योजना प्रदेश सरकार की एक नवीन पहल है। इस योजना का लक्ष्य जिले में घटने वाली संभावित आपदाओं से होने वाले व्यापक हानि को कम करना है। यह योजना अपने दायरे में व्यापक है और यह प्रशासन के सभी वर्गों को विस्तृत निर्देश देता है।

पिछले कुछ वर्षों में आपदा जोखिम प्रबंधन सभी राज्यों व जिलों के लिए एक चुनौती बन गया है। किसी महाविनाशकारी स्थिति से निपटना एक कठिन कार्य है। जिसमें विभिन्न प्रकार से कार्य निष्पादन, जोखिम आंकलन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण, पर्याप्त आधारभूत संरचना हेतु योजना एवं क्रियान्वयन, आपदा की तैयारी, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तथा नीति बनाना अहम् कार्य है।

चूँकि आपदा प्रबंधन योजना एक स्थायी प्रक्रिया है तथा इस परिपेक्ष्य में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं सहयोगी द्वारा जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाना आपदाओं से सशक्त तौर पर निपटने के लिए अति महत्वपूर्ण कदम है।

मैं, विभाग के इस सराहनीय पहल का स्वागत करता हूँ, मुझे विश्वास है कि यह योजना जिले के नागरिकों की आपदाओं से बचाव तथा जिले की क्षमता में वृद्धि करने में सफल होगी।


(जय सिंह अग्रवाल)

सुनील कुमार कुजूर
मुख्य सचिव



छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर रायपुर
दिनांक




संदेश

प्रदेश के सभी 27 जिले परम्परागत रूप से प्राकृतिक एवं मानव जनित अपदाओं तथा विभिन्न प्रकार की संवेदशीलताओं और उनकी विशालता से प्रभावित रहें हैं। इन बढ़ती आपदाओं से जिलों के नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े है, जिसके कारण भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आपदाओं के नुकसान को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक, व्यावहारिक और लचीली योजनायें बनाई जाये ताकि स्थिति के अनुरूप उनमें परिवर्तन किया जा सके और समय पर सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जा सके। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गयी है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा उनके सहयोगी विभाग द्वारा जिले की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि सभी विभागों के आपसी सहयोग से जिले में बेहतर आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण कर जिले को एक आपदा प्रतिरोधी जिला व छत्तीसगढ़ को एक आपदा प्रतिरोधी राज्य बनाने में सफल होंगे।


(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य सचिव



संदेश

आपदाओं के कारण व्यापक रूप से जन-जीवन एवं विकास कार्य प्रभावित होता है। अतः आपदा पूर्व प्रयासों जैसे तैयारी, क्षमता-वर्धन, उचित ट्रेनिंग और पुनर्निर्माण से जान और माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

सम्पूर्ण जिले के नागरिकों के साथ ही अत्यधिक संवेदनशील वर्ग जैसे बच्चे, महिलायें, बुजुर्ग, दिव्यांग एवं मजदूर वर्ग पर आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु जन भागीदारी, जागरूकता, प्रतिक्रिया एवं समन्वय बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गयी है जो कि प्रशंसनीय है।

आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से प्रदेश एवं जिले में एक ऐसा तंत्र विकसित होगा जो भविष्य में घटित होने वाली किसी भी घटना/आपदा से निपटने में सहायक होगा।

सचिव

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

आभारोक्ति

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन सभी सहभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में अपना योगदान दिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिशा-निर्देश के अनुसार इस योजना को तैयार किया गया है जिससे इसे जनोपयोगी बनाया जा सके।

इस बात को ध्यान में रखते हुए की इसका प्रमुख लाभ 'समुदाय' को पहुंचेगा, आपदा प्रबंधन योजना के लिए विभागानुसार ढांचा तैयार किया गया है। जिसमें प्रत्येक की भूमिका का निर्धारण किया गया है, जिससे आपदा से पूर्व और आपदा के बाद सही तरीके से आपसी समन्वय, तैयारी एवं उचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके।

श्रीमती रीता यादव, उप सचिव/उपायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा योजना तैयार करने में विशेष सहयोग रहा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना का वास्तविक ढांचा तैयार करने में आपदा प्रबंधन सलाहकार श्री दिलीप सिंह राठौर, सुश्री चेतना, श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय, सुश्री जया साहू, श्री जीतेन्द्र सोलंकी एवं श्री एस. श्रीजीत का विशेष योगदान है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारियों का योजना हेतु दस्तावेज तैयार कराने में भरपूर योगदान रहा।

अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थ :-

BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
CAF	Central Armed Forces	केन्द्रीय सुरक्षा बल
CBO	Community Based Organizations	सामुदायिक संगठन
CE	Chief Engineer	मुख्य अभियंता
CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
CMO	Chief Medical Officer	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्य मंत्री राहत कोश
CSO	Civil Society Organization	नगर संस्था
DM-ACT	Disaster Management Act 2005	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
DDMA	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DDRF	District Disaster Response Force	जिला आपदा प्रत्युत्तर बल
DM	District Magistrate	जिला कलेक्टर
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
EOC	Emergency Operation Center	आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ESF	Essential Service Functions	आवश्यक सेवा कार्य
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
FRT	First Response Team	प्रथम प्रत्युत्तर टीम
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	स्थिति निर्धारण वैश्विक प्रणाली
HFA	Hyogo Framework for Action	हयोगो कार्रवाई निर्णय
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, जोखिम, सम्बेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विप्लेशन
HVCA	Hazard Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, सम्बेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विप्लेशन
IAF	Indian Armed Force	भारतीय सशस्त्र बल
IAG	Inter-Agency Group	इन्टर एजेंसी ग्रुप
IAP	Immediate Action Plan	तात्कालिन कार्य योजना
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवायें
IMD	Indian Metrological Department	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
IMT	Incident Management Teams	घटना (आपदा) प्रबंधन टीम
IRS	Incident Response System	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर प्रणाली
IRT	Incident Response Team	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर टीम
IYA	Indira Awas Yojna	इंदिरा आवास योजना
LSG	Lower Selection Grade	निम्न प्रवर कोटि
MGNREG S	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MI&CT	Ministry of Information &	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय

	Communication Technology	
MLA	Member of Legislative Assembly	विधान सभा सदस्य
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural and Education Guarantee Action	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MoAFW	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
MoCI	Ministry of Commerce and Industry	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
MoEF&CC	Ministry of Environment forest Climet change	पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MoHFW	Ministry of Health & Family Welfare	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MHA	Ministry of Home Affairs	गृह मंत्रालय
MoHRD	Ministry of Human Resources Development	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MoL&E	Ministry of Labour & Employment	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Mop	Ministry of Power	विद्युत मंत्रालय
MoPR	Ministry of Panchayati Raj	पंचायती राज मंत्रालय
MoRD	Ministry of Rural Development	ग्रामिण विकास मंत्रालय
MoRTH	Ministry of Road Transport and Highway	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MoWF	Ministry of Water Resources	जल संसाधन मंत्रालय
MoUD	Ministry of Urban Development	शहरी विकास मंत्रालय
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य
MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
NCC	National Cadet Corps	राष्ट्रीय छात्र सेना
NDMA	National Disaster Management Authority	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Force/ Relief Fund	राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल/ राहत कोष
NIDM	National Institute of Disaster Management	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
NGOs	Non- Government Organizations	गैर-सरकारी संगठन
NRSC	National Remote Sensing Center	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र
NREGA	National Rural Employment Guarantee Act	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
NREGS	National Rural Employment Guarantee Scheme	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
NRHM	National Rural Health Mission	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NSV	National Service Volunteer	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक
NYK	Nehru Yuva Kendra	नेहरू युवा केन्द्र
PDS	Public Distribution Shop	जनवितरण दूकानें
PHC	Primary Health Center	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMRF	Prime Minister Relief Fund	प्रधानमंत्री राहत कोष
PWD	Public Works Department	लोक यांत्रिकी विभाग
Q&A	Quality and Accountability	गुणवत्ता एवं जवाबदारी

QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर टीम
SDMA	State Disaster Management Plan	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDRF	State Disaster Response Force/ Relief Fund	राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल/ राहत कोष
SHG	Self Help Group	लघु एवं मध्यम उद्योग / उपक्रम
SME	Small and Medium Enterprise	लघु एवं मध्यम उद्योग / उपक्रम
SOP	Standard Operating Procedure	मानक परिचालन पद्धति
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक
WRD	Water Resources Department	जल संसाधन विभाग
WHO	World Health Organisation	विश्व स्वास्थ्य संगठन

प्रस्तावना

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम 2005) राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत और समन्वय तंत्र प्रदान करता है। इस अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से, भारत सरकार ने एक बहु-स्तरीय संस्थागत प्रणाली बनाई जिसमें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) तथा स्थानीय निकायों को सह-अध्यक्षता की अध्यक्षता में की जाती है।

आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है, यह एक समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान को उत्पन्न करती है, जिससे मानवीय, भौतिकीय या पर्यावरणीय व्यापक हानि होती है। जिसका सामना करने के लिए उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण कार्यविधियां अपर्याप्त होती हैं अर्थात् आशंकित विपत्ति का वास्तव में घटित होना आपदा है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना में सभी संभावित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं को ध्यान में रखा गया है। योजना में विभिन्न आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय विस्तारित किया गया है। यह जिला आपदा प्रबंधन योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इसे 4 खण्डों में विभाजित किया गया है।

खण्ड 01 में जिले की पृष्ठभूमि, जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन, के साथ जिले में योजना की आवश्यकताएं, योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य, जिले का संक्षिप्त परिचय, जिले के संभावित आपदाओं की पहचान, जोखिम विश्लेषण, जिले में घटित आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, दुर्घटनाएं, महामारी आदि को दर्शाया गया है। संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की संरचना जिसमें जिले स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन समिति के गठन प्रक्रिया, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र की जानकारी को दर्शाया गया है।

खण्ड 02 को आपदा के समय बचाव रोकथाम, तत्परता, प्रशिक्षण, संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक क्षमता निर्माण श्रेणी में विभाजित किया गया है। जिसमें सामान्य तैयारियां एवं उपाय, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, योजनाओं का नवीनीकरण, संचार तंत्र, आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता के साथ-साथ तत्काल पूर्व आपदा की स्थिति में, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय तंत्र को सम्मिलित किया गया है। जिले में संभावित खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय, आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना, संस्थागत क्षमता निर्माण, प्रत्येक विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ दर्शायी गई है।

खण्ड 03 में आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वय के लिए वित्तीय संसाधन एवं आपदा के समय विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। इस योजना में आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया, आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया एवं आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति के साथ पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रक्रिया को दर्शाया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन एवं जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत, जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण, जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन तथा क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र का उल्लेख किया गया है।

खण्ड 04 में जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की आवश्यक जानकारी जैसे सम्पर्क सूची, वाहन सूची, स्वास्थ्य केन्द्रों, पुलिस थानों, अग्निशमन विभाग की सूची के साथ-साथ जिले के आपदा ग्रसित क्षेत्रों के मानचित्र, इत्यादि सम्मिलित किया गया है।

यह योजना आपदा से पूर्व एवं आपदा के पश्चात जिला प्रशासन, अन्य हितधारकों के बेहतर समन्वय, आयोजन और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में उपयोगी है। यह योजना राहत कार्यों में कार्यरत प्रक्रिया व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है और आपदा से निपटने की सामुदायिक क्षमता में वृद्धि करता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना की परिकल्पना तत्परता योजना के रूप में किया गया है, जो कि समुपस्थित आपदा के बारे में सूचना मिलते ही सक्रिय होता है एवं प्रतिक्रिया की व्यवस्था को बिना कोई समय गंवाये क्रियाशील बनाता है।

खण्ड – 1

क्रं.	विषय	पेज संख्या
1	पृष्ठभूमि	1-19
1.1	जिला आपदा प्रबंधन योजना	2
1.2	योजना की आवश्यकता	2-3
1.3	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य	3
1.4	योजना का क्षेत्र	4
1.5	प्राधिकरण और संदर्भ	4
1.6	योजना विकास	4
1.7	हित धारक एवं जिम्मेदारियां	4-5
1.8	योजना का अनुमोदन तंत्र	5
1.9	जिले का संक्षिप्त परिचय	5-19
2	जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन	20-48
2.1	संभावित आपदाओं की पहचान	21-23
2.2	आपदाओं का इतिहास	24-31
2.3	जोखिम प्रोफाइल	34
2.4	जोखिम विश्लेषण	35
2.5	संवेदनशीलता विश्लेषण	35-37
2.6	जिले में घटित आपदाएं	37-48
3	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	49-69
3.1	संस्थागत व्यवस्था	49
3.2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	49-50
3.3	जिला आपदा प्रबंधन सहलाकार समिति	50-51
3.4	स्थानीय स्व सरकारी प्राधिकरण	51
3.5	शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति	51-52
3.6	तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	52
3.7	ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	52
3.8	जिला आपातकालीन संचालन केंद्र	53
3.9	घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस)	53-56
3.10	जिला नियंत्रण केन्द्र	56-58

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1: जिले का संक्षिप्त परिचय	6
2	तालिका 2: भौगोलिक स्थिति	6
3	तालिका 3: जलाशय	7

4	तालिका 4: जनसांख्यिकी विवरण	9
5	तालिका 5: वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्ष	9
6	तालिका 6: जल संसाधन	11
7	तालिका 7: आर्थिक विवरण	11
8	तालिका 8: प्रमुख फसलें	12
9	तालिका 9: पशुधन विवरण	12
10	तालिका 10: सांस्कृतिक विवरण	13
11	तालिका 11: स्कूल का विवरण	13
12	तालिका 12: अन्य अधोसंरचना विवरण व सेवाएं	14
13	तालिका 13: कार्यालयों की जानकारी	14
14	तालिका 14: संपर्क	15
15	तालिका 15: सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र	15
16	तालिका 16: उद्योग	15
17	तालिका 17: औद्योगिक विवरण	16
18	तालिका 18: बैंक	16
19	तालिका 19: जिले में उचित मूल्य दुकान धारक	16
20	तालिका 20: सड़क नेटवर्क	17
21	तालिका 21: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र	18
22	तालिका 22: जिले में खान एवं खनिज की जानकारी	19
23	तालिका 23: पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन	32
24	तालिका 24: विगत 10 वर्षों की जनहानि ,पशु हानि माहवार जानकारी	33
25	तालिका 25: जोखिम प्रोफाइल	34
26	तालिका 26: जोखिम विश्लेषण	35
27	तालिका 27: संवेदनशीलता विश्लेषण	37
28	तालिका 28: वर्ष 2017-18 में सूखे से उत्पन्न क्षति और सीमा	38
29	तालिका 29: सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सूची	38
30	तालिका 30: जिले में घोषित सूखे की पिछली घटना की रूपरेखा	39
31	तालिका 31: जिले में नगर निगम में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड	40
32	तालिका 32: जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं	40
33	तालिका 33: गांव के सुरक्षित चिह्नांकित स्थान	41
34	तालिका 34: जिले में सड़क दुर्घटनाएँ	42
35	तालिका 35: कोरबा जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण	43
36	तालिका 36: औद्योगिक दुर्घटनाएँ	44
37	तालिका 37: वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के दौरान जिले में महामारी	46
38	तालिका 38: जिलेवार महामारी संभावित व पहुंचविहीन ग्रामों की संख्या	47
39	तालिका 39: DDMA की संरचना	49
40	तालिका 40: आपदा प्रबंधन सहलाकार समिति की संरचना	51

41	तालिका 41: शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति	52
42	तालिका 42: तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का ढांचा	52
43	तालिका 43: ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति	52
44	तालिका 44: जिला नियंत्रण केन्द्र	58
45	तालिका 45: आपदाओं का वार्षिक कैलेण्डर	69

क्रं.	चित्र	पेज संख्या
1	चित्र 1: Disaster Management Cycle	2
2	चित्र 2: Location Map	7
3	चित्र 3: कोरबा जिले का रोड मैप	17
4	चित्र 4: कोरबा जिले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मैप	19
5	चित्र 5: सूखे से प्रभावित क्षेत्र पाली तहसील	39

क्रं.	लेखाचित्र	पेज संख्या
1	लेखाचित्र 1: वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा	10
2	लेखाचित्र 2: सड़क दुर्घटनाएँ	42
3	लेखाचित्र 3: औद्योगिक दुर्घटनाएँ	45
4	लेखाचित्र 4: महामारी प्रभावित लोगों की संख्या	46
5	लेखाचित्र 5: महामारी संभावित लोगों की संख्या	48

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रवाह चित्र	50
2	प्रवाह चित्र 2: आपदा प्रबंधन हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा	53
3	प्रवाह चित्र 3: घटना प्रत्युत्तर प्रणाली	54

परिचय

1. पृष्ठभूमि

आपदा, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है, यह एक समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान को उत्पन्न करती है, जिससे मानव, भौतिक या पर्यावरणीय व्यापक हानि होती है। जिसका सामना करने के लिए उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण कार्यविधियां अपर्याप्त होती हैं अर्थात् आशंकित विपत्ति का वास्तव में घटित होना आपदा है।

मजबूत संचार, कुशल डेटाबेस, दस्तावेज और अभ्यास के साथ एक प्रभावी जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) सबसे कम संभव समय में सक्रिय होने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी स्तरों पर सरकार के साथ-साथ समुदाय की सक्रिय भागीदारी से उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करता है। डीडीएमपी का लक्ष्य कोरबा जिले की क्षमता का विकास करना, आपदा व गैर-आपदा स्थितियों के दौरान जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

आपदाओं का वर्गीकरण

उत्पत्ति के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं को निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों के रूप में देखा जा सकता है :

- **जलवायु सम्बन्धित** – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** – रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम, विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

वही मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटना, पर्यावरणीय ह्रास आदि को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नक्सली गतिविधियों से भी प्रभावित है।

1.1 जिला आपदा प्रबंधन योजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (डीएम अधिनियम) की धारा 31 के अनुसार, राज्य के हर जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) होगी। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से डीडीएमपी की तैयारी, कार्य, समीक्षा और अद्यतन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर आपदाओं की रोकथाम और शमन के लिए आवश्यक उपायों के नियोजन, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन की सतत और एकीकृत प्रक्रिया डीडीएमए में शामिल होंगे। डीडीएमपी के कुशल निष्पादन के लिए, चित्र 1 में दिखाए गए अनुसार चार चरणों में योजना आयोजित की गई है—



चित्र 1: Disaster Management Cycle

- i. **Preparedness** :- आपदा से निपटने के लिए, जनसमुदाय को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वन।
- ii. **Mitigation** :- न्यूनीकरण से तात्पर्य संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों से आपदा के प्रभाव को कम करना।
- iii. **Response** :- आपदा के समय राहत कार्यों का संचालन।
- iv. **Recovery** :- आपदा के कारण प्रभावित जनजीवन की स्थिति में सुधार लाना।

1.2 योजना की आवश्यकता

कोरबा जिला विशेष रूप से बाढ़, सूखा, और महामारी जैसे खतरों से कमजोर है। जिले में इन संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए जो जीवन, आजीविका और संपत्ति हानि को बढ़ाता है, उन्हें कम करने के

लिये एक ऐसी योजना विकसित करने को महत्वपूर्ण समझा गया जो आपदाओं के प्रति जिला की प्रतिक्रिया में सुधार करता है तथा आपदा जोखिमों को कम करने और तैयार योजना को लागू करके समुदाय की क्षमता में वृद्धि करता है।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

- i. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- ii. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका उपयोग प्रशासन की क्षमता बढ़ाने के लिए करना।
- iii. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- iv. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- v. आपदा के समय विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वन करना।
- vi. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान देते हुए अन्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है, ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-

- (क) प्रतिक्रिया कार्यों का सही क्रम में पूर्व योजना तैयार करना।
- (ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- (ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- (घ) उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- (ङ) स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
- (च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
- (छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.4 योजना का क्षेत्र :-

सरकार, उद्योग और कृषि पर आपदा के प्रभाव को देखते हुए किसी भी जिले के लिए आपातकालीन योजना प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना का दायरा व्यापक होगा जो की निम्नलिखित है :-

- जिले में खतरों के प्रति संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र,
- विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां,
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों जैसे रोकथाम, तैयारी, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया (निकासी और अस्थायी आश्रय सहित) से संबंधित उपायों का सुझाव दें। यह आकस्मिक योजना जन एवं संपत्ति हानि को कम करने में मददगार होता है।

1.5 प्राधिकरण और संदर्भ

जिला और सहायक योजनाओं की आवश्यकता डीएम अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। अधिनियम के अनुसार आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए जिला कलेक्टर, अन्य पार्टियों से सहायता लेने हेतु अधिकृत है। जिला कलेक्टर और सरकारी प्राधिकरण, एसडीएमए, राहत आयुक्त (सीओआर), और अन्य सार्वजनिक, निजी पार्टियों के समर्थन के साथ जिले में आपदाओं और जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। कलेक्टर और अन्य पार्टियों की भूमिका, जिम्मेदारियां और दायित्व अधिनियम में विस्तार से निर्धारित किए गए हैं।

1.6 योजना विकास

योजना बनाने में शामिल विभिन्न कदम:

- i. डेटा संग्रह और योजना – सभी लाइन विभागों से डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण (खतरे की पहचान और समझ, जिले में जोखिम का आकलन) और एक योजना टीम का गठन।
- ii. विकास – सभी लाइन विभागों की आवश्यकताओं और विकास की विश्लेषण तथा जरूरत एवं संसाधनों की पहचान करना।
- iii. तैयारी – योजना की तैयारी, समीक्षा, अनुमोदन और प्रसार।
- iv. कार्यान्वयन और रखरखाव – योजना का कार्यान्वयन, मूल्यांकन, समीक्षा और अद्यतन।

1.7 हित धारक एवं जिम्मेदारियां –

राज्यस्तर – राज्यस्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम है। सभी राज्य शासन के मुख्य लाइन विभाग एवं आपातकालीन सहायता

कार्य संचालन करने वाली एजेंसी, आपदा के समय राज्य आपतकालीन ई.ओ.सी. से सहायता प्रदान करती है।

जिलास्तर – जिलास्तर पर आपदा और निपटने के लिए एवं जनसमुदाय को सुरक्षित रखने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है। जिला कलेक्टर प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं जो आपदा के समय जिलास्तर के विभिन्न विभागों को आपदा से निपटने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन तैयारी, प्रशिक्षण, में समुदाय एवं गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

1.8 योजना का अनुमोदन तंत्र –

अधिसूचना संख्या एफ 8(4) डीएम एण्ड आर/डीएम/023 दिनांक 06.09.2007 के तहत सभी जिलों के लिए डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन। डीडीएमए के तहत जिला स्तर पर सभी विभागों द्वारा रोकथाम, शमन एवं रेस्पॉस संबंधी एनडीएमए/एसडीएमए/एसईसी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी इसका दायित्व होगा।

1.9 जिले का संक्षिप्त परिचय

कोरबा जिला को 25 मई सन 1998 में प्रभावी पूर्ण राजस्व जिले का दर्जा प्राप्त हुआ जिसका मुख्यालय कोरबा शहर में है जो कि हसदेव और अहिरन नदी के संगम के किनारे स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी भी है। कोरबा जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कोरबा जिला मुख्यालय राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दुरी पर स्थित है।

कोरबा नवगठित जिला है जो की छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी के नाम से प्रसिद्ध भी है। कोरबा जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, यहाँ मुख्य रूप से संरक्षित आदिवासी जनजाति कोरवा हैं। कोरबा जिला चारों ओर हरा भरा हुआ है यहाँ आदिवासियों की एक बड़ी जनसंख्या पायी जाती हैं। यहा के आदिवासी वन क्षेत्र में पर्यावरण के साथ रहना पसंद करते हैं जिसके कारण उन्होंने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं और पारंपरिक प्रथाओं को बरकरार रखा है।

जिला कोरबा						
तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल हे० में	शहरों की संख्या	गांवों की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	जनपद पंचायत की संख्या	नगर पंचायत की संख्या

कोरबा	7145.44	01	792	354	05	02
कटघोरा	471.81					
पाली	1504.82					
करतला	779.99					
पोड़ी उपरोड़ा	2348.81					

नोट:- वन क्षेत्रफल – 1285.211 वर्ग किमी

तालिका 1: जिले का संक्षिप्त परिचय

जिला कोरबा में 5 तहसील, 5 जनपद पंचायत है जो कि कोरबा ,कटघोरा, पाली, करतला, पोड़ी उपरोड़ा है, 2 नगर पालिका है। जिले में 15 पुलिस स्टेशन 15, 4 चौकी व राजस्व निरीक्षक 09 सर्कल, 221 पटवारी सर्कल एवं 01 कटघोरा कृषि उपज मण्डी है।

भौगोलिक स्थिति

कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य की उर्जधानी के रूप में भी जाना जाता है । यह बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है ।और मुख्य रूप से आदिवासी बहुल जिला है जिसमे संरक्षित जनजाति कोरवा (पहाड़ी कोरवा) भी आते है । कोरबा जिला हरे-भरे वनों से आच्छादित है वन क्षेत्रों में आदिवासियों का निवास है । जो की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषता अवम परंपरा को बनाये हुए है ।कोरबा को छत्तीसगढ़ राज्य के आद्योगिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है ।जिले में विद्युत् उत्पादन हेतु आवश्यक सभी कच्चा माल (कोयला और पानी) प्रचुर मात्र में उपलब्ध है जिले में स्थित ताप विद्युत् घर (एन.टी.पी.सी. केटीपीएस , बालको और बीसीपीपी , डीएसपीएम, सीएसईबी ईस्ट , सीएसईबी वेस्ट) से 3650 मेगावाट विद्युत् का उत्पादन किया जाता है , इनके अलावा माचादोली बांगो में स्थित एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। जिले में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है , कोल इंडिया लिमिटेड (एस.ई. सी.एल.) की कई महत्वपूर्ण कोयला खान जिले में स्थित है ।इसके अतिरिक्त एल्युमीनियम उत्पादक कंपनी (बालको) भी जिले में स्थित है ।

अक्षांश और देशांतर	अक्षांश 22°01' से 23°01' उत्तर देशांतर 82°07' से 83°07' पूर्व
प्रमुख नदियां	हसदेव , गेजकोराई, टैन ,अहिरन
पड़ोसी जिले	उत्तर-कोरिया ,सूरजपुर, सरगुजा दक्षिण-जांजगीर पूर्व-रायगढ़ पश्चिम- बिलासपुर

तालिका 2: भौगोलिक स्थिति

जलाशय	लघु	मध्यम	वृहद्
	02	0	33
कुल संख्या	35		
पेयजल (नलकूप एवं कुओं की संख्या)	नलकूप - 579 कुओं - 761		
नहर	49		

तालिका 3: जलाशय

Location Map:-



चित्र 2: Location Map

भौतिक स्वरूप –

क्षेत्रफल –

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 7145.44 हे0 है। इसकी जनसंख्या 1206640 है तथा घनत्व 183 प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी) –

जिले में सामान्यतः लाल और काली मिट्टी पायी जाती है।

जनसांख्यिकीय विवरण –

कोरबा जिले में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग निवास करते हैं। यहाँ की मुख्य निवासी आदिवासी हैं जो की कुल जनसंख्या आबादी का 51.67% है। कोरबा जिले में मुख्य अनुसूचित जनजातियां निम्नलिखित है जैसे – पहाडी कोरवा, गोंड, राज गोंड, कवर, भैयाना, बिन्जवार, धनुहर आदि हैं। अनुसूचित जाति के अंतर्गत– सतीनाम, गंगा, पंक आदि आते हैं। इस जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है एवं स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़ी है। साक्षरता दर 73.8% है। जिले की दशक वृद्धि दर 19.25% है। गेहूँ, गन्ना आदि के साथ जिले के किसानों द्वारा खेती की जाने वाली मुख्य फसल धान है।

जनसांख्यिकीय विवरण		
1	कुल जनसंख्या	12066440
	अनुसूचित जाति	124679
	अनुसूचित जनजाति	493559
	कुल ग्रामीण जनसंख्या	
	पुरुष	2,31491
	महिलाएं	2,14799
	कुल शहरी जनसंख्या	
	पुरुष	381924
	महिलाएं	378926
	कुल बच्चों की संख्या (0–6 वर्ष)	
	पुरुष	87487
	महिलाएं	84529
2	जनसंख्या घनत्व	183 प्रति वर्ग कि.मी.
3	दशक वृद्धि दर	19.25%
	ग्रामीण	-

	शहरी	-
4	लिंग अनुपात (No. females per 1,000 males)	969
	ग्रामीण	993
	शहरी	928
	बच्चे (0-6 वर्ष)	966
5	साक्षरता दर	
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष साक्षर	612,915
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला साक्षर	593,725
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षर	73,080
	2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी साक्षर	73,360
	Crude Birth Rate (Per 1000 population)/	
6	अशोधित जन्म दर 2017	21.4
	Crude Death Rate (Per 1000 population)/	
7	अशोधित मृत्यु दर 2017	57
	Infant Mortality Rate (Per 1000 live birth)/	
8	शिशु मृत्यु दर 2017	48
	Maternal Mortality Rate (Per 1000 live birth)/	
9	मातृ मृत्यु दर 2017	261
	Natural Growth Rate (Per 1000 population)/	
10	सामान्य विकास दर 2017	1.925


तालिका 4: जनसांख्यिकी विवरण

वर्षा -

कोरबा जिला गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसके कारण जिले में बहुत गर्मी और सूखा रहता है। गर्मी का मौसम अप्रैल से मध्य जून तक शुरू होता है । दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण यहाँ बरसात का मौसम जून के मध्य से सितंबर के अंत रहता है।

वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा										
क्र.	तहसील	सामान्य वर्षा	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1	कोरबा	1306.5	1420.2	1048.6	1471	1306.4	1306.4	1222.2	1162.2	1515
2	करतला	1252.2	1332	1046.8	1249.6	1265.5	1265.5	1365.4	1255.3.	1240.6
3	कटघोरा	1211.4	1419.6	811.3	1118.3	1452	1452	1273.2	1021.4	1143.4
4	पाली	1134.638	1239	970.9	1162.9	1163.8	1163.8	1282	1030.9	1063.8
5	पोड़ी उपरोड़ा	1138.913	1368	826.8	1208.7	1151.4	1151.4	1139.4	1023.8	1241.8
औसत (पिछले 10 वर्षों के औसत वर्षा के आधार पर)		1208.713	1355.7	940.7	1242.1	1267.8	1267.8	1256	1098.7	1240.9

तालिका 5: वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा



लेखाचित्र 1: वर्ष 2009 से वर्ष 2017 के दौरान औसतन वर्षा

जल संसाधन	क्षेत्रफल हे. में
सिंचाई क्षमता	-
शासकीय	-
निजी	18600 हे.

तालिका 6: जल संसाधन

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति –

आर्थिक विवरण		
मुख्य व्यवसाय	संख्या	
कृषि	लघु एवं सीमांत कृषक	अन्य बड़े कृषक
	2899	675
औद्योगिक कर्मी (Industries workers)	40545	
उद्योग (Business)	156	
अन्य	0	

तालिका 7: आर्थिक विवरण

प्रमुख फसलें –

कोरबा जिला भी सूखे की स्थिति के लिए बनी रहती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है और ज्यादातर बारिश पर निर्भर करता है। अधिकतर फसल के तहत कुल क्षेत्र लगभग 134494 हेक्टेयर है और इसमें लगभग 109622 हेक्टेयर धान क्षेत्र है।

कृषि	
खाद्यान उत्पादकता	उत्पादन में
चावल	109314 हे०
गेहूँ	522 हे०
मक्का	418 हे०
जौ	368 हे०
बाजरा	
कोदो कुटकी	922 हे०
अन्य	336 हे०
दाल उत्पादकता	

अरहर	265 हे0
उडद दाल	4137 हे0
मूंग दाल	1281 हे0
मसूर दाल	
तिवरा	1485 हे0
अन्य	6220 हे0
तेलीय बीज उत्पादकता	
सोयाबीन	0
मूंगफली	321 हे0
अलसी	0
सरसों	0
सूरजमुखी	0
अन्य	760 हे0
मुख्य सब्जियों की उत्पादकता	
मसाले	139 हे0
अन्य	

तालिका 8: प्रमुख फसलें

पशुधन विवरण –

कुल पशुओं की संख्या	दुधारू पशु	सूखे पशु
गाय	5460	2862
भैंस	395	298
भेड़	0	0
बकरी	88468	0
घोड़े		8
गधे		0
सूअर		1824
दुग्ध उत्पादन		4.625
मछली उत्पादन		0
मुर्गी पालन केंद्र		0
अन्य		0

तालिका 9: पशुधन विवरण

सांस्कृतिक विवरण	
भाषा / बोली	छत्तीसगढ़ी, हिन्दी
पहनावा	साड़ी, धोती, कुर्ता, पैजामा, पेंट, शर्ट
खाना	चावल, दाल, बोरे बासी, चीला, मोटा रोटी, ठेठरी खुरमी
बाजार	साप्ताहिक, दैनिक, बुधवारी, मुडापार, बंकिमोग्रा, बलगी
उत्सव एवं त्यौहार	हरेली, .तीजा-पोला, छेरछेरा, पाली महोत्सव
घर	
कच्चे मकानों की संख्या	43561
छत प्रणाली	खपरैल
पक्के मकानों की संख्या	60156
छत प्रणाली	सीमेंट, कांक्रीट

तालिका 10: सांस्कृतिक विवरण

अधोसंरचना विवरण व सेवाएं –

जिले में सक्रिय खनन परिचालन के कारण जिले में अच्छी रेल और सड़क कनेक्टिविटी है। शैक्षणिक सुविधाएँ जिले में बेहतर है। जिले में 15 पुलिस स्टेशन, 04 चौकी है ।

शिक्षा –

क्रं.	स्कूल का विवरण	
1	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	1475
2	माध्यमिक स्कूलों की संख्या	524
3	हाई स्कूलों की संख्या	100
4	उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या	78
5	ग्रामीण स्कूलों की संख्या	72 %
6	शहरी स्कूलों की संख्या	28 %
7	जोखिम संभावित स्कूलों की संख्या	25 %

तालिका 11: स्कूल का विवरण

अन्य –

आंगनबाडी	2265
इंस्टिट्यूट / कॉलेज	6
यूनिवर्सिटी	01

अन्य ढांचे	(संख्या)
बांध	02
पुल	49
उद्यान	05
खुले मैदान	-
ऊची इमारतें	-
सामुदायिक भवन (क्षमता,स्थान व संख्या)	151 (प्रति भवन 10, 20 व्यक्ति, समस्त नगरीय क्षेत्र)
कार्यालयों की संख्या	139
गोदाम	0
शीतगृह	0
बस स्टैंड	02
कुल सड़क की लंबाई	791.44 कि.मी
ग्रामीण	31.63 कि.मी
शहरी	1050.243 कि.मी
रेलवे स्टेशन तथा जंक्शन की संख्या	01
कुल लंबाई	50.7 कि.मी
हवाई पट्टी	01
हेलिपैड	01
अक्षांश	22.24 मीटर 56 सेकंड
दक्षांश	82.43 मीटर 15 सेकंड

तालिका 12: अन्य अधोसंरचना विवरण व सेवाएं

कार्यालयों की जानकारी	(संख्या)
शासकीय	139
अर्धशासकीय	-
निजी	-
सिविल सोसाइटी / NGO	0

तालिका 13: कार्यालयों की जानकारी

संपर्क –

संपर्क		
क्रं.	संचार	संख्या
1	डाकघर	1
2	टेलीफोन केंद्र	0
3	पी.सी.ओ. ग्रामीण	0
4	पी.सी.ओ. एस.टी.डी	0
कुल		1

तालिका 14: संपर्क

स्वास्थ्य –

कोरबा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मुख्यतः 01 जिला चिकित्सालय, 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं तथा 05 एम्बुलेंस उपलब्ध है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र –

क्रं.	अस्पताल के प्रकार	संख्या	बेड की संख्या / क्षमता
1	एलोपैथिक अस्पताल	07	245
2	आयुर्वेदिक अस्पताल	54	0
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	37	201
4	उपस्वास्थ्य केन्द्र	255	215
5	एम्बुलेंस की संख्या	108 – 11	.
		102 – 13	

तालिका 15: सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र

उद्योग –

उद्योग और सेवाएं		
क्रं.	शीर्ष	संख्या
1	पंजीकृत उद्योगों की संख्या	156
2	कुल उद्योगों की संख्या	156
3	उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	40545

तालिका 16: उद्योग

औद्योगिक विवरण				
क्र.	लघु	मध्यम	वृहद	रिमार्क
1	99	20	35	-

तालिका 17: औद्योगिक विवरण

बैंक –

बैंक		
क्रं.	बैंक की श्रेणी	बैंकों की संख्या
1	वाणिज्यिक बैंक	82
2	ग्रामीण बैंक	35
3	सहकारी बैंक	20
4	प्राथमिक भूमि विकास बैंक शाखाएं	16
कुल		153

तालिका 18: बैंक

जिले में उचित मूल्य दुकान धारक –

जिले में उचित मूल्य दुकान धारक		
क्रं.	तहसील	उचित मूल्य की दुकान की संख्या
1	कोरबा	105
2	कटघोरा	80
3	पाली	100
4	करतला	73
5	पोड़ी उपरोड़ा	92
कुल		450

तालिका 19: जिले में उचित मूल्य दुकान धारक

संचार एवं यातायात –

सड़क नेटवर्क									
मार्च 2018 तक पीडब्ल्यूडी के तहत सड़क की लम्बाई									
क्रं.	सड़क का प्रकार	कुल लम्बाई (7+10)	सतह पर				अन्सर्फेबल		
			डब्ल्यू बीएम	बीटी	सीसी	कुल (4+5+6)	यातायात के योग्य	यातायात के योग्य नहीं	कुल (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राष्ट्रीय हाईवे	220.40	-	-	-	-	220.40	-	

2	राज्य राजमार्ग	246.60	-	-	-	-	246.60	-	
3	अन्य पीडब्ल्यू डी सड़कें	339.30	-	-	-	-	339.30	-	
4	प्रमुख जिला सड़कें	298.555	-	-	-	-	298.555	-	

तालिका 20: सड़क नेटवर्क

कोरबा जिले का रोड मैप:



चित्र 3: कोरबा जिले का रोड मैप

मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र –

कोरबा में विभिन्न मेले और त्यौहार भी देखे जाते हैं। पर्यटन के प्रमुख स्थान निम्न प्रकार से हैं:-

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र			
क्रं.	स्थान/साइटें/स्मारक	विवरण	खतरा और जोखिम
1	पाली शिव मंदिर	पाली कोरबा जिले में एक तहसील मुख्यालय है। यह जगह कोरबा –बिलासपुर सड़क पर जिला मुख्यालय से	मेला के दौरान भगदड़ की

		लगभग 50 किमी दूर स्थित है। यह माना जाता है कि पाली राजा विक्रमादित्य की पूजा स्थल थी। राजा विक्रमादित्य जो बन्ना राजवंश शासक था यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो बड़े तालाब के किनारे स्थित है। यहां कई अन्य अवशेष भी देखे जा सकते हैं। यह मंदिर पूर्व की तरफ आ गया है और इसकी आंत अष्टकोणीय में है इस मंदिर की चौड़ाई 5 प्लेटफार्मों पर है।	संभावनाएं
2	चैतुरगढ़	चैतुरगढ़ (लाफागढ़) कोरबा शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पाली से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर 3060 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है, यह राजा पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इसे मजबूत प्राकृतिक किलो में शामिल किया गया है, चूंकि यह चारों ओर से मजबूत प्राकृतिक दीवारों से संरक्षित है केवल कुछ स्थानों पर उच्च दीवारों का निर्माण किया गया है। किले के तीन मुख्य प्रवेश द्वार हैं जो मेनका, हुमकारा और सिम्हाद्वार नाम से जाना जाता है।	—
3	तुमन	धार्मिक	
4	देवपहरी	देवपहरी, कोरबा से 58 किमी उत्तरी पूर्व में चौराणी नदी के किनारे पर स्थित है। देवपहरी में इस नदी ने गोविंद कुंज नाम के एक सुंदर पानी के झरने को बनाया।	
5	कनकी	धार्मिक	
6	मडवारानी	जिला मुख्यालय से 22 किमी दूर मडवारानी मन्दिर कोरबा से चापा रोड पर स्थित है, पहाड़ी की चोटी पर माता मडवारानी का मंदिर है। नवरात्री के मौसम में इस मंदिर के पीछे कलमी पेड़ों के नीचे किंवदंती है जो बढ़ रहा था प्रत्येक वर्ष के नवरात्रि सीजन (सितंबर अक्टूबर) के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा त्यौहार मनाया जाता है।	
7	सर्वमंगला	सर्वमंगला कोरबा जिले के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। इस मंदिर की देवी दुर्गा है। यह मंदिर कोरेश के जमींदार में से एक राजेश्वर दयाल के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। मंदिर त्रिलोकिनाथ मंदिर काली मंदिर और ज्योति कलाश भवन से घिरा हुआ है। वहाँ भी एक गुफा है, जो नदी के नीचे जाता है और दूसरी तरफ निकलता है। रानी धनराज कुंवर देवी को मंदिर में अपनी दैनिक यात्रा के लिए इस गुफा के लिए इस्तेमाल किया गया	
8	सतरंगा	पर्यटन स्थल	
9	बुका	पर्यटन स्थल	
10	कोसगई	धार्मिक	
11	नरसिंह गंगा	धार्मिक	

तालिका 21: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र



चित्र 4: कोरबा जिले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मैप

खनिज –

जिले में खान एवं खनिज की जानकारी					
क्रं.	खनिज के नाम	उत्पादन (टन में)	क्षेत्र जहाँ पाया जाता है	शासकीय/निजी	Onsite & Offsite plan
1	कोयला	38905470 टन	कोरबा	शासकीय	Onsite:-First aid stations, first aid room, fire extinguisher Offsite:-Hospital, Fire Brigade
2	रेत	4 घ.मी	कोरबा	-	-
3	चुनापत्थर	6 टन	कोरबा	-	-
4	पत्थर	8 घ.मी	कोरबा	-	-
5	मुरुम	9 घ.मी	कोरबा	-	-
6	मिट्टी	4 घ.मी	कोरबा	-	-

तालिका 22: जिले में खान एवं खनिज की जानकारी

2. जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि से सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

प्राकृतिक आपदायें –

प्राकृतिक घटनाएं जो लोगों, संरचनाओं या आर्थिक संपत्तियों के लिए खतरा पैदा करती हैं साथ-साथ मानवीय जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। मुख्य रूप से बाढ़, भूकंप, सूखा, ज्वालामुखी, वनीय आग, सुनामी, भू-स्खलन इत्यादि प्राकृतिक खतरे हैं।

मानवीय आपदायें –

आपदाएं जो मानव जनित कारणों से घटित होती हैं तथा ऐसी स्थितियां जो समाज के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकती हैं, मानवीय आपदायें कहलाती हैं इनमें मुख्य रूप से औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोट, पर्यावरणीय हास, जहरीली गैसों का रिसाव, युद्ध एवं दुर्घटनाएँ इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

खतरे की आवृत्ति बढ़ने या गंभीरता के रूप में आपदा का खतरा बढ़ने, लोगों की भेद्यता बढ़ने और परिणामों के साथ सामना करने की लोगों की क्षमता में कमी आने से जोखिम बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है।

Hazard (H) x Vulnerability (V) x Exposure (E)

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard (H) x Vulnerability (V) x Exposure (E)}}{\text{Capacity to Cope (C)}}$$

Hazard (खतरा) – खतरा ऐसी स्थिति है जहां जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण या संपत्ति के नुकसान की आशंका होती है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना हो सकती हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता है। यह राज्य व जिले में जीवन एवं संपत्ति का भारी नुकसान करता है।

Vulnerability (भेद्यता) – खतरे वाले इलाकों या आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए उनकी प्रकृति, निर्माण और निकटता के कारण, किस हद तक एक समुदाय, संरचना, सेवा या भौगोलिक क्षेत्र को विशेष खतरे के प्रभाव से क्षतिग्रस्त या बाधित होने की संभावना है।

Risk (जोखिम) – खतरे की घटना होने पर जोखिम किसी समुदाय का अपेक्षित नुकसान होता है। इसमें जीवन की हानि, व्यक्तियों को चोट, संपत्ति का नुकसान और/या आर्थिक गतिविधियों और आजीविका में व्यवधान शामिल हो सकता है।

Capacity(क्षमता) – प्रतिकूल स्थिति, जोखिम या आपदा का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध कौशल और संसाधनों का उपयोग करके लोगों की योग्यता, संगठन और प्रणालियों की योग्यता बढ़ाना ही क्षमता है। किसी स्थिति से सामना करने के लिए सामान्य समय के साथ-साथ आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान लगातार जागरूकता, संसाधनों का प्रबंधन क्षमता के विकास के लिए आवश्यक होती है।

Exposure (अनावृत्ति) – खतरनाक क्षेत्रों में स्थित लोगों, संपत्ति, बुनयादी ढांचे, आवास, उत्पादन क्षमताएं, आजीविका, प्रणालियां व अन्य तत्वों की मौजूदगी और संख्या को एक्सपोजर के रूप में जाना जाता है।

2.1 संभावित आपदाओं की पहचान –

आपदाओं को मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- जलवायु सम्बन्धित
- भूगर्भ सम्बन्धित

- रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित
- दुर्घटना सम्बन्धित
- जैविक आपदाएँ

जिले की आपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबंधन योजना पर बैठक में जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

बाढ़— उत्तरी कोरबा और कोरिया जिले में अत्यधिक बारिश के कारण कई बार बांगो बांध और हसदेव बैराज के सभी द्वार खोले गए हैं जिससे कम ऊंचाई वाले इलाके में हल्की बाढ़ आती है।

सूखा— कोरबा जिला भी सूखे की स्थिति के लिए बनी रहती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है और ज्यादातर बारिश पर निर्भर करता है। फसल के तहत कुल क्षेत्र लगभग 134494 हेक्टेयर है। और इसमें लगभग 109622 हेक्टेयर धान क्षेत्र है। जिले में केवल 8.5% क्षेत्र सिंचित है। गर्मियों के मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में पानी की स्रोत में काफी कमी आई है। मानसून जून के मध्य में शुरू होता है। यद्यपि कोरबा जिले में सूखे का कोई पिछला इतिहास नहीं है लेकिन बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों (ग्लोबल वार्मिंग) और भूजल तालिका में कमी से भविष्य में सूखे और कमी हो सकती है।

महामारी जिले में किसी भी बड़े महामारी का कोई इतिहास नहीं रहा है। इस जिले की स्थलाकृति ऐसी है कि आज भी कई क्षेत्रों तक पहुंच योग्य नहीं हैं और किसी भी तरह की माहामरी की पहुँच से दूर है।

भूकंप कोरबा भूकंपीय क्षेत्र 2 में स्थित है जिले में भूमिगत खानों ने इसे भूकंप के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया है।

जिले में संभावित 12 आपदाएं चिन्हित की गयीं। इनमें से मुख्य सात आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

2.1.1 छह मुख्य आपदाएँ निम्न हैं—

1. सूखा
2. बाढ़
3. भूकम्प
4. दुर्घटना

5. आग

6. मौसमी बीमारियां

अन्य 5 आपदाएं साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, लू व शीतलहर है तथा इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से भी प्रभावित है।

2.2 आपदाओं का इतिहास –

जिले में सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, अन्य आपदाएं जैसे – पशु संघर्ष, महामारी, सड़क दुर्घटनाएं, बिजली और तूफान भी हैं। जिले में हुई विभिन्न आपदाओं का इतिहास निम्नानुसार है।

खतरें, भेद्यता, क्षमता और जोखिम आंकलन (HVCRA)

पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन

क्रं.	आपदा	घटना वर्ष	घटना स्थल		जन हानि									पशु हानि			संपत्ति हानि		फसल क्षति	
			जिला	तहसील	मृतक			घायल			लापता			मृतक	घायल	लापता	संपत्ति हानि	सिंचित	असिंचित	
					पुरुष	महिला	बच्चे	पुरुष	महिला	बच्चे	पुरुष	महिला	बच्चे							
1	बाढ़	2008	कोरबा	करतला, कटघोरा, कोरबा	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	
		2009		करतला, कटघोरा, कोरबा	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	
		2010		करतला, कटघोरा, कोरबा	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0		
		2011		करतला, कटघोरा, कोरबा	7	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2924	0	0	
		2012		करतला, कटघोरा, कोरबा	16	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0		
		2013		करतला, कटघोरा, कोरबा	14	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	68	164	0		
		2014		करतला, कटघोरा, कोरबा	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0		
		2015		करतला, कटघोरा, कोरबा	16	3	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
		2016		करतला, कटघोरा, कोरबा	10	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	538	0	0	
		2017		करतला, कटघोरा, कोरबा	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	6		
2	सूखा	2008		करतला	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

जिला आपदा प्रबंधन योजना, कोरबा (छ0ग0)

		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015	करतला ,कोरबा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30866.79
		2016	कटघोरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
		2017	पाली ,कोरबा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30944.79
3	आग	2008	कटघोरा, पाली ,कोरबा	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		2009	करतला ,कटघोरा पाली ,कोरबा	3	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		2010	कटघोरा ,पाली कोरबा	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7		
		2011	कोरबा ,करतला कटघोरा पाली ,पोड़ी उपरोड़ा	7	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
		2012	कोरबा ,करतला कटघोरा, पाली	5	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37		
		2013	कोरबा ,करतला ,कटघोरा ,पाली	5	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27		
		2014	कोरबा ,करतला कटघोरा पाली	8	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2		
		2015	कोरबा ,करतला ,कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	16	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16		
		2016	कोरबा ,करतला कटघोरा, पाली पोड़ी उपरोड़ा	7	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9		

		2017	कोरबा ,करतला कटघोरा, पाली पोड़ी उपरोड़ा	7	13	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	6	
4	आकाशीय बिजली / गाज	2008	कोरबा, करतला ,कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	11	5	4	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	
		2009	कोरबा ,करतला ,कटघोरा, पाली पोड़ी उपरोड़ा	6	7	1	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0
		2010	कोरबा, करतला ,कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
		2011	कोरबा ,करतला ,कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	12	4	2	1	0	0	0	0	120	0	0	0	0	1	0	0
		2012	कोरबा ,करतला कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	8	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16
		2013	कोरबा ,करतला कटघोरा,, पाली पोड़ी उपरोड़ा	8	5	1	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0
		2014	कोरबा ,करतला कटघोरा ,पाली ,पोड़ी उपरोड़ा	5	3	1	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0
		2015	कोरबा ,करतला ,कटघोरा पाली ,पोड़ी उपरोड़ा	14	4	2	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
		2016	कोरबा ,करतला ,कटघोरा, पाली पोड़ी उपरोड़ा	9	3	1	2	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0
		2017	कोरबा, करतला ,कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	6	5	1	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
5	लू	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		2008	कोरबा ,करतला ,कटघोरा ,पाली, पोड़ी उपरोड़ा	12	10	3	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0
		2009	कोरबा, करतला कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	21	13	6	1	18	2	0	0	38	0	0	0	0	0	0
		2010	कोरबा, करतला कटघोरा ,पाली ,पोड़ी उपरोड़ा	4	9	6	0	0	0	0	0	26	38	0	0	0	0	0
		2011	कोरबा ,करतला ,कटघोरा ,पाली, पोड़ी उपरोड़ा	12	22	6	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0
		2012	कोरबा, करतला ,पोड़ी उपरोड़ा	14	14	9	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0
		2013	कोरबा ,करतला कटघोरा ,पाली ,पोड़ी उपरोड़ा	24	20	9	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0
		2014	कोरबा, करतला ,कटघोरा पाली ,पोड़ी उपरोड़ा	13	10	5	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
		2015	कोरबा ,करतला कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	27	25	9	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
		2016	कोरबा, करतला कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	19	12	7	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0
		2017	कोरबा, करतला कटघोरा ,पाली पोड़ी उपरोड़ा	14	14	9	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0
7	बांध का टूटना	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	कीट प्रकोप	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	महामारी	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012				02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013				01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014				01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		2016			02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
10	सड़क दुर्घटना	2008			35			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009			49			39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010			19			19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011			31			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012			49			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013			51			36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014			74			03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015			94			09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016			95			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017			52			09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	आग (वन)	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	इमारत पतन	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013	करतला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	बम विस्फोट / आतंकवाद	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	भगदड़	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	उत्सव संबंधी	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	आपदाएं	2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मानव व पशु संघर्ष	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घ.	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012			10		7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013			07		2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014			06		12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015			11		4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016			05		02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2017			09		01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

18	भूस्खलन	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	भूकम्प	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

तालिका 23: पिछले 10 वर्षों में घटित आपदाओं का आंकलन

विगत 10 वर्षों कि मृत्यु की माह जानकारी														
क्रं	जन हानि	माह												
		जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टुबर	नवम्बर	दिसंबर	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	पुरुष	53	45	82	77	63	70	99	83	56	99	66	47	766
2	महिला	24	29	40	34	41	46	52	45	28	24	30	15	382
3	बच्चे	6	7	11	7	15	12	29	26	14	14	8	4	137
4	बचाए गये लोगो का विवरण	0	0	2	2	22	3	0	1	2	0	1	0	33
कुल योग		83	81	135	120	141	131	180	155	100	137	105	66	1318
माह														
क्रं	पशु हानि	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टुबर	नवम्बर	दिसंबर	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	दुधारू पशु	61	31	47	47	66	50	72	110	54	56	52	70	651
2	सुखे पशु	131	65	125	102	140	114	149	230	170	137	130	138	1566
3	मानव व पशु संघर्ष	261	128	238	200	275	222	291	452	331	264	249	264	3119
कुल योग		261	128	238	200	275	222	291	452	331	264	249	264	3119

तालिका 24: विगत 10 वर्षों की जनहानि ,पशु हानि माहवार जानकारी

2.3 जोखिम प्रोफाइल –

कोरबा में पहचाने गए प्रत्येक जोखिम के लिए एक जोखिम प्रोफाइल विकसित की गई है। एक जोखिम प्रोफाइल में खतरे के बारे में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

1. घटना की आवृत्ति – कितनी बार होने की संभावना है।
2. तीव्रता और संभावित तीव्रता – यह कितना बुरा हो सकता है।
3. स्थान – जहां उत्पन्न होने की संभावना है।
4. अवधि – यह कितनी देर तक रह सकती है।
5. मौसमी पैटर्न – वर्ष का वह समय जिसके दौरान यह होने की संभावना अधिक होती है।
6. शुरुआत की गति – कितनी तेजी से होने की संभावना है।

जोखिम	संभावित आवृत्ति (समुदाय % जो प्रभावित हो सकता है)	घटना की आवृत्ति	प्रभावित होने की संभावना	सबसे संभावित अवधि	वर्ष का संभावित समय	शुरुआत की संभावित गति (चेतावनी समय की संभावित अवधि)
बाढ़	संभावित	संभाव्य	पूरा जिला	1-3 सप्ताह	जून – सितम्बर	24 घंटे से अधिक
सूखा	सीमित	संभाव्य	पूरा जिला	1-3 सप्ताह	मई का पहला सप्ताह	24 घंटे से अधिक
भूकम्प	संभावित	संभाव्य	पूरा जिला	1-3 सप्ताह	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी
आग	गंभीर	बहुधा	पूरा जिला	कुछ घंटों का समय	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं
महामारी	सीमित	गंभीर	पूरा जिला	कुछ दिन	साल भर	24 घंटे से अधिक
सड़क दुर्घटनाएं	गंभीर	बहुधा	पूरा जिला	कुछ सेकंड	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी नहीं
मौसमी बीमारियां	बहुधा	संभाव्य	पूरा जिला	कुछ दिन	साल भर	न्यूनतम या कोई चेतावनी

तालिका 25: जोखिम प्रोफाइल

2.4 जोखिम विश्लेषण –

जोखिम, समुदाय में लोगों, सेवाओं, विशिष्ट सुविधाओं और संरचनाओं पर एक खतरा हो सकता है। जोखिम को कम करने से जिला उन खतरों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के लिए उच्च खतरा पैदा करते हैं। प्रतिक्रिया प्राथमिकताओं को विकसित करने के लिए जोखिम का विश्लेषण करना सहायक होता है। जोखिम प्राथमिकता को गुणात्मक रेटिंग जैसे उच्च, मध्यम और निम्न का उपयोग करके असाइन किया जाता है।

क्र0	जोखिम	भूगोल	बुनियादी ढांचे और संपत्ति	जनसांख्यिकी
1	बाढ़	गंभीर	मध्यम	उच्च
2	सूखा	गंभीर	मध्यम	उच्च
3	भूकम्प	संभावित	कम	उच्च
4	आग	गंभीर	कम	उच्च
5	महामारी	सीमित	मध्यम	उच्च
6	सड़क दुर्घटनाएं	गंभीर	मध्यम	उच्च
7	मौसमी बीमारियां	बहुधा	उच्च	उच्च

तालिका 26: जोखिम विश्लेषण

नोट: संभावित परिमाण 1. आपदाजनक: 50% से अधिक। 2. गंभीर: 25–50%। 3. सीमित: 10–25%। 4. नगण्य: 10% से कम। घटना की आवृत्ति 1. बहुधा: अगले वर्ष में लगभग 100% संभव है। 2. संभाव्य: अगले वर्ष में 10–100% संभावना या अगले वर्ष में कम से कम एक बदलाव के बीच। 3. कभी-कभी/संभावित: अगले वर्ष में 1–10% संभावना या अगले 100 वर्षों में कम से कम एक बदलाव के बीच। 4. असंभव: अगले 100 वर्षों में 1% से कम संभावना।

2.5 संवेदनशीलता विश्लेषण –

डेटा की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर जिले में निम्नतम प्रशासनिक इकाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन जोखिम के संदर्भ की पहचान की जाती है। इस पर आधारित, संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार किया जाता है।

क्रं.	संवेदनशीलता विश्लेषण	उत्तर
1	जोखिम विश्लेषण का परिणाम	

	समुदाय के साथ क्या एकल या एकाधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? घटना, आवृत्ति/वापसी अवधि, तीव्रता और अवधि के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के संपर्क का जिक्र करते हुए, इन खतरों की तुलना ?	बाढ़, सूखा, आग और महामारी जैसे जोखिमों से समुदाय प्रभावित है। सभी आपदाओं में से, सूखा गंभीर तीव्रता से वर्ष 2017 में बड़ी संख्या में आबादी को प्रभावित करने वाली आपदा है।
	क्या जोखिम या नए जोखिम उभर रहे हैं?	महामारी के मामले भी थे। कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।
2	संवेदनशीलता विश्लेषण का परिणाम	
	सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है ?	बाढ़ के कारण पूरा जिला एवं सर्व तहसील सूखे के कारण संवेदनशील है ।
	समुदाय को प्रभावित करने जोखिम व उन जोखिमों के प्रति समुदाय कैसे संवेदनशील हैं ?	<p>1. बाढ़:- बांगो बांध और हसदेव बैराज के सभी द्वार खोले गए हैं जिससे कम ऊंचाई वाले इलाके में हल्की बाढ़ आती है।</p> <p>2. सूखे:- कोरबा जिला भी सूखे की स्थिति के लिए बनी रहती है।</p>
3	क्षमता विश्लेषण का परिणाम	
	समुदाय में मुख्य क्षमताओं क्या हैं?	<p>अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बचाव उपकरण, राहत शिविर, परिवहन इत्यादि।</p> <p>पेयजल आपूर्ति योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, फसल आकस्मिक योजनाएं इत्यादि।</p>
	उनकी व्याख्या करें और वे समुदाय की लचीलापन कैसे बढ़ाते हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ● अस्पताल: तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए। ● पुलिस स्टेशन: बचाव अभियान और निकासी के लिए। ● बचाव उपकरण: बचाव कार्यों के लिए। ● राहत शिविर: अस्थायी आश्रयों और प्राथमिक चिकित्सा के लिए। ● परिवहन और संचार प्रणाली: सड़क मार्गों और वाहनों के माध्यम से पड़ोसी जिलों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ● पेयजल आपूर्ति योजना: पीने योग्य जल

		<p>कि उपलब्धता।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना: वित्तीय साहयता हेतु। ● फसल आकस्मिक योजनाएं: वर्षा में देरी या खंड वर्षा, प्रारंभिक नस्लों वाली फसल इत्यादि। ● प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: वित्तीय साहयता हेतु। ● फसल आकस्मिक योजनाएं: वर्षा में देरी या खंड वर्षा, प्रारंभिक नस्लों वाली फसल इत्यादि।
	मुख्य कमजोरी	<ul style="list-style-type: none"> ● सूखे की अवधि से पहले किसानों की लापरवाही। ● बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे घरों का निर्माण। ● अग्नि स्टेशनों की अपर्याप्त संख्या। ● आपदा प्रबंधन जागरूकता पर काम कर रहे कोई गैर सरकारी संगठन नहीं है।
4	आपदा के प्रभाव करने के लिए तैयारियां व प्रतिक्रिया	
	जोखिमों की क्षमता को देखते हुए कमजोरियों को कम करने और समुदाय की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता की पहचान की जाती है।	<ul style="list-style-type: none"> ● नदी के तटबंधों का निर्माण। ● वर्षा के दौरान पानी की संरक्षण। ● नए चेक बांध, तालाब और कुओं का निर्माण। ● सूखे प्रतिरोधी फसलों और कुशल जल उपयोग का अभ्यास करने के लिए किसानों को शिक्षित करना।

तालिका 27: संवेदनशीलता विश्लेषण

2.6 कोरबा जिले में घटित आपदाएं –

2.6.1 सूखा –

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है। जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया

है— प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबंधन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक –

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू-जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार –

- मौसम विज्ञान संबंधी सूखा – अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- जल विज्ञान संबंधी सूखा – पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- कृषि संबंधी सूखा – फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

कोरबा जिले के सूखे की जानकारी –

सूखा – अकाल			
वर्ष 2017-18 में सूखे से उत्पन्न क्षति और सीमा			
क्र0	विशेष	परिमाण	टिप्पणियां
1	प्रभावित क्षेत्र	रकबा 2804.902 हे0	लघु एवं सीमांत कृषक 2899

तालिका 28: वर्ष 2017-18 में सूखे से उत्पन्न क्षति और सीमा

प्रभावित क्षेत्रों की सूची						
क्र.	जिला	तहसील	गाँव की संख्या	तीव्रता	सूखा से प्रभावित कृषकों की संख्या	
					लघु व सीमांत कृषक	अन्य बड़े कृषक
1	कोरबा					
2		पाली	42	तीव्र	2899	675

तालिका 29: सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सूची



चित्र 5: सूखे से प्रभावित क्षेत्र पाली तहसील

जिले में घोषित सूखे की पिछली घटना की रूपरेखा				
क्रं.	साल	राज्य का नाम	जिले का नाम	तहसील का नाम
1	2015-16	छत्तीसगढ़	कोरबा	कोरबा
				कटघोरा
				पाली
				करतला
				पोड़ी उपरोड़ा
1	2017	छत्तीसगढ़	कोरबा	पाली

तालिका 30: जिले में घोषित सूखे की पिछली घटना की रूपरेखा

2.6.2 बाढ़ –

जिले में नगर निगम में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड एवं स्थान

वार्ड क्रमांक	स्थान का नाम	वर्ष
1	मिशन पारा, रामसागर पारा,	वर्ष 2011-12
4	रानी रोड	
7	सीतामणी मोहल्ला, मोती सागर पारा	
8	सीतामणी, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, इमलीडूगू, कुम्हार मोहल्ला	
16	जोगियाडेरा	
34	चेकपोस्ट , लालघाट बस्ती	
39	कैलाशनगर	
35	लालघाट	
46	अयोध्यापुरी	
48	सुमेधा	
52	नगोईखार	
53	गेवराघाट	
56	शांतिनगर	
57	भैरोताल	
64	कटईनार, घुड़देवा	
44	प्रेमनगर	

तालिका 31: जिले में नगर निगम में भारी वर्षा से प्रभावित वार्ड एवं स्थान जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है

क्र.	तहसील	नदी का नाम	कुल गाँव की संख्या	गांव का नाम
1	कटघोरा	अहिरन	7	गेवराघाट, सुमेधा, कटईनार, रेलवेदफाई, प्रेम नगर, भैरोताल एवं घुड़देवा
2	कटघोरा/पोड़ीउपरोड़ा/कोरबा	हसदेव	28	चारपारा, बलरामपुर, भलपहरी, जोगीपाली, कोहड़िया, राताखार, गेवराघाट, इमलीडूगू, खैरभवना, कुदुरमाल, बरीडीह, कटबिटला, झिका, ठिठोली, बांगो, छिनमेर, चिरा, पोड़ी, पोड़ा, हथमार, रिकीकला, मछलीघाट (तेलईडांड) झोरा, कोड़ियाघाट, धनगांव, नरबदा, जैलगांव, कोरबा (पारा, मुहल्ला)
3	पोड़ीउपरोड़ा	तान	2	एतमानगर, पोड़ी
4		सोन	4	सोहागपुर, उमरेली, चिचोली, मोहरा

तालिका 32: जिले की नदियां जो बाढ़ या जल प्रवेश की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है

निम्नलिखित तहसीलों के कुछ गांव के सुरक्षित स्थानों का चिन्हांकन

क्रं.	जिला	गाँव का नाम	चिन्हांकित स्कूलों का विवरण
1	कोरबा	(नगर निगम कोरबा) सीतामणी, इमलीडूगु	प्रा0शा0(आ0जा0क0)सीतामणी
		मोतीसागरपारा , धनुहारपारा ,रानीरोड़ बस्ती धनुहारपारा	प्रा /पूर्व मा0शाला आ0जा0क0 रानी रोड़ के पास
		कैलाशनगर, आजादनगर बेलाकछार (बालको क्षेत्र) –	स्टेडियम एवं दीनदयाल सांस्कृतिक भवन
		कैलाशनगर, आजादनगर बेलाकछार (बालको क्षेत्र)	प्रा0 शा0 बालको, सेक्टर-5
		अमरैयापारा क्षेत्र	प्रा0 शा0 मुड़ापार
		पीडब्लूडी रेस्ट हाउस के आसपास के एरिया नगर, शांतिनगर	पूर्व मा0 शाला सीतामणी
		लालघाट चेकपोस्ट , कैलाश नगर शांतिनगर	प्रा0 शाला लालघाट अम्बेडकर स्कूल बालको
		जोगिया डेरा, अयोध्यापुरी चारपारा इमलीडुगु	प्रा0 शाला जोगियाडेरा कबीर भवन दर्सी
		जैलबस्ती डांडपारा नगोईखार गेरवाघाट सुमेधा	सुमेधा स्कूल के पास
		कटाईनार रेल्वे दफाई, प्रेमनगर व भैरोताल	पूर्व मा0शाला प्रेमनगर बांकी
		घुड़देवा	पूर्व मा0 शाला भैरोताल एवं घुड़देवा

तालिका 33: गांव के सुरक्षित चिन्हांकित स्थान

2.6.3 दुर्घटनाएँ –

सडक दुर्घटनाएँ –


विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सडक दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सडक दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके ।

सड़क दुर्घटनाएँ			
क्र.	वर्ष	मृतक	घायल
1	2008-09	35	00
2	2009-10	49	39
3	2010-11	19	19
4	2011-12	31	15
5	2012-13	49	25
6	2013-14	51	36
7	2014-15	74	03
8	2015-16	94	09
9	2016-17	95	20
10	2017-18	52	09
कुल		549	175

तालिका 34: जिले में सड़क दुर्घटनाएँ



लेखाचित्र 2: सड़क दुर्घटनाएँ

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण –

- गाडी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड
- गाडियों का अनुचित रखरखाव

कोरबा जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण

क्रं.	सड़क मार्ग	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
1	कटघोरा	बरपाली लालघाट
		कसनिया
		तानाखर मेन रोड
		सुतरा
		मेन रोड कटघोरा
2	पाली	बगदेवा
		बागसाही चेपा
		राहाडीह मूनघाडीह
		दुमरकचार गजर नाला
		बनबंधा घुइचुआ
3	बांगो	गुरसिया
		पोड़ीउपरोड़ा
		बनजारी
		मदाई
4	कुसमुंडा	चोटिया
		मोरगा नाला
		केंदीय मोड़
		मदनपुर
5	बालको नगर	टिपर रोड काली मंदिर
		एल्युमीनियम गेट 1
		रुमघाड़ा भवानी मंदिर
		परसाभाटा चौक
6	उरगा	रिस्दी चौक
		जगराहा मोड़
		छुइया नाला
		तुमान
		तिल्खेजा पंहुंडा
		भैसमा


तालिका 35: कोरबा जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण

औद्योगिक दुर्घटनाएँ -

क्रं.	वर्ष	विवरण	घायल	मृतक
1	2012	एलुमिना प्लांट भारत एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड पोस्ट बालको नगर जिला कोरबा	0	1
2	2012	1200 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट भारत एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड पोस्ट बालको नगर जिला कोरबा	0	2
3	2012	इंडो स्पंज पावर एंड स्टील पावर लिमिटेड ग्राम जघरहा रजगामार रोड कोरबा	0	2
4	2012	हसदेव थर्मल पावर प्लांट	6	6
5	2012	स्वस्तिक पावर एंड मिनरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड	0	1
6	2012	वंदना एनर्जी एंड स्टील पावर लिमिटेड	1	0
7	2012	वंदना विद्युत लिमिटेड	0	3
8	2012	अर अर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	2	2
9	2012	लैंको अमरकंटक प्राइवेट लिमिटेड	1	2
10	2013	540 कैप्टिव पावर प्लांट भारत एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड	6	0
11	2013	कोरबा थर्मल पावर प्लांट	0	1
12	2013	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	0	1
13	2013	स्मेल्टर प्लांट 2 भारत अलुमियम कंपनी लिमिटेड	1	0
14	2013	हिमाधि केमीकाल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड	0	1
15	2013	हसदेव थर्मल पावर प्लांट	4	1
16	2014	राजपुताना केबल एंड कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	0	1
17	2014	दीपका कोल वाशरी आर्यन कोल् बेनेफिसिअल इंडिया लिमिटेड	0	1
18	2014	वंदना विद्युत लिमिटेड	0	1
19	2014	फेब्रिकेशन प्लांट भारत एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड	0	1
20	2014	नेशनल थर्मल पावर स्टेशन लिमिटेड	8	0
21	2015	एस वी पावर प्राइवेट लिमिटेड	0	1
22	2015	मारुती क्लीन एंड पावर लिमिटेड	7	5
23	2015	विद्या गैस इंडस्ट्रीज	3	1
24	2015	हसदेव थर्मल पावर प्लांट	0	2
25	2015	लैंको इन्फ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड	1	1
26	2016	हसदेव थर्मल पावर प्लांट	0	1
27	2016	स्मेल्टर प्लांट 2 भारत अलुमियम कंपनी लिमिटेड	1	0
28	2016	लैंको इन्फ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड	1	4
29	2017	540 कैप्टिव पावर प्लांट भारत एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड	1	0
30	2017	कोरबा थर्मल पावर प्लांट	0	2
31	2017	स्मेल्टर प्लांट भारत अलुमियम कंपनी लिमिटेड	0	1

32	2017	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	0	1
33	201	हसदेव थर्मल पावर प्लांट	0	1

तालिका 36: औद्योगिक दुर्घटनाएं




लेखाचित्र 3: औद्योगिक दुर्घटनाएं

2.6.4 महामारी –

वर्ष 2008 से वर्ष 2017 के दौरान जिले में महामारी						
क्रं.	वर्ष	तहसील	महामारी का नाम	प्रभावित लोगों की संख्या	मृतक	
1	2012	कोरबा	डायरिया, मलेरिया	17		
		कटघोरा	डेंगू	1		
		करतला	डायरिया	7		
		पाली	डायरिया	0		
		पोड़ीउपरोड़ा	डायरिया, मलेरिया, फूड पायजनिंग	24,13,5		
2	2013	कोरबा	डायरिया, मलेरिया, चिकनपॉक्स	74,81,5		
		कटघोरा	डेंगू, मलेरिया	02,01		03
		करतला	डायरिया	24		0
		पाली	डायरिया, चिकनपॉक्स	17,04		0
		पोड़ीउपरोड़ा	बुखार, चिकनपॉक्स,	49,01,09		0

			मलेरिया,		
3	2014	कोरबा	चेचक , चिकनपॉक्स	56	0
		कटघोरा	चेचक , चिकनपॉक्स	42	0
		करतला	डेंगू	1	0
		पाली	चेचक , डायरिया, चिकनपॉक्स	81	0
		पोड़ीउपरोड़ा	चेचक ,डेंगू	53	0
4	2015	कोरबा	डेंगू	8	0
		कटघोरा	डेंगू	6	0
		करतला	चेचक, डेंगू	43	0
		पाली		0	0
		पोड़ीउपरोड़ा	चिकनपॉक्स	5	0
4	2016	कोरबा	डायरिया, फूड पायजनिंग	80	2
		करतला	डायरिया	56	0
5	2017	कोरबा	बुखार	16	0
		कटघोरा	चेचक , चिकनपॉक्स	127	0
		करतला	डेंगू	58	0
		पाली	चेचक , डायरिया, चिकनपॉक्स	58	0

तालिका 37: वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के दौरान जिले में महामारी




लेखाचित्र 4: महामारी प्रभावित लोगों की संख्या

जिलेवार महामारी संभावित व पहुंचविहीन ग्रामों की संख्या						
क्रं.	जिले का नाम	कुल ग्रामों की	महामारी संभावित ग्रामों की संख्या		पहुंचविहीन ग्रामों की संख्या	
			संख्या	सूची	संख्या	सूची

		संख्या			T	
1	कोरबा	136	34	मालीकछार, बलसेंघा, डूमरडीह, नदीटिकरा, मछलीभाठा, छातासराई, जामपानी, खोखराआमा, टापरा, मुड़धोवा, देवद्वारी, बरपानी, सोनारी, सारबहार, गुलहर, खरहुन, सावरबहार, विमलता, बेलबटिंग, काटाबसाहट, चिराईझुंझ, अखरापारा, तेलाटबहार, कुदरीचिंगार, सरडीह, बगधरीडांड, पतरापानी, मौहार, ठाकुरखेता, ठाकुरपारा, रनगड्हा, राजाडाही, चिताबुड़ा, बासाखर्चा	21	मालीकछार, बलसेंघा, नदीटिकरा, जामपानी, टापरा, मुड़धोवा, बरपानी, सोनारी, सारबहार, गुलहर, खरहुन, साजबहार, चिराईझुंझ, कुदरीचिंगार, सरडीह, बगधरीडांड, मौहार, रनगड्हा, राजाडाही, चितागुड़ा, बासाखर्चा
2	करतला	122	12	झींका, महोरा, गितारी, लबेद, बगदर, चिचोली, देवलापाठ, फरसवानी, फूलझर, मदवानी, बोतली, नवापारा	14	कछार, जामचुआ, द्वारीपारा, साजापानी, कांशीपानी, रीवाबहार, चिचोली, खरहरकुड़ा, बंजारी, पहाडगांव, सीधापाठ, भंवरखोल, दर्राभाठा, रोगदा
3	कटघोरा	111	12	मुढ़ाली, विजयनगर, तेन्दुकोना, खोड़री, जपेली, खैरभवना, रंगबेल, कटसीरा, मोहरियामुड़ा, मुढ़ली, रलिया, उमेदीभाठा	1	विजयपुर (डूगूपारा)
4	पाली	141	3	जमनीपानी, कोडार, कर्रा	2	बाईसेमर, केरामुड़ा
5	पोड़ीउपरोड़	212	14	जल्के, त्रिकुटी, गडरा, कुदारी, पनगंवा, धौरामुड़ा, थिरीआमा, मुकुवा, केशलपुर, आमाटिकरा, साखों, मेरई, मातिन, अरसिया	14	अडसरा, रानीअटारी, घोधरा, सारिसमार, बाघीनडांड, पण्डरीपानी, मेड़ई, धनवारा, फरसवानीडांड, मुकुवा, मुड़मिसनी, बनखेता, पोंडीगोसाई, साखो
योग :-		722	75		52	

तालिका 38: जिलेवार महामारी संभावित व पहुंचविहीन ग्रामों की संख्या



लेखाचित्र 5: महामारी संभावित लोगों की संख्या

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

3.1 संस्थागत व्यवस्था

आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी होता है अगर यह संस्थागत ढाँचे में हो। इस उद्देश्य से डीएम अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाना निर्देशित किया गया है। यह आपदा योजना के अनुसार किसी भी आपदा स्थिति को प्रभावी ढंग से तत्काल प्रतिक्रिया देने और कम करने के लिए जिला स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र, जैसा कि राष्ट्रीय योजना में शामिल है, नीचे दिया गया है:

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति
- स्थानीय स्व-सरकारी प्राधिकरण
- जिला आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर

3.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण


डीडीएमए, आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन तथा राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य के लिए सभी उपाय करता है। तथा यह सुनिश्चित करता है कि आपदाओं की रोकथाम, इसके प्रभाव की कमी, तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों के लिए दिशानिर्देश का पालन सरकार के सभी विभागों में जिला स्तर और जिला में स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी, तथा कलेक्टर/डीएम, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –

अनुक्रम	सरकारी पद	प्राधिकरण में पद
1	जिला कलेक्टर (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	अध्यक्ष
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिला पंचायत	सदस्य
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6	कार्यपालन अभियंता (PWD) विभाग	सदस्य
7	कार्यपालन अभियंता (सिंचाई) विभाग	सदस्य
8	अपर कलेक्टर	सदस्य
9	जिला कमांडेंट होम गार्ड्स	सदस्य

तालिका 39: DDMA की संरचना

जिला आपदा प्रबंधन समिति एक शीर्ष नियोजन समिति है यह तत्परता एवं शमन के हेतु प्रमुख भूमिका निभाती है। जिला स्तर पर प्रतिक्रिया का समन्वय जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जाता है, जो जिला आपदा प्रबंधक के रूप में काम करते हैं।



प्रवाह चित्र 1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रवाह चित्र

3.3 जिला आपदा प्रबंधन सहलाकार समिति –

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य कुशल निर्वाहन के लिए एक और एक से अधिक आपदा प्रबंधन सहलाकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्यों के नियुक्ति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें जिला पंचायत, विभिन्न विभाग गैर सरकारी संगठन इत्यादि के सदस्यों को शामिल किया जाता है।

क्रं.	धारित पद	पद पर
1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	उप अध्यक्ष
3.	डिप्टी कलेक्टर	सदस्य

4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
6.	जिला वन मण्डलाधिकारी	सदस्य
7.	जिला खाद्य अधिकारी	सदस्य
8.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	उप निर्देशक कृषि	सदस्य
10.	आर .टी ओ.	सदस्य
11.	जिला स्तर के गैर सरकारी संगठन सदस्य	सदस्य

तालिका 40: आपदा प्रबंधन सहलाकार समिति की संरचना

3.4 स्थानीय स्व सरकारी प्राधिकरण –

इस नीति के प्रयोजन के लिये स्थानीय प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं (आर आई), नगरपालिकाओं, जिला और कंटोमेंट बोर्ड (Cantonment board) एवं नगर योजना प्राधिकरणों को शामिल किया जाता है जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और संचालित करती है। ये निकाय आपदाओं से निपटने के लिये अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेंगी, प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां चलाएंगी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगी। महानगरों में आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये विशिष्ट संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा।

3.5 शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति –

जिला कार्यालय के सभी शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन गतिविधियों को संचालित करने लिये शहरी स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। शहरी आपदा प्रबंधन समिति के गठन के लिए प्रस्तावित ढांचा।

क्रं.	धारित पद	पद
1.	नगर पालिका अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यापालन अधिकारी	उप अध्यक्ष
3.	एस.डी .एम.	सदस्य
4.	विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5.	कार्यापालन अभियंता लोक निर्माण विभाग	सदस्य

6.	कार्यापालन अभियंता विद्युत विभाग	सदस्य
7.	वन मण्डलाधिकारी	सदस्य

तालिका 41: शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन समिति

3.6 तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति –

तहसील में आपदा प्रबंधन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा ।

तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का ढांचा

क्रं.	धारित पद	पद
1	तहसीलदार	अध्यक्ष
2	टी.आई.	सदस्य
3	अध्यक्ष, पंचायत समिति	सदस्य
4	उप अभियंता, जल संसाधन	सदस्य
5	उप अभियंता, बिजली विभाग	सदस्य
6	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
8	गैर सरकारी संगठन	सदस्य

तालिका 42: तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का ढांचा

3.7 ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति –

ग्राम स्तर पर आपदा से निपटने के लिए एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय हेतु ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा, प्रस्तावित स्वरूप इस प्रकार है ।

क्र0	धारित पद	पद
1	ग्राम पंचायत सरपंच	अध्यक्ष
2	सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य
3	आशा (स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
4	शिक्षक (शिक्षा विभाग)	सदस्य
5	सैनिक (होमगार्ड)	सदस्य
6	कोटवार	सदस्य


तालिका 43: ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति

3.8 जिला आपातकालीन संचालन केंद्र

डीईओसी जिला कलेक्टर के कार्यालय में स्थित है। यह आपदा से निपटने के लिए सूचना एकत्रण, प्रसंस्करण और निर्णय लेने के लिए केंद्र बिंदु भी है। एकत्रित और संसाधित की गई जानकारी के आधार पर आपदा प्रबंधन के संबंध में इस नियंत्रण कक्ष में अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, यह पूरे साल काम करता है और विभिन्न विभागों को आपदा के दौरान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालन का आदेश देता है। घटना कमांडर जिला नियंत्रण कक्ष में प्रभार लेता है, जो आपातकालीन परिचालनों का निर्देश देता है। आपदा प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना चित्र में नीचे दी गई है।

किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर को राहत कार्यों के लिए निर्देशित करेगा एवं संयुक्त कलेक्टर तहसीलदार को, तहसीलदार ग्राम पंचायत पटवारी सचिव को निर्देशित करेगा।

आपदा प्रबंधन हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा



प्रवाह चित्र 2: आपदा प्रबंधन हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा

सुविधाएं/व्यवस्थाएं जिला नियंत्रण कक्ष/केन्द्र –

जिला नियंत्रण केन्द्र में आपदा से निपटने के लिए एवं विभिन्न लाइन विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु निम्न व्यवस्थाएं होगी –


- राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण केन्द्र से संपर्क स्थापित करने हेतु हाट लाइन
- टेलीफोन, सेटेलाइट फोन
- आपदा प्रबंधन योजना की कापी
- वायरलेस सेट
- कान्फ्रेंस रूम
- वाकी टाकी
- एक कम्प्यूटर जिसमें इंटरनेट हो
- अन्य आवश्यक सामग्री

3.9 घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस) –

क्षेत्र के घटना प्रत्युत्तर टीम के माध्यम से आइआरएस संगठन कार्य करता है। डीडीएमए के अध्यक्ष जिला कलेक्टर ही घटना प्रत्युत्तर प्रबंधन का सर्वोच्च पदाधिकारी एवं जवाबदेह व्यक्ति होता है।

आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर किसी अन्य जवाबदेह अधिकारी को अपना कार्यभार सौंप सकता है। अगर आपदा एक से अधिक जिले में हुई तो उस जिले का कलेक्टर इंसिडेंट कमांडर का काम करता है जहाँ आपदा की गंभीरता सबसे ज्यादा है।

घटना प्रत्युत्तर प्रणाली के सक्रिय होने के साथ-साथ एक कार्य संचालन सेक्शन एक के योजना सेक्शन एक रसद सेक्शन और एक वित्त सेक्शन अपने-अपने प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ त्वरित कार्य करने की भूमिका निभाते हैं। इन सेक्शनों के प्रभारियों के नियुक्ति करने का अधिकार केवल इंसिडेंट कमांडर को है। सेक्शन प्रभारियों में पीड़ितों तक रसद सहायता पहुँचाने तक की सभी संबंधित जवाबदारी निहित होती है।



प्रवाह चित्र 3: घटना प्रत्युत्तर प्रणाली

इंसिडेंट कमांडर के मुख्य कार्य –

इंसिडेंट कमांडर के निम्नलिखित सामान्य कार्य होंगे :

- आपातकाल में अबाधित संचार प्रवाह बनाना एवं उसके एकीकरण के तंत्र विकसित करना।
- जिला, राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न इएसएफ (emergency support function) के अपने प्रोटोकॉल एवं कार्य प्रक्रिया के लिए सुविधा प्रदान करना।

- संचार व्यवस्था को इस तरह दुरुस्त रखना कि आपदा के समय मिलने वाली सभी सूचना को प्राप्त किया जा सके, उनका रिकार्ड रखा जा सके और सूचना के आदान-प्रदान के स्वीकृति पत्र दे सके ।
- आपातकाल में इएसएफ के पास उपलब्ध राहत सामग्री के वितरण का प्रबंधन करना । इन उपरोक्त सामान्य कार्यों के अतिरिक्त इंसिडेंट कमांडर को अनेक निम्नलिखित विशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं जैसे –
 - स्थिति का अनुमान लगाना,
 - मानव जीवन जोखिम का अनुमान लगाना,
 - तात्कालिक उद्देश्यों (कार्यों) का निर्धारण करना,
 - आपदा क्षेत्र में पर्याप्त आवश्यक संसाधन की उपलब्धता तय करना/उपलब्धता के लिए आदेश देना,
 - तात्कालिक कार्य योजना तय करना,
 - एक प्रारंभिक तात्कालिक संगठन बनाना,
 - कार्य एवं लक्ष्यों की समीक्षा करना, उनमें सुधार करना और आवश्यकतानुसार अपने कार्य योजना में उससे समायोजित करना ।

ऑपरेशन सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

- प्राथमिक उद्देश्य पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रत्यक्ष कार्यों के प्रबंधन की जिम्मेदारी,
- आवश्यकतायें निश्चित करना एवं अतिरिक्त संसाधन के लिए संबंधित विभागों को अनुरोध करना,
- उपलब्ध संसाधनों की सूची की समीक्षा करना और संसाधनों के वितरण के लिए अनुशंसा करना,
- इंसिडेंट कमांडर को सभी विशेष गतिविधियों और घटनाओं का प्रतिवेदन देना ।

योजना सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

- किसी सहायता के संबंध में सूचना संग्रह करना, उनका मूल्यांकन करना, प्रसार करना तथा उपयोग करना, अद्यतन स्थिति की जानकारी लेना ।
- वैकल्पिक योजना बनाना तथा सभी कार्यों का नियंत्रण करना ।
- तात्कालिक कार्ययोजना निर्माण का परिवेक्षण करना ।
- आवश्यकतानुरूप आपदा क्षेत्र में कार्यरत किसी अधिकारी को नया कार्य सौंपना ।

- घटना के प्रत्युत्तर के लिए किसी विषिष्ट संसाधन की जरूरत तय करना ।

रसद सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

- योजना सेक्शन के लिए संसाधन हेतु आवश्यक सूचना एवं प्रतिवेदन तंत्र स्थापित करना ।
- हादसा की अद्यतन स्थिति की जानकारी का संकलन एवं प्रदर्शन करना ।
- घटना विनियोजन योजना के तैयारी एवं कार्यान्वयन की देख-रेख करना ।
- यातायात, चिकित्सा, सुरक्षित क्षेत्र और संचार आदि को योजनाओं में शामिल कर इनकी समीक्षा करना ।
- अद्यतन स्थिति एवं संसाधन उपलब्धता पर मीडिया को जानकारी देना, लक्ष्य तय करना कार्य क्षेत्र सीमा निर्धारण करना, कार्य समूह निर्माण करना, प्रत्येक विभाग के लिए रणनीति एवं सुरक्षा निर्देश तय करना, नक्शा तैयार करना, प्रतिवेदन स्थल तय करना, संसाधनों को उचित स्थान पर रखवाना और कर्मचारियों को अनुशासन में रखना आदि भी रसद सेक्शन के मुख्य काम है।
- कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपना।
- अपने कार्य के लिए पूर्व नियोजित एवं भावी कार्य संचालन के लिए आवश्यक सेवा एवं जरूरतों को चिन्हित करना ।
- अतिरिक्त संसाधन के लिए प्रक्रिया अनुरोध शुरू करना और इसके लिए समन्वय करना ।

वित्त सेक्शन प्रभारी के मुख्य कार्य –

वित्त सेक्शन मूलतः प्रशासन एवं वित्त प्रबंधन के लिए है। इंसिडेंट कमांड पोस्ट, आधार कार्यालय क्षेत्र, आधार कार्यालय और शिविरों का प्रबंधन, वित्त सेक्शन के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत है। वित्त सेक्शन के अंतर्गत निम्न कार्य है:-

- संसाधनों की उपलब्धता एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंधन करना,
- आइसी को संसाधन उपयोग के लिए आवश्यक योजना बनाने की जबाबदेही देना एवं आकस्मिकता के लिए संसाधन की स्वीकृति देना।

3.10 जिला नियंत्रण केन्द्र –

जिला नियंत्रण केन्द्र जिला कलेक्टर के नियंत्रण अंतर्गत एक प्राथमिक केन्द्र में कार्य करेगा । इसके गठन के उद्देश्य-

- निगरानी करना
- समन्वय करना

- आपदा प्रबंधन की कार्यवाही को लागू करना

यह कक्ष वर्षभर कार्यरत रहता है एवं विभिन्न विभागों को आपदा के समय कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करता है। जिला आपदा समिति निम्नलिखित है –

क्रं.	आपदा नियंत्रण कक्ष	अधिकारी	दूरभाष / मोबाईल
1	राज्य स्तर	श्री एन. के –खाका, सचिव, राजस्व एव आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, अटल नगर रायपुर	0771-2223471
2	जिला स्तर	श्री मो कैसर अब्दुल हक (आई0ए0एस0)कलेक्टर जिलाध्यक्ष, कोरबा	07759-222886 फैक्स –224200
		श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया अति. कलेक्टर कोरबा	मोबा 0नं0 9425538762
		श्रीमती कमलेश नंदनी साहू डिप्टी कलेक्टर	मोबा0नं0 7869102898
3	तहसील स्तर	श्री तुलाराम भारद्वाज तहसीलदार कोरबा	मोबा0नं0 89590 -58920
		श्री अमित बेक तहसीलदार कटघोरा	मोबा0नं0 86599-66210
		श्री सुरेश साहू तहसीलदार करतला	मोबा0नं0 75870-30552
		श्री घनश्याम सिंह तंवर तहसीलदार पोंडीउपरोड़ा	मोबा0नं0 79871-00655
		श्री शशिकांत कुर्रे तहसीलदार पाली	मोबा0नं0 96910- 53879
4	नगर निगम	एम.के. वर्मा , कार्यपालन अभियंता, नगर निगम	मोबा0नं0 9752094116

		कोरबा	
5	चिकित्सा विभाग	डॉ. पी.एस. सिसोदिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	9425548449
6	जिला सेनानी, नगर सेना	श्री अशोक वर्मा	9425227081
7	पुलिस नियंत्रण कक्ष, सिविल लार्डन	श्री मयंक श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक	07759-224500

तालिका 44: जिला नियंत्रण केन्द्र

वैकल्पिक नियंत्रण कक्ष –

किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने के लिये जिले स्तर पर आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है। किन्तु आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र के साथ आपदा के समय सुचारु रूप से संचालन के लिए जिला सेनानी, नगर सेना, पुलिस विभाग, में भी वैकल्पिक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है।

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं –

पुलिस बल तथा अग्निशमन सेवाएं, आपदाओं में तत्काल कार्यवाही करेंगे। बहु – जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिये पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाता है।

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स –

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावकारी भूमिका अदा की जाती है। सामुदायिक तैयारी तथा जन-जागरूकता में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी आपदा के आने पर उनके द्वारा तत्काल उचित कार्यवाही किया जाता है।

सूचना एवं चेतावनी एजेंसी –

सभी प्रकार की आपदाओं के लिये पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किये जाने, उन्नयन किये जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की मॉनीटरिंग तथा निगरानी करने के लिये जिम्मेदार नोडल एजेंसियां, प्रौद्योगिकीय अंतरों की पहचान करेगी तथा उनके उन्नयन के लिये परियोजनाओं का प्रतिपादन करेगी ताकि समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके।

क्रं.	आपदा	आपदाओं की संभावित अवधि	आपदा से प्रभावित जिले तहसील	गंभीरता का स्तर	तैयारी निगरानी उपाय	समय सीमा	हितधारक
1	शीत लहर	दिसम्बर-जनवरी	सरगुजा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	नवंबर का पहला सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			बलरामपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोडागांव, कांकेर	मध्य	सलाह जारी करना	नवंबर का दूसरा सप्ताह	IMD, NDMA, NIDM, WHO, MoHRD, MoHFW, MoUD, MoPR, MoRD, MoAFW.
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	MD, SDMA, Health Department, Education Department, Municipal Corporations, Women and Child Development, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry, Labour, Forest and Food department etc.
					नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जनवरी का पहला सप्ताह	
			2	हीट वेव-हीट स्ट्रोक	अप्रैल-जून	बिलासपुर, बलोदा बाजार, रायपुर, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, कबीरधाम और कांकेर	उच्च
धमतरी, राजनांदगाँव, रायगढ़, कोरबा, सुकमा और दंतेवाड़ा	मध्य	सलाह जारी करना				मार्च का तीसरा सप्ताह	IMD, NDMA, NIDM, , MoHFW, WHO, MoHRD, MoWR, MoUD, MoPR, MoRD, MoL&E, DRM (Railway)
अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान				मार्च का तीसरा सप्ताह	राज्य स्तर पर
		सोशल मीडिया जागरूकता अभियान				मार्च का अंतिम सप्ताह	MD, SDMA, Health Department, Education Department, Municipal Corporations, Women and Child
		वीडियो कॉन्फ्रेंस के				अप्रैल का पहला	

					माध्यम से तैयारी की समीक्षा	सप्ताह	Development, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry, Labour, Forest and Food department etc.
					नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	मई का दूसरा सप्ताह	
3	जंगल की आग	अप्रैल-जून	बीजापुर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	नवंबर का पहला सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			बस्तर, जशपुर, गरियाबंद , कोंडागांव और धमतरी	मध्य	सलाह जारी करना	नवंबर का दूसरा सप्ताह	MoEF&CC, MHA, NRSC, MoRD, MoRTH
			नारायणपुर, कांकेर, मुंगेली और रायगढ़	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	नवंबर का दूसरा सप्ताह	Forest, SDRF, SDMA, PHED, PWD, Agriculture, Horticulture, Animal and Husbandry Department
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	दिसंबर का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जनवरी का पहला सप्ताह	

4	आकाशीय बिजली	जून-सितम्बर	कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, बस्तर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगाँव, कोंडागाव बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा	मध्य	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	राज्य स्तर पर

					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	
5	बाढ़	जून-सितम्बर	बस्तर, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकर जांजगीर-चांपा और रायगढ़	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			सूरजपुर, कोंडागाव, गरियाबंद, बालोद, दुर्ग बलौदबाजार, बीजापुर, नारायणपुर, धमतरी और राजनांदगांव	मध्य	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
				निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
		नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में				
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	

6	शहरी बाढ़	जून-सितम्बर	रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर और कांकेर	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			जांजगीर-चांपा, मुंगेली और कोरबा	मध्य	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	जून का पहला सप्ताह	
नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में						
मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह						
7	लैंडस्लाइड-मडस्लाइड	जून-सितम्बर	कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	अप्रैल का तीसरा सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा,	मध्य	सलाह जारी करना	मई का पहला सप्ताह	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, MoP, MI&CT, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries.
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	मई का पहला सप्ताह	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	मई का दूसरा सप्ताह	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की	जून का पहला सप्ताह						

					समीक्षा		Department and Education.
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	प्रत्येक माह के पंद्रह दिनों में	
					मध्यावधि समीक्षा	जुलाई का दूसरा सप्ताह	
8	सूखा	जुलाई -अक्टूबर	बेमेतरा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगाँव, नारायणपुर, कांकर, कोंडागाँव, धमतरी और कबीरधाम	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	मई का पहला सप्ताह	केंद्र स्तर पर
			कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, IMD, MNCFC, CRIDA, MoWR, RD & GR, ISRO, SRSACs
			सरगुजा, सुकमा, बस्तर	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Relief Commissioner, Agriculture Department , Irrigation Department, PHED, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Department of Education
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	नवंबर का पहला सप्ताह	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
मध्यावधि समीक्षा	नवंबर का पहला सप्ताह						
9	सड़क दुर्घटना	वर्ष भर	रायगढ़, जांजगीर- चांपा, बलरामपुर, कोरबा, रायपुर,	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर

			जशपुर, बस्तर, कांकेर, राजनांदगाँव, दुर्ग, मुंगेली, कोंडागाँव, सरगुजा, बिलासपुर, सूरजपुर,					
			बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, बालोद, सुकमा, कवर्धा	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoRTH, MoUD, NDMA, NIDM	
			नारायणपुर, दंतेवाडा, बीजापुर, गरियाबंद, बेमेतरा, कोरिया	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर	
						सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Transport Department, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Department of Education
						वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
						नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
						मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
10	आग दुर्घटनाएं	वर्ष भर	बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगाँव, मुंगेली	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर	
			बस्तर, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, बालोद, कांकेर	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoEF&CC, NRSC, MoRD, MoRMHA, NDMA, NIDM	
			सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाडा, जशपुर, कबीरधाम, गरियाबंद, कोंडागाँव	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर	
						सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	Fire Services, Relief Commissioner, SDMA, PHED, PWD, Municipal Corporation
						वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की	पहला सप्ताह (हर महीने)	

					समीक्षा		
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
11	भूकंप	वर्ष भर	रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, बीजापुर, सरगुजा और सूरजपुर	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
				मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	IMD, MHA, NDMA, NDRF, NRSC, MoH&FW, MoUD, MoRD, Ministry of Railway, MoRTH, Ministry of Power, Ministry of Information and Communication Technology, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Food Processing Industries
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, SDRF, Home Department PHED, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Department of Education, PWD
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
			मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)			
12	सर्पदंश	वर्ष भर	बस्तर, सूरजपुर, राजनांदगांव, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ , बिलासपुर, कोरबा, कांकेर , कबीरधाम , कोरिया	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			कोंडागांव, सुकमा ,	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से	NIDM, MoHRD, MoHFW, WHO

			बीजापुर, मुंगेली, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, मुंगेली महासमुंद, गरियाबंद		(हर महीने)		
			नारायणपुर, बेमेतरा, बालोद	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, Forest, Animal Husbandry, Women and Child Department
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
13	नक्सली-घटनायें	वर्ष भर	सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दतेवाड़ा, जशपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकर	उच्च	तैयारी कार्यशाला, बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			राजनंदगाँव, धमतरी, जशपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MHA, Central Armed Forces
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	Home Department, Department of Education,
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
			नियमित वीडियो	नियमित रूप से			

				कांफ्रेंस	(हर महीने)		
				मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह(हर महीने)		
14	महामारी	वर्ष भर	सूरजपुर, रायगढ़, जांजगीर- चांपा, कौंडागांव, सुकमा, बीजापुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, बलौदा बाजार, महासमुंद , धमतरी	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			रायपुर, गरियाबंद, मुंगेली, सरगुजा , जशपुर	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NDMA, NIDM, MoHRD, MoHFW WHO, MoUD, MoRD
			बलरामपुर, कांकेर , नारायणपुर, धमतरी, राजनांदगाँव	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, , PHED, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, WRD, Department of Animal Husbandry, Food and Education Department
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)						
15	पशु संघर्ष	वर्ष भर	सरगुजा, जशपुर, बालोद , धमतरी	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			कौंडागांव, बस्तर, राजनांदगाँव, रायपुर, सुकमा ,बीजापुर	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	MoEF, MoPR, MoAFW
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर

					अभियान		
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, WRD, PHED, PWD, Health Department, Municipal Corporations, Electricity Department, Industrial Deptt., Animal and Husbandry Department and Education.
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
16	भगदड	वर्ष भर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव दंतेवाड़ा, बस्तर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर
			सुकमा, बेमेतरा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बलौदाबाजार	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NIDM, NDMA, NDRF, MoUD, MoRD, MoPR
			अन्य जिले	निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Relief Commissioner, SDRF, Home Department, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, Department of Transport
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)						
17	औद्योगिक दुर्घटनाये	वर्ष भर	रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, बस्तर,	उच्च	तैयारी कार्यशाला , बैठक	हर महीने	केंद्र स्तर पर

			दंतेवाड़ा, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव				
			सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम	मध्य	सलाह जारी करना	नियमित रूप से (हर महीने)	NIDM, NDMA, NDRF, MoEFCC, MoCI, MoSME
		अन्य जिले		निम्न	प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान (हर महीने)	राज्य स्तर पर
					सोशल मीडिया जागरूकता अभियान	वर्ष के दौरान	SDMA, Relief Commissioner, SDRF, State Police, Health Department, Municipal Corporations, Department of Education, DoCI
					वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तैयारी की समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	
					नियमित वीडियो कांफ्रेंस	नियमित रूप से (हर महीने)	
					मध्यावधि समीक्षा	पहला सप्ताह (हर महीने)	

तालिका 45: आपदाओं का वार्षिक कैलेंडर

खण्ड – 2

क्रं.	विषय	पेज संख्या
1	योजना तैयारी	1-17
1.1	सामान्य तैयारियों एवं उपाय	1-4
1.1.1	नियंत्रण कक्ष की स्थापना	1-2
1.1.2	योजनाओं का नवीनीकरण	3
1.1.3	संचार तंत्र	3
1.1.4	आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण	3
1.1.5	अनुकर्णीय अभ्यास व्यवस्थापन	3
1.1.6	विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता	4
1.2	पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया	4-5
1.3	तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया (पूर्व चेतावनी प्रणाली के पश्चात तत्काल प्रक्रिया)	5-6
1.4	आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)	7
1.5	आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र	7-8
1.6	सामान्य तैयारी चेकलिस्ट	8-9
1.7	विभिन्न लाइन विभागों के लिए तैयार चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)	9-17
2	रोकथाम और न्युनीकरण के उपाय	18-26
2.1	खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय	18-26
2.1.1	खतरा : बाढ़	19-20
2.1.2	खतरा: सूखा	21-22
2.1.3	जोखिम: सड़क दुर्घटनाएँ	22-23
2.1.4	जोखिम: महामारी	24
2.1.5	खतरा: आग	25
2.1.6	जोखिम: लू	26
3	आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना	27-39
3.1	क्षमता निर्माण	27
3.2	आपदा जोखिम न्युनीकरण (डी.आर.आर.) के लिए सुझाव	28-32
3.3	विकास की राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी-आर-आर- मुख्य धारा में	33-35
3.4	विकास की राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी-आर-आर- मुख्य धारा में	36-39
4	जलवायु परिवर्तन क्रियाएं	40-46
5	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय	47-51
5.1	क्षमता निर्माण	47
5.2	संस्थागत क्षमता निर्माण	47-48
5.3	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)	48
5.4	भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	49-50

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1: पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया	5
2	तालिका 2: तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डीडीएम के समन्वय तंत्र (प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने के तुरंत बाद)	6
3	तालिका 3: आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)	7
4	तालिका 4: आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र	8
5	तालिका 5: विभिन्न लाइन विभागों के लिए चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)	17
6	तालिका 6: बाढ़ खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	19
7	तालिका 7: बाढ़ खतरा के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	20
8	तालिका 8: सूखा खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	21
9	तालिका 9: सूखे के खतरे के लिए गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय	22
10	तालिका 10: सड़क दुर्घटना के खतरा हेतु संरचनात्मक निवारण उपाय	22
11	तालिका 11: सड़क दुर्घटना खतरा के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	23
12	तालिका 12: महामारी खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	23
13	तालिका 13: महामारी खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	24
14	तालिका 14: आग के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	24
15	तालिका 15: आग के खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	25
16	तालिका 16: लू के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय	25
17	तालिका 17: लू के खतरे के लिये गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय	26
18	तालिका 18: डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल	32
19	तालिका 19: विकास राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में	35
20	तालिका 20: विकास की राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में	39
21	तालिका 21: जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित गतिविधियाँ	45
22	तालिका 22: जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल	46
23	तालिका 23: प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ	50
24	तालिका 24: सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन	51

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1: जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र	2

1. योजना की तैयारी

इस योजना का उद्देश्य आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार, समुदायों और व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से संलग्न होना है जिससे आपदा के समय किसी भी परिस्थितियों में समन्वित तरीके से तत्काल प्रतिक्रिया मिल सके। लोगों के जीवन और पूंजी-संपत्ति को बचाने हेतु आपदाओं के संभावित प्रभाव को कम करना अनिवार्य है। हर लाइन विभाग ने संवेदनशीलता, खतरों और समुदाय की क्षमताओं और असुरक्षित समूहों का मानचित्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपातकाल के दौरान तैयारी की गतिविधियों को प्राथमिकता दी है।

जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया के दौरान संस्थाओं और संसाधनों की क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाना इसका लक्ष्य है। कोरबा की जिला आपदा प्रबंधन योजना, समुदायों और विभिन्न हितधारकों की मदद से तैयार की गई है।

1.1 सामान्य तैयारियों एवं उपाय –

1.1.1 नियंत्रण कक्ष की स्थापना –

जिला प्रशासन की एक अलग आपदा प्रबंधन समिति होती है। जिला कलेक्टर और सीईओ, जो आपदा के कार्यों में केन्द्र बिंदु की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं, साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष की निगरानी करते हैं। जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थापना के बाद सभी नियंत्रण कक्ष काम करते रहें।


नियंत्रण कक्ष द्वारा चेतावनी के प्रचार-प्रसार, राहत व बचाव कार्यों की निगरानी, तैयारियों का आकलन, मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तैयार करने, आपदा संवेदनशीलता का आकलन, समुदाय आधारित जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, अनुकूलनीय अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता फैलाना आपदा तैयारियों के बारे में नजर रखा जाता है। वर्तमान में, राजस्व विभाग अन्य सम्बंधित विभागों के साथ समन्वय कर नियंत्रण कक्ष संचालित करता है।

➤ नियंत्रण कक्ष की तैयारी –

- आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी ।
- जिला नियंत्रण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का उचित प्रचार-प्रसार ।
- आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मौसम पर नजर रखना, और समय-समय पर चेतावनी देना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य होने से रोकें।
- सभी सार्वजनिक संस्थानों, एनजीओ/निजी क्षेत्र संगठनों के संपर्क विवरण को बनाए रखना, जिससे आपातकाल के दौरान प्रयोग में लाया जा सकें ।

- योजनाओं की तैयारी में जीआईएस और आर.एस. जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।
- संवेदनशील क्षेत्रों के रिकॉर्ड, बचाव और राहत कार्यों की निगरानी, निर्णय लेना और डेटाबेस आदि का प्रबंधन करना।
- जिले में स्थिति के अनुसार जिला नियंत्रण कक्ष प्रणाली का सुधारीकरण, नवीनीकरण करना और संसाधनों की एक सूची बनाए रखना।
- जलवायु, बाढ़, हवा की गति और पिछले आपदाओं के इतिहास की आवृत्तियों के आंकड़ों के साथ-साथ नक्शे का रिकॉर्ड अद्यतन करना।
- विभिन्न कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और स्कूल शिक्षा और समुदायों में प्रभावी सार्वजनिक जागरूकता लाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि योजनायें सबसे निचले स्तर तक पहुँच गई हैं।
- विभिन्न ग्राम पंचायतों और गांवों की आपदा से खतरों पर विभागों से नियमित आधार पर जानकारी प्राप्त करें।

जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र :



प्रवाह चित्र 1 - जिला नियंत्रण कक्ष प्रवाह चित्र

1.1.2 योजनाओं का नवीनीकरण –

विभिन्न हितधारकों, गैर-सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र संगठनों, समुदायों से प्रतिक्रिया दस्तावेज जिला आपदा प्रबंधन योजना में सुधार के सुझावों पर विचार करने के लिए डी.डी.एम.पी. को प्रतिवर्ष डी.एम. एक्ट 2005 के अनुसार हर प्रतिवर्ष अपडेट किया जाना चाहिए।

1.1.3 संचार तंत्र –

उप-विभाजन, तहसील या ब्लॉक के मामले में, सम्बंधित मुख्यालयों, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार, विकासखण्ड मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), घटना कमांडर (आईसी) के रूप में अपने सम्बंधित बचाव दल आईआरटी में और ऑपरेशंस सेक्शन चीफ (ओएससी) का चयन जिले में आपदाओं के रूप के अनुसार किया जायेगा। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि आई. आर.टी. जिला, उप-प्रभाग, तहसील या ब्लॉक स्तर पर और आपदा अधिनियम (डीएम एक्ट), 2005 की धारा 31 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना में एकीकृत आईआरएस का गठन किया गया है। यह मौजूदा पुलिस, अग्नि शमन तथा मेडिकल सपोर्ट सिस्टम के आपातकालीन नंबर को सुनिश्चित कर सकता है जो कि प्रतिक्रिया, आदेश और नियंत्रण के आपातकालीन संचालन केंद्र (ई.ओ.सी.) से जुड़ा हुआ है।

1.1.4 आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण –

आपदा प्रबंधन समितियों की क्षमता में वृद्धि, प्रशिक्षण और कौशल का विकास महत्वपूर्ण है। डीएमटी में सदस्यों के समूह शामिल हैं, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष स्वयंसेवक होते हैं। आपदा जोखिम में कमी और शमन योजना के लिए प्रशिक्षण नियमित प्रक्रिया होना चाहिए। डीएमटी को जिला स्तर पर आपदा की स्थिति में खोज व बचाव और प्राथमिक चिकित्सा टीमों के लिए विशेष कार्य सौंपा जाता है।

1.1.5 अनुकर्णीय अभ्यास व्यवस्थापन –

संवेदनशील क्षेत्रों के समन्वय के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं पर अनुकर्णीय अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इससे तैयारियों को प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने में भी मदद मिलती है। स्कूलों और कालेजों में भी डीएम प्लान और नियमित अनुकर्णीय अभ्यास की नियमित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए।

1.1.6 विभिन्न आपदाओं पर सामुदायिक जागरूकता –

सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम समुदायों को सभी स्तरों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए घर से जिला स्तर तक आपदाओं के लिए तैयार करने में मदद करता है। आपदा के समय जिला प्रबंधन समिति हर घर और हर गाँव तक तुरंत पहुंच नहीं सकती है। समुदाय किसी भी दुर्घटना का पहला उत्तरदाता है और अपने जोखिम और कमजोरियों को कम करने के लिए कुछ परंपरागत तकनीकों का विकास करता है। एक आम क्षेत्र में रहने वाले समुदायों में युवाओं, महिलाओं, पुरुषों, छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न हितधारकों का समावेश होता है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों, गांवों, वार्ड, मलिन बस्तियों जैसे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक साथ रहते हैं। आपदा के प्रति सामुदायिक जागरूकता समुदाय को उसकी शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए जिम्मेदार बना सकती है। किसी भी आपदा तैयारियों और जागरूकता में समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण कारक होती है।

1.2 पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया

आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन योजना पिछले अनुभवों के साथ-साथ जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए सुझावों और जानकारियों पर भी आधारित होती है। पूर्व और बाद के आपदा के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए रणनीति विकसित की गई है। जिले में उप-विभागीय और जिले के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं जो क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम करते हैं। वे बचाव और राहत कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, और जिला मजिस्ट्रेट के प्रत्यक्ष आदेश के तहत दैनिक रूप से स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
जिला स्तर समिति के साथ समन्वय	गोदाम और खाद्य भंडारण के लिए राहत और प्रतिक्रिया संबंधी एहतियाती उपाय करना	जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र
कमजोर अंक का मानचित्रण	कमजोर स्पॉट का नियमित मानचित्रण निवारक उपायों की योजना और कार्यान्वयन पूर्व चेतावनी	वरिष्ठ उप कलेक्टर, सीईओ (जनपद पंचायत), कार्यकारी अभियंता
आवश्यक वस्तुएं	ग्राम पंचायत में अनाज, मिट्टी के तेल, ईंधन का भण्डार	सी.ई.ओ. (जनपद पंचायत), बीडीओ

आश्रय का चयन	आपातकाल की अवधि के दौरान व्यवस्थित आश्रय	अतिरिक्त कलेक्टर, सी.ई.ओ. (जनपद पंचायत) के माध्यम से और स्थानीय लोग
दवाई, मोबाइल टीमों की स्थापना, महामारी प्रवण क्षेत्रों की पहचान	दवाओं का एक स्टॉक रखते हुए कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल	सी.एम.ओ., सिविल सर्जन
पशुओं के लिए भोजन और चारा की व्यवस्था करना	स्टॉक बनाए रखना	पशु चिकित्सा सहायता सर्जन (वी.ए.एस.), (पशुपालन)
अनुकर्णीय अभ्यास का आयोजन	<ul style="list-style-type: none"> जागरूकता पैदा करना प्रशिक्षण की तैयारी 	जिला स्तर के अधिकारी

तलिका 1: पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया

1.3 तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया (पूर्व चेतावनी प्रणाली के पश्चात तत्काल प्रक्रिया)

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
सूचना का संग्रह	आई.एम.डी./एसआरसी नियंत्रण कक्ष/ डी.ई.ओ.सी. से	डीईओसी
सूचना प्रसार	डीईओसी से सभी लाइन विभाग	डी.ई.ओ.सी., लाइन विभाग के प्रमुख, उप जिलाधिकारी, जनसम्पर्क. विभाग
तत्काल स्थापित करने और नियंत्रण कक्ष बचाव और निकासी के कामकाज	निकास आश्रयों की पहचान रसद आपूर्ति	नागरिक रक्षा इकाई, पुलिस विभाग सशस्त्र बलों, अग्निशमन अधिकारी, फायर ऑफिस, रेड-क्रॉस टीम बचाव किट के साथ तैयार है जो उन्हें डी.ई.ओ.सी. के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है
मुफ्त रसोईघर की व्यवस्था	बचाए गए लोगों को तत्काल	बीडीओ/सी.डी.पी.ओ./गैर

	भोजन देने का प्रावधान	सरकारी संगठन
स्वच्छता और दवाएं	महामारी और संक्रमण की रोकथाम	पी.एच.ई. के मुख्य कार्यपालन अभियंता तथा सिविल सर्जन
प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री की दुलाई सुनिश्चित करना	प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की समय पर पहुंच सुनिश्चित करना	डी.एस.ओ./ एस.डी.एम./आर.टी.ओ.
जीवन और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना	असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम	डीएसपी/ इंस्पेक्टर/ प्रभावित ब्लॉक के एसआई, गैर सरकारी संगठन
सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना	महामारी की स्थापना की जाँच करना	मुख्य कार्यपालन अभियंता, पी.एच.ई. सी.एम.एच.ओ.
स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 24 घंटे में क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की बैठक	बेहतर समन्वय	डीएम, जिला स्तर पर डीसी, उप प्रभागीय स्तर पर एसडीएम
ईओसी के मुख्य समूह द्वारा सूचना का संग्रह और संबंधित अधिकारियों की दैनिक रिपोर्टिंग करना	क्षेत्र, जिला और राज्य नियंत्रण कक्ष के बीच त्रिकोणीय सम्बन्ध	ईओसी के कोर समूह/ लाइन विभागों के अधिकारी
वाहनों की अनुमानित संख्या— हल्के/ मध्यम/ भारी	राहत कार्यों के लिए सुगम परिवहन सुनिश्चित करना	डी.टी.ओ .
सड़क क्लीनर/ और अन्य आवश्यक उपकरण की व्यवस्था करना	<ul style="list-style-type: none"> • सड़कों की सफाई • गिरे हुए पेड़ों को हटाना • मलबे आदि को साफ करना 	डी.टी.ओ. कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता—नगर पंचायत
जनरेटर से भरे हुए ट्रकों की व्यवस्था करना	आपदा खत्म हो जाने के तुरंत बाद क्षेत्र में जाना	डी.टी.ओ.

तलिका 2: तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डीडीएम के समन्वय तंत्र (प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने के तुरंत बाद)

1.4 आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली) –

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
आपदा के तुरंत बाद कार्यवाही के लिए तैयार हो जाना	फंसे और घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए	सभी लाइन विभाग और हितधारक
नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यात्मक	आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए	जिला नियंत्रण कक्ष, सभी लाइन विभाग, सी.ई.ओ.
प्रावधानों के अनुसार राहत का वितरण	जीवित रहने के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना	एस.डी.एम., सी.ई.ओ., गैर सरकारी संगठन

तालिका 3: आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)

1.5 आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र –

तैयारी	उद्देश्य	द्वारा शुरू किये गए कार्य
प्रावधानों के अनुसार राहत वितरित करना	जीवित रहने के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना	एस.डी.एम., बी.डी.ओ., सी.ई.ओ., गैर सरकारी संगठन
क्षति का आकलन	सरकार को वास्तविक क्षति रिपोर्ट करना	सभी लाइन विभाग, सी.ओ., कार्यपालन अभियंता, उप कलेक्टर
बाह्य एजेंसियों द्वारा राहत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन	राहत प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखना	डी.एम., एस.डी.एम.
सड़क और रेलवे नेटवर्क की पुनर्स्थापना	समय पर और शीघ्र वितरण राहत वस्तुओं का परिवहन, बचाव दल की तैनाती	संबंधित विभागों के कार्यपालन अभियंता, सैन्य और अर्ध-सैनिक बल, पुलिस
इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली को बहाल करना	उचित समन्वय सम्बन्ध सुनिश्चित करना	बीएसएनएल, पुलिस संकेतों के विशेषज्ञ

प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त रसोईघर की तत्काल व्यवस्था	भूखमरी से बचना	उप कलेक्टर, बी.डी.ओ, लाइन विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
संपूर्ण घटना का लिखित, ऑडियो, विडियो	रिपोर्टिंग प्रयोजनों और संस्थागत मेमोरी के लिए	एस.डी.एम., सी.ई.ओ.
निगरानी	राहत कार्यों की समीक्षा करने और बाधाओं को दूर करने के लिए	डी.एम., डी.सी., एस.डी.एम.

तालिका 4: आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र

1.6 सामान्य तैयारी चेकलिस्ट –

1. कलेक्टर (डीडीएमए के अध्यक्ष) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाइन विभाग द्वारा तैयार जांच सूची का पालन किया जाए और मासिक बैठकों में इसकी स्थिति की चर्चा की जावे।
2. प्रत्येक लाइन विभाग के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा तैयार चेकलिस्ट के अनुसार विधिवत किसी भी आपातकालीन/आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।
3. प्रत्येक लाइन विभागों के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची तिमाही आधार पर बनाए व अद्यतन किया जाए और इसे जिला राजस्व अधिकारी को जमा कर दिया जाए।
 - अपने विभाग के मानव संसाधनों में उनके अपडेट किए गए संपर्क नंबरों के साथ कोई भी परिवर्तन जोड़ना, यदि कोई हो।
 - प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों से उपकरण सूची तथा सम्बंधित संसाधनों को जोड़ना।
4. जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ) की सहायता से तिमाही आधार पर जिला प्रशासन और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) की वेबसाइट पर इसे अपडेट और अपलोड किया गया है।
5. प्रत्येक लाइन विभागों के नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन गतिविधि के लिए संसाधन/उपकरण की मांग के बारे में जो कि सरकारी और निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध न हो, सीधे कलेक्टर को रिपोर्ट करेंगे।

6. डीएमए निम्नलिखित सुविधाओं के साथ आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करेगा

- योजना और रसद अनुभाग प्रमुख और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह
- लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन, वॉकी-टॉकी, हैमर रेडियो, प्रिंटर सुविधा के साथ कंप्यूटर/ लैपटॉप, ईमेल सुविधा, फैक्स मशीन, टेलीविजन इत्यादि सहित पर्याप्त संचार उपकरणों के साथ नियंत्रण कक्ष के लिए पर्याप्त जगह।
- एलसीडी, कंप्यूटर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ बैठक, सम्मेलन, मीडिया ब्रीफिंग के लिए उचित जगह सुनिश्चित करें।

जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची और पड़ोसी जिलों (कोरिया ,सूरजपुर, सरगुजा ,जांजगीर ,रायगढ़ ,बिलासपुर) का एक नोट, राज्य की आपदा प्रबंधन संसाधन सूची की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

- जिला आपदा प्रबंधन योजना की उपलब्धता।

1.7 विभिन्न लाइन विभागों के लिए तैयार चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.) –

विभागवार तैयार चेकलिस्ट

विभाग	तैयार चेकलिस्ट
डी.डी.एम.ए.	<ul style="list-style-type: none"> • सभी तहसीलों में वर्षा मापी यंत्र की नियमित निगरानी और वर्षा में वितरण और विविधता के लिए डेटाबेस अद्यतन करना। • हर साल 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण आदेश तैयार करना और तहसीलदार, सरपंच, पटवारी आदि के माध्यम से गांव के स्तर पर प्रारंभिक चेतावनी के लिए उचित तंत्र सुनिश्चित करना। • पूरी तरह से कार्यात्मक संसाधनों और बचाव उपकरणों की उपलब्धता के साथ डीईओसी के उचित कार्य पद्धति सुनिश्चित करें। • महत्वपूर्ण और जीवन रक्षा बुनियादी ढांचे के डेटाबेस की तैयारी, निकासी के लिए सुरक्षित स्थान और सालाना जिले में राहत शिविरों की अद्यतन सूची। • नुकसान के लिए विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों से सक्षम व्यक्तियों/ विशेषज्ञों की पहचान करें और आपदा के पश्चात की जरूरतों का मूल्यांकन करें। • जिले में स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय रखें और पीड़ितों या मृतकों के परिवारों को मुआवजे के वितरण के लिए उचित तंत्र तैयार करें।
कृषि	<ul style="list-style-type: none"> • कृषि आकस्मिक योजनाओं की तैयारी और कीट उपद्रव, सूखा, बाढ़ और अन्य खतरों से ग्रस्त कमजोर क्षेत्रों की पहचान।

	<ul style="list-style-type: none"> • जिला स्तर पर एक मौसम/सूखा निगरानी समिति का गठन (सूखे प्रबंधन के लिए "मॉडल मैनुअल", भारत सरकार के अनुसार) कृषि इनपुट, क्रेडिट विस्तार इत्यादि से, संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ गठित करना। • किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उनके द्वारा नए कृषि प्रथाओं, वैकल्पिक फसल प्रथाओं, बीजों का उचित भंडारण और आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा सके। • खतरे के लिए कमजोर क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से टूटे/गैर-कार्यशील गैजेट/उपकरण और अन्य कृषि इनपुट के तत्काल प्रतिस्थापन के लिए बीजों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। • मिट्टी, फसल, वृक्षारोपण, जल निकासी, तटबंध, अन्य जल निकायों और भंडारण सुविधाओं के कारण होने वाली क्षति जो कृषि गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है, के आकलन करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जीत टीम तैयार करें। • किसानों को फसल बीमा, मुआवजों, कृषि उपकरणों की मरम्मत और जल्द से जल्द कृषि गतिविधियों को बहाल करने के बारे में समय-समय पर जानकारी प्रदान करने में सहायता करें। • फीड और चारा के स्रोतों की पहचान करें।
<p>पशुपालन</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बीमार और स्वस्थ जानवरों को अलग करना और संक्रामक बीमारियों से पीड़ित जानवरों को खिलाने और पानी के लिए व्यवस्था करना। उपरोक्त समस्याओं के लिए किसानों/मालिकों को संवेदनशील बनायें। • जगह पर उचित कीटाणुशोधन सुनिश्चित करें, संक्रामक बीमारियों से बीमार/संक्रामित और मृत जानवरों के लिए वाहन और जनशक्ति को शामिल करें और निपटान में पूरी तरह कार्यात्मक पशु चिकित्सा इकाई को सक्रिय करें। • जानवरों की देखभाल के लिए काम कर रहे पशु चिकित्सा अस्पतालों/क्लीनिकों और एजेंसियों का डेटाबेस तैयार करें, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। • पहले ही फीड बैंकों को भरने के साथ-साथ मिनरल्स और खाद्य की खुराक, जीवनरक्षक दवाओं, इलेक्ट्रोलाइट्स, टीकों आदि के स्टॉक की उपलब्धता की जांच करें। • मॉनसून की शुरुआत से पहले किसानों को पशुओं के चारा की सुरक्षा के बारे में संवेदनशील बनाना। • सूखे की स्थिति के लिए कुक्कुट पक्षियों की फीड तैयार करें और मॉनसून के

	<p>दौरान जलमग्न की स्थिति में फीड और चारा बैंकों का पता लगाएं।</p> <ul style="list-style-type: none"> • चारा की खरीद के लिए स्रोत की पहचान करें और जिले के भीतर चारा डिपो और मवेशी शिविरों के लिए सुरक्षित स्थान और पीने एवं बढ़ने वाले चारे के लिए पानी का स्रोत प्रदान करें। • गर्मी और शीत लहरों के दौरान शेड को कवर करने के लिए तिरपाल शीट का उपयोग करें। • उत्पादक और स्तनपान करने वाले जानवरों की विशेष देखभाल करना, अतिरिक्त चारा और अन्य आवश्यकताओं के साथ। • मवेशी, भेड़, बकरियों, और सूअरों के लिए डी-वर्मिंग और टीकाकरण के उचित प्रशासन सुनिश्चित करें और रोग प्रबंधन के लिए अन्य उचित उपाय करें। • मृत जानवरों के दफन के लिए जगह की पहचान करें और शव का उचित निपटान सुनिश्चित करें।
<p>शिक्षा</p>	<ul style="list-style-type: none"> • छात्रों, शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य सहायकों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करें। आपात स्थिति में विभिन्न खतरों और सुरक्षित निकासी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन कार्यक्रमों को केंद्रित करें। • नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा के अनुसार स्वच्छता बढ़ाने वाली गतिविधियों का संचालन करें। • प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा किट की तैयारी। • आपात स्थिति के मामले में राहत आश्रय के रूप में कार्य करने वाली स्कूलों और कॉलेजों की पहचान करना।
<p>सी.एस.ई.बी.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • जिले में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का डेटाबेस तैयार करें और उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार करें। • प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए और तत्काल प्रतिस्थापन/बिजली आपूर्ति प्रणाली के लिए प्रावधान करें। • बाढ़ के पानी निकास और रोशनी के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में शॉर्ट नोटिस पर विद्युत कनेक्शन और सिस्टम प्रदान करना। • जब भी आवश्यक हो तत्काल कार्रवाई के लिए ट्रांसफॉर्मर, खम्बों, कंडक्टर, केबल्स, इंसुलेटर इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के पर्याप्त स्टॉक की

	<p>उपलब्धता सुनिश्चित करें।</p>
अग्नि सेवाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● अग्निशमन उपकरण, और श्वसन उपकरण की कार्यात्मकता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करें। ● स्कूलों, अस्पतालों, अपार्टमेंट, मनोरंजन क्षेत्रों, मॉल, सिनेमाघरों जैसी सभी महत्वपूर्ण इमारतों में चमकते संकेत के साथ स्पष्ट और उचित स्केच किए गए मानचित्रों और चिन्हित निकासी मार्गों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, निकासी योजनाओं आदि के अनुसार नियमित निकासी अभ्यासों (evacuation plan) की व्यवस्था करें। ● निजी एजेंसियों और अग्निशमन स्टेशन के साथ प्रदान की गई मौजूदा अग्निशामक सेवाओं और सुविधाओं का डेटाबेस बनाएं
खाद्य सामग्री	<ul style="list-style-type: none"> ● जिले में गोदामों और शीत भंडारण सुविधाओं का डेटाबेस तैयार करें और जलरोधक, आग और अन्य संभावित खतरों के खिलाफ उठाए गए सुरक्षा उपाय तैयार करें। ● कमी या आपातकालीन अवधि के संदर्भ में गोदामों में पर्याप्त अनाज भंडारण की उपलब्धता सुनिश्चित करें और गैस सिलेंडरों, केरोसिन के पर्याप्त स्टॉक की जांच भी करें। ● यदि आवश्यक हो तो अनाज के लिए पूर्व-निर्धारित सुरक्षित स्थान तैयार रखें। ● केरोसिन डिपो, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों आदि का डेटाबेस तैयार करें। ● निजी रीटेलर्स, खाद्य वस्तुओं के थोक व्यापारी, खानपान सेवा के प्रदाता और खराब होने वाले खाद्य वस्तुओं के लिए रेफ्रिजरेटेड वाहनों के प्रदाता का डेटाबेस बनाए रखें। ● टेंट, टैरपोलिन चादरें, खम्बों, खाना पकाने के बर्तन, पॉलिथीन बैग, कफन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निजी प्रदाताओं का डेटाबेस तैयार करें जिनका उपयोग समुदाय रसोई और श्मशान व दफन के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
वन विभाग	<ul style="list-style-type: none"> ● अग्नि बचाव उपकरण और वाहनों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ● प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में होने वाली अपराधिक घटनाओं का निरीक्षण करें। ● जंगल में लगने वाली आग के सम्बन्ध में जानवरों के लिए एक निकासी योजना तैयार करें। ● आरा मशीन धारकों और बढई का डेटाबेस बनाए रखें।

	<ul style="list-style-type: none"> ● जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए टीम तैयार करें ताकि उन्हें रहने वाले क्षेत्रों, राहत शिविरों आदि में प्रवेश करने से रोका जा सके।
<p>आर.टी.ओ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● आग बुझाने वाले यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट इत्यादि सहित वाहन और उपकरण की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ● उपकरण और वाहनों की त्वरित मरम्मत के लिए यांत्रिक टीम (Mechanical Team) तैयार करें, प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों और कंडक्टर की उपलब्धता की जांच करें। ● बचाव कार्यों के लिए वाहनों की पहचान करें और बड़े पैमाने पर निकासी, प्रतिक्रिया टीमों के परिवहन, राहत वस्तुओं, पीड़ितों आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वाहनों की त्वरित तैनाती के लिए तैयार करें। ● संभावित खतरनाक मार्गों से ड्राइवरों को परिचित करना और घटना यातायात योजना का पालन करना। ● स्कूलों, कॉलेजों और अन्य निजी एजेंसियों के साथ उपलब्ध निजी वाहनों का डेटाबेस बनाएं, ताकि यदि आवश्यक हो, तो इसका उपयोग निकासी के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
<p>स्वास्थ्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● आपातकालीन साइटों पर प्रशिक्षित मेडिकल टीमों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक सामग्रियों को तैयार रखने के लिए पैरामेडिक्स की एक टीम तैयार करें। ● सामान्य रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए और विशेष रूप से आपदा की स्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं की योजना विकसित करें। ● स्वच्छता को बढ़ावा प्रदान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए सीएचसी/पीएचसी और पंचायतों की मदद से जागरूकता शिविर आयोजित करें। ● दवाइयों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह, दवाइयों के स्टॉक की उपलब्धता, जीवन रक्षा उपकरण और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, ट्रायेज टैग इत्यादि सहित पोर्टेबल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ● इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों के साथ पंजीकृत डॉक्टरों का डेटाबेस तैयार करें जो सेवाओं और सुविधाओं के साथ उपलब्ध हों तथा इसे सालाना अपडेट करें। ● सरकार, निजी एजेंसियों और जिला रोटरी/लायंस क्लब से उपलब्ध एम्बुलेंस

	<p>सेवाओं का डेटाबेस तैयार करें, यदि कोई हो, ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जिले में रक्त दाताओं का डेटाबेस बनाए रखें और डीडीएमआरआई में इसे अपडेट करें और रक्त इकाइयों की पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता की जांच करें। ● चालक और एम्बुलेंस परिचारिकाओं और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में प्रशिक्षित करें। ● आपदा प्रभावित क्षेत्र के पास अस्थायी अस्पतालों, मोबाइल सर्जिकल इकाइयों आदि की त्वरित स्थापना के लिए तैयारी रखें। ● चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए उचित और सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करें। ● बड़े पैमाने पर दुर्घटना प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था और अस्पताल का विवरण रखें।
सिंचाई	<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर सतही जल निकायों के जल स्तर की निगरानी के लिए उचित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करें। ● झीलों और जलाशयों आदि के नियामक(regulator), तटबंध, इनलेट और आउटलेट (निकासी) की स्थितियों का निरीक्षण। ● नदियों और नहरों पर डी-सिलिंग और ड्रेजिंग और चैनलों की तत्काल मरम्मत। ● डिवाटरिंग पंप समेत सभी उपकरणों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ● प्रभावित पशुधन और कुक्कुट के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करें।
नगर पालिका	<ul style="list-style-type: none"> ● क्षेत्र में बाढ़ के पश्चात की स्थितियों को देखते हुए स्वच्छता संचालन तैयार करें। ● मानसून के मौसम से पहले नालियों की सफाई सुनिश्चित करें। ● उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा आश्रय और राहत शिविरों, खाद्य केंद्रों और प्रभावित क्षेत्र में अपशिष्ट का निपटान करने के लिए योजना तैयार करें। ● ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की जांच करें। ● आपातकाल के दौरान नियंत्रण कक्ष, चिकित्सा या आश्रय के लिए विभिन्न स्थानों पर भवन/गेस्ट हाउस प्रदान करने की योजना बनायें।
पुलिस	<ul style="list-style-type: none"> ● पुलिस स्टेशनों और पुलिस द्वारा विभिन्न खतरों की प्रारंभिक चेतावनी के लिए एक तंत्र (mechanism) विकसित करना। ● पर्यटक स्थानों, वार्षिक प्रदर्शनी और कुंभ मेला पर गार्ड की उपलब्धता की जांच करें जहां स्टैम्पेड/भगदड़ की संभावना हो। की संभावना हो।

	<ul style="list-style-type: none"> ● विभाग में मौजूदा वायरलेस सिस्टम में किसी भी नुकसान के स्थिति में जिला और तहसीलों के बीच अस्थायी वायरलेस सिस्टम की स्थापना। ● शॉर्ट नोटिस पर आवश्यक साइट पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए पुलिस के संचार शाखा को प्रशिक्षित करें। ● दंगों, भगदड़, आपात स्थिति, अन्य कानून और व्यवस्था के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करें। ● प्रभावित समुदाय की संपत्ति की सुरक्षा के लिए गृह रक्षक और अन्य स्वयंसेवकों की तैनाती योजना तैयार करें। ● मृत शरीर और प्रभावित साइटों से बरामद सामान और संपत्ति की हिरासत के लिए उचित व्यवस्था के लिए तैयार करें। ● पुलिस और पीसीआर वैन के कर्मचारियों को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना चाहिए और उपलब्ध उपकरणों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना चाहिए। ● प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में पीसीआर वैन के पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। ● मृत शरीरों के चोरी और झूठे दावों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करें। ● आपातकालीन/प्रभावित क्षेत्रों, पारगमन शिविर, राहत शिविर, अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, मवेशी शिविर और भोजन केंद्रों में बचाव और सुरक्षा की व्यवस्था करें। ● पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस, बीडीएस और कुत्ते दस्ते के आरक्षित बटालियनों के टेलीफोन नंबर और डेटाबेस रखें। ● खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशामक आदि में प्रशिक्षित टीम तैयार करें। ● स्वयंसेवकों और उपकरणों का डेटाबेस बनाए रखें और डीडीएमआरआई और पुलिस स्टेशन के विवरण अपडेट करें।
पी. सी.बी.	<ul style="list-style-type: none"> ● जिलों में खतरनाक रसायनों और प्रदूषकों का डेटाबेस तैयार करें और पर्यावरण पर उनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव तैयार करें। ● इसके विघटन के तरीकों और तकनीकों को अपनायें।
पी.एच.ई.	<ul style="list-style-type: none"> ● सभी उपलब्ध उपकरणों और वाहनों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की जांच

	<p>करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, जल शुद्ध करने वाली गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर और सार्वजनिक जल संसाधनों के क्लोरीनेशन की व्यवस्था करें, और राहत शिविरों और आश्रयों और पीने वाले पानी के आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों के डेटाबेस भी तैयार रखें। ● पीने योग्य पानी, सीवरेज सिस्टम और पेयजल आपूर्ति वाली पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत के लिए तैयार करें। ● पानी पंप चलाने के लिए जेनरेटर की व्यवस्था करें। ● मानसून से पहले बाढ़ की अवधि के दौरान पशुओं को भूमिगत पानी प्रदान करने के लिए आवश्यक होने पर, ट्यूबवेल की स्थापना सुनिश्चित करें। ● पानी की टैंकरों, ड्रम की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करें या अपने निजी आपूर्तिकर्ताओं को पानी की आपूर्ति, कमी अवधि और आपातकाल के लिए तैयार रखें। ● अस्पतालों, फायर टेंडर और अन्य आवश्यक जीवन रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए पानी की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ● प्रभावित क्षेत्र और राहत शिविरों में अस्थायी शौचालय के त्वरित प्रावधान तैयार करें। ● सिंचाई विभाग के समन्वय में जिले में तालाबों, झीलों की बहाली सुनिश्चित करें।
<p>जनसंपर्क</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● समुदाय में जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना। ● अफवाह नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उचित जन संपर्क प्रणाली तैयार करें। ● समय-समय पर जनता को जानकारी जारी करने के लिए मीडिया का प्रबंध करना, आपातकालीन संपर्क विभाग/कर्मियों का डेटाबेस तैयार रखें। ● जिले में सभी संभावित खतरों के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं का डेटाबेस बना कर रखें। ● पुस्तकों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म शो, समाचार पत्र, वृत्तचित्र फिल्मों, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से जानकारी को प्रचारित करें।
<p>पी.डब्लू.डी.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● क्रेन, जेसीबी जैसे भारी उपकरणों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली का डेटा बेस तैयार करें ।

<ul style="list-style-type: none">● मलबे की निकासी, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पुल, पुलिया और फ्लाईओवर की मरम्मत सुनिश्चित करें● प्रभावित क्षेत्र से यातायात को हटाने के लिए नई अस्थायी सड़कों का निर्माण, शॉर्ट नोटिस पर चिकित्सक, अस्थायी आश्रय आदि जैसी अस्थायी सुविधाएं जैसी योजनायें तैयार रखें।● वीआईपी यात्राओं के लिए प्रभावित साइट के पास हेलीपैड की तत्काल स्थापना। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की बहाली सुनिश्चित करें।
--

तालिका 5: विभिन्न लाइन विभागों के लिए चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)

2. रोकथाम और न्यूनीकरण के उपाय –

आपदा के जोखिम को कम करने में रोकथाम और शमन उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुनियादी ढांचे और सेवाओं में किए गए उपाय संरचनात्मक उपायों के प्रमुख, जबकि सूचनात्मक और नीतिगत तरीके से किए गए उपाय गैर-संरचनात्मक उपायों के प्रमुख के तहत आते हैं। संरचनात्मक शमन उपाय भौतिक कमजोरियों और गैर-संरचनात्मक शमन उपाय सामाजिक कमजोरियों के अंतर्गत आते हैं। विकास योजनाएं और आपदा निवारण उपाय दोनों निश्चित रूप से कमजोरियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए काम करती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे विकास योजनाओं का इस्तेमाल विभिन्न निवारण उपायों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। विकास योजनाओं के साथ शमन उपायों का विलय करने से इसका अधिकतम लाभ हो सकता है। निम्न कुछ उपाय हैं :-

- क्षमता निर्माण
- लघु अवधि के साथ ही लंबी अवधि की सतत विकास योजना बनाना
- तैयारियों को बढ़ाना
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण

2.1 खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक निवारण

संरचनात्मक निवारण में भूकंप के नुकसान को कम करने या इसे खत्म करने के लिए इमारत के संरचनात्मक तत्वों को भूकंपरोधी बनाया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, एक इमारत के संरचनात्मक तत्व ढांचे के रूप में कार्य करते हैं जो शेष भवन को सहारा देते हैं। इसमें नींव, भार सहने वाली दीवारें, खंभे (बीम), कॉलम, मंजिल प्रणाली (फ्लोर सिस्टम), छत प्रणाली (रूफ सिस्टम) के साथ-साथ इन तत्वों के बीच के संबंध शामिल हैं। इनमें से एक या एक से अधिक संरचनात्मक तत्वों की विफलता पूरी इमारत के विद्वंश का कारण बन सकती है। गैर-निर्माण संरचनाओं जैसे पुल, बांध, और उपयोगिता प्रणाली तत्वों के लिए संरचनात्मक निवारण उपायों को भी लागू किया जा सकता है।

गैर- संरचनात्मक निवारण

गैर-संरचनात्मक निवारण में एक इमारत के गैर-संरचनात्मक तत्वों का पुनः संयोजन किया जाता है। एक इमारत के गैर-संरचनात्मक तत्व वो होते हैं जो अप्रभावी होने पर उस इमारत को गिरने नहीं देते। इसमें बाहरी व आंतरिक तत्व, विद्युत, यांत्रिक और पाइपलाइन प्रणाली का निर्माण शामिल हैं।

2.1.1 खतरा : बाढ़

संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
जल विलवणीकरण और जल प्रणाली का गहरीकरण	सिंचाई और ग्रामीण विकास	विभागीय कार्यक्रम और मनरेगा	नियमित
तटबंधों का निर्माण/ सुरक्षा दीवार	ग्रामीण विकास वन विभाग	विभागीय कार्यक्रम मनरेगा जलविभाजन समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	0 से 5 साल
विभागीय कार्यक्रम एवं मनरेगा,वाटरशेड, समन्वित तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	विभागीय कार्यक्रम, मनरेगा	नियमित
बाढ़ के चैनल, नहरों, प्राकृतिक जल निकासी, तूफान के पानी की लाइनों की मरम्मत और रखरखाव	सिंचाई विभाग	विभागीय या विशेष योजना	0-1 साल
सुरक्षित आश्रयों का निर्माण (नया निर्माण विभिन्न आवास योजनाओं के माध्यम से)	जिला पंचायत		नियमित
संरक्षण दीवार और बांस व अतिक्रमण तथा भूमि के क्षरण से बचाव हेतु नदी के स्तर पर वनस्पति घेराव	वन और ग्रामीण विकास, कृषि विभाग	विभागीय योजनाएं, मनरेगा	0-6 महीने
नदी और तालाबों जैसे जलनिकायों का अवमूल्यन करना	सिंचाई और ग्रामीण विकास	मनरेगा, भूमि विकास	नियमित

तालिका 6: बाढ़ खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

बाढ़ के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभागा	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
मौजूदा और प्रस्तावित सुरक्षा लेखापरीक्षा के सुरक्षा ऑडिट	शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., ग्रामीण विकास	प्रधान मंत्री आवास योजना अन्य आवास योजनाएं	नियमित
बांस, बेड़े जैसे पारंपरिक, स्थानीय और अभिनव प्रथाओं का प्रचार	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायत, मनोरंजनात्मक रिक्त स्थान, स्व-सहायता समूह, युवा समूह, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन	आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना सभी स्तर पर	नियमित
स्वयंसेवकों और तकनीशियनों की क्षमता निर्माण	डी.डी.एम.ए.	आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना सभी स्तर पर	नियमित
पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करना	पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रामीण विकास	विभागीय योजना	नियमित

तालिका 7: बाढ़ खतरा के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.2 खतरा: सूखा

सूखा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
आम संपत्ति, बीज के खेतों और चारा भूमि में चरागाह का विकास	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास पंचायत	विभागीय योजना, मनरेगा	0-3 साल

वर्षा जल संचयन भंडारण स्तर और सार्वजनिक भवन	डी.डी.एम.ए., जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, युवा समूह, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन	मनरेगा	0-3 साल
जल संचयन और रिचार्जिंग के लिए संरचनाएं जैसे कुआ, तालाब, चेक-डेम, बांध, खेत के तालाब	लोक निर्माण विभाग, डी.डी.सी., ग्रामीण विकास सिंचाई और जल संसाधन विभाग	मनरेगा, वाटरशेड कार्यक्रम, विभागीय योजना	0-3 साल
चारा भूमि का विकास/तटों की मरम्मत और रखरखाव, जल स्रोतों से नमक को निकालना, चेक बांध, हैंड पंप	डी.डी.एम.ए., कृषि विभाग, पशुपालन विभाग	डीडीएमपी विकास योजना	नियमित
मरम्मत और रखरखाव, पानी से नमक निकालना, चेक बांध, हाथ पंप	सिंचाई ग्रामीण विकास, जल संसाधन	मनरेगा , जल संसाधन	0-3 साल

तालिका 8: सूखा खतरा के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

सूखे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय -

संभावित शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
सूखा प्रूफिंग/कमी कार्य के लिए काम को सूचीबद्ध करना, जिसमें पानी के निकायों की संभावित साइटों की	ग्रामीण विकास, डी.डी.एम.ए.	मनरेगा	नियमित

पहचान शामिल है			
सूखा प्रतिरोधी फसलों और पानी का कुशल उपयोग करने के लिए किसान को दिशा-निर्देश	कृषि और बागवानी विभाग	विभागीय योजना	नियमित
प्रारंभिक अनसेट पर विनियमित जल उपयोग (तालाब,छोटे बांध, चेक बांध)के लिए नियंत्रण तंत्र सेट करें।	पंचायत		नियमित

तालिका 9: सूखे के खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.3 जोखिम: सड़क दुर्घटनाएं

सड़क दुर्घटनाओं के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
भीड़ सड़क पर डिवाइडर का निर्माण	लोक निर्माण विभाग		
चौकों में यातायात संकेतों की व्यवस्था और रखरखाव	पी.डब्ल्यू.डी., पुलिस विभाग		
शहरों से गुजरने वाले राजमार्गों के लिए उपमार्ग सड़क का निर्माण	लोक निर्माण विभाग		
सड़कों, डिवाइडर, सड़क सुरक्षा प्रतीकों और गतिरोधक का रेट्रोफिटिंग और रखरखाव			

तालिका 10: सड़क दुर्घटना के खतरा हेतु संरचनात्मक निवारण उपाय

सड़क दुर्घटनाओं के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर- संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
राजमार्ग सुरक्षा गश्ती दल की स्थापना	पुलिस विभाग		हर दिन
पूरी तरह से प्रशिक्षित फायर ब्रिगेड कर्मी	सिटी फायर ब्रिगेड ऑफिस		मासिक प्रशिक्षण
सड़क सुरक्षा प्रतीकों और दीवार चित्रों के माध्यम से जागरूकता	यातायात नियंत्रण विभाग, आरटीओ	वाहन बीमा	
राजमार्ग के पास अस्पताल में सुविधाओं का उन्नयन	निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जिला स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य बीमा	

तालिका 11: सड़क दुर्घटना खतरा के लिए गैर – संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.4 जोखिम: महामारी

महामारी के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
निगरानी के लिए निगरानी केन्द्रों की स्थापना	जिला स्वास्थ्य विभाग	जिला विकास योजना	नियमित
आबादी के क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	जिला स्वास्थ्य विभाग	जिला विकास योजना	नियमित
ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन जैसे रक्त बैंक, शल्य चिकित्सा सुविधाएं और पैथोलॉजी इत्यादि	स्वास्थ्य मंत्रालय	जिला विकास योजना	नियमित

तालिका 12: महामारी खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

महामारी के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
संवेदनशील क्षेत्रों के लिए प्रतिक्रिया तैयारी की आकस्मिक योजना	जिला स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज संस्था	जिला विकास योजना	वार्षिक
स्वास्थ्य केंद्रों के मानचित्रण, दवाओं और टीकों की सूची, प्रयोगशाला की स्थापना, डॉक्टरों और कर्मचारियों की संख्या	जिला स्वास्थ्य विभाग		नियमित
प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम	शिक्षा विभाग, जिला स्वास्थ्य विभाग	सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	नियमित

तालिका 13: महामारी खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.5 खतरा: आग

आग के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने की मशीन, रेत की बाल्टी की स्थापना	जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग		एक बार
आग/ धुआं अलार्म की स्थापना	जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग		एक बार
दिशा संकेत के अच्छी तरह से आग से बाहर निकलने का प्रावधान	जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग		एक बार
निर्माण में अग्निरोधक सामग्री का प्रयोग	लोक निर्माण विभाग		एक बार

तालिका 14: आग के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

आग के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभागों	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
आपात योजना की तैयारी	जिला अग्निशमन विभाग	जिला विकास योजना	वार्षिक
निकासी योजना की तैयारी	जिला अग्निशमन विभाग	जिला विकास योजना	वार्षिक
अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण/ शिक्षा	जिला अग्निशमन विभाग	सर्व शिक्षा अभियान	नियमित

तालिका 15: आग के खतरे के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय

2.1.6 जोखिम : लू

लू के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय –

संरचनात्मक शमन उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों का प्रावधान	जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग		वार्षिक
सूती कपड़े, ट्रम्पोलिन शीट, चिकित्सा, ओआरएस की व्यवस्था	जिला प्रशासन, डीडीएमए, जिला स्वास्थ्य विभाग		वार्षिक

तालिका 16 – लू के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

लू के लिए गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय –

गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय	कार्यान्वयन विभाग	योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण	समय सीमा
लोगों को लू के बारे में चेतावनी देने के लिए चेतावनी तंत्र की	जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए., जिला मौसम विज्ञान विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	वार्षिक (वशेष रूप से गर्मीयों में)

व्यवस्था			
निवारक उपायों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम	जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए., जिला स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	वार्षिक (वशेष रूप से गर्मीयों में)

तालिका 17 – लू के खतरे के लिये गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय

3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना –

“आपदा जोखिम का उद्देश्य आगे आने वाले खतरों को रोकना और मौजूद जोखिम को कम करना है। इस प्रकार यह जोखिमों का प्रबंधन करता है जो स्थायी विकास प्राप्ति में सहायक होता है।”

जिले की आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना (डीआरआर) में उन गतिविधियों और उपायों का समावेश है, जो जिले के सहयोग से होती हैं। ये आपदाओं के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें जलवायु से जुड़े खतरे भी शामिल होते हैं। यह योजना समुदायों और मुख्य विभागों के साथ किए गए विचार-विमर्श और गांवों के क्षेत्रीय मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, इस योजना में प्रमुख विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची भी है जिसे जिले में डीआरआर और आपदा की बहाली की गतिविधियों के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार से डीआरआर योजना एक लंबी अवधि की रणनीति है जो विकास के साथ ही आपदा प्रबंधन को भी जोड़ती है। इसकी प्रभावी योजना के लिए कई हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

- स्थिति स्थापक गांव या उबरने में कामयाब गांव
- स्थिति स्थापक आजीविका
- महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं
- स्थिति स्थापक मूल सेवाएं
- स्थिति स्थापक शहर या उबरने में सक्षम शहर

ये आधारभूत चीजें ऐसे आवश्यक क्षेत्रों की ओर कार्यवाही करने पर जोर देती हैं जो झटके और तनाव के कारण बाधित हो जाती हैं। इसिलए इन चीजों पर विशेषकर जोखिम को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने की जरूरत होती हैं।

3.1 क्षमता निर्माण –

क्षमता को किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन व योजना के रूप में समझा जाता है। इसिलए, क्षमता निर्माण/विकास का मतलब उस विधि या माध्यम से होता है जिससे उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता निर्माण को उप-उत्पाद प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। सबसे अच्छी क्षमता निर्माण उसे कहा जाता है जिसमें आपदा के दौरान लोग उपलब्ध संसाधनों से अपनी समस्याओं का निपटारा करने में समर्थ होते हैं। समुदायिक स्तर पर आपदा जोखिम में कमी लाने और क्षमता निर्माण के लिए रणनीति बनाना समाज के संवेदनशील वर्गों के आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है।

3.2 आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) के लिए सुझाव –

- डी.आर.आर. की दिशा में डी.डी.एम.ए. की ओर से किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों में से एक जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र (डी.ई.ओ.सी.) की स्थापना और सुदृढ़ता है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में भी उत्कृष्टता की आवश्यकता है।
- आपदा प्रतिक्रिया के लिए हितधारकों की सूची बनाने और दस्तावेज बनाने की आवश्यकता है जो कि जिला प्रशासन के भीतर आसानी से उपलब्ध नहीं है। जब तैयारियों की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व है।
- इसलिए, जिला प्रशासन को सभी संपर्क विवरण तैयार करके रखने की आवश्यकता है। इससे आपातकाल के दौरान त्वरित संदर्भ में मदद मिलेगी। उनके बीच समन्वय में सुधार के लिए हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
- सभी आपदा प्रतिक्रिया तंत्र और घटना कमांड सिस्टम को स्थापित करके उनके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। आपदा प्रतिक्रिया उपकरणों की निगरानी करते हुए नियमित स्टॉक को बनाए रखा जाना चाहिए। सभी हानि व क्षति आकलन और प्राप्त अनुभवों को नियमित रूप से लेखबद्ध किया जाना चाहिए।
- पंचायत और जिले के स्तर पर कोई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली नहीं है। केवल भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और अन्य केंद्रीय संस्थान/संगठनों में से ज्यादातर चेतावनी देते हैं।
- इस संबंध में, जिला प्रशासन को शीघ्र ही चेतावनी के लिए अपनाई गई व्यवस्था को संशोधित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए ब्लॉक संबंधित खतरों के अनुसार हर संबंधित हिस्सेदार को समयबद्ध तरीके से शामिल और सूचित किया गया।
- कुशल कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के बारे में विभागवार प्रशिक्षण मासिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए इसके अलावा, अनुकरणीय अभ्यास और आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास को नियमित आधार पर नियोजित और आयोजित किया जाना चाहिए।
- मरम्मत की आवश्यकता वाली इमारतों जैसे कि विद्यालय, आंगनबाड़ी, पंचायत, सामुदायिक हॉल आदि की पहचान की जानी चाहिए।
- उत्तरदायी और पारदर्शी पंचायती राज संस्थानों और शासन को सतत डी.आर.आर. प्रक्रिया में एकीकृत करना आवश्यक है।
- विभिन्न वर्गों के मुद्दों का निर्णय लेने और उसके क्रियान्वयन में नीतियों से लेकर प्रथाओं के अमलीकरण में समाज या समुदाय के सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए।

- प्रत्येक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, आग, दुर्घटना, महामारी, मनुष्य-पशु संघर्षों के लिए नीतियों के रूप में एक स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें आपदा प्रबंधन के साथ ही तैयारियों की योजना का विकास और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस रणनीति भी तैयार की जानी चाहिए।
- जोखिम मूल्यांकन और जोखिम में कमी के उपायों की पहचान नियमित आधार पर की जानी चाहिए, जो किसी भी नीति और योजना के मुख्य घटक हैं।
- नीति तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए कि सूखा और बाढ़ जोखिम कम करने की रणनीतियों को नियमित रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- तकनीकी-सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-पर्यावरण-शासन पहलुओं को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से एक नया दृष्टिकोण। स्मार्ट फोन्स के उद्भव और इसके व्यापक उपभोक्ता को देखते हुए एक संसाधन के रूप में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसका कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अपडेट्स और बुनियादी कार्यप्रणाली और विभिन्न आपदा की घटनाओं इत्यादि में।
- शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक पूंजी इत्यादि सामाजिक कारक बड़ी मात्रा में इन रणनीतियों की सफलता और विफलता का निर्धारण करेंगे।
- आपदा के बाद आर्थिक असमानता और बाजार में उत्पादों की कमी के कारण लोगों की आजीविका की दृष्टि से इसके सुचारु नियोजन की जरूरत पड़ती है।

डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल

प्राथमिकताएं	कार्यक्रम	मुख्य चिंताएँ
नीतियां/ योजनाएं/ कार्यक्रम	ग्राम स्तर – महतारी जतन योजना- गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार मुख्यमंत्री अमृत योजना- बच्चों के लिए पौष्टिक आहार छत्तीसगढ़ में कुपोषण का उन्मूलन करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत योजना मुख्य मंत्री खाद और पोषण सुरक्षा योजना 102 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना-स्वास्थ्य सेवा योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना मुख्य मंत्री बांस बाड़ी योजना	योजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन

	<p>मुख्य मंत्री आवास योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योनत योजना प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वन भूमि अधिकार पट्टा प्रधानमंत्री तीर्थयात्रा योजना सूचना क्रांति योजना मुख्य मंत्री पादुका योजना जननी सुरक्षा योजना राज्य स्तर – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संजीवनी एक्सप्रेस स्वच्छ भारत मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्या-विवाह योजना सरस्वती सायकिल योजना मिशन स्मार्ट सिटी मेक इन इंडिया स्टैंडअप इंडिया डिजिटल भारत स्टार्टअप इंडिया</p>	
<p>संस्थाएं</p>	<p>भारतीय मौसम विभाग कृषि विज्ञान केन्द्र सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस थाना सरकारी अस्पताल</p>	<p>उपलब्ध (नियमित मूल्यांकन और नियोजन की आवश्यकता है)</p>

	<p>ग्राम पंचायत स्कूल कॉलेज आंगनबाड़ी अग्निशमन केंद्र कलेक्टरेट</p>	
<p>योजनाएं, एस.ओ.पी. और वित्तीय प्रबंधन</p>	<p>क्षेत्र, जिला और राज्य नियंत्रण कक्ष के बीच त्रिकोणीय संबंध के लिए योजना</p>	<p>वार्षिक दर से</p>
<p>बुनियादी ढांचा, सामग्री और उपकरण</p>	<p>स्कूल और आंगनबाड़ी आपातकालीन और प्राथमिक चिकित्सा साज-सामान सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए शौचालय अनाज भंडारण पेट्टी एल.पी.जी. कनेक्शन पानी का नल खेल के मैदान अग्निशामक ग्राम पंचायत बाढ़ बचाव उपकरण अग्निशमन उपकरण चेतावनी अलार्म ग्राम स्तर बांधों और नदियों पर चेतावनी अलार्म नदियों पर पुल, खेतों और नदियों तक सड़कें सामुदायिक हॉल सुरक्षित आश्रय जंगलों के इलाकों में बाड़ लगाना मालगोदाम पी.एच.सी. दवाईयों की दुकानें</p>	<p>हर 6 महीने</p>
<p>क्षमता निर्माण</p>	<p>दरारों की मरम्मत</p>	<p>नियमित रूप से</p>

	बोरियों का संग्रहण, अत्यधिक संवेदनशील इलाकों के पास के लोगों को चेतावनी देना ग्राम पंचायत या गोदाम में अनाज और अन्य आवश्यक चीजों का संग्रहण ग्राम टैंक आपातकालीन सुवधाएं 108, 100 102 महतारी एक्सप्रेस प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	मजबूत करने की आवश्यकता है
सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा	साफ-सफाई एवं स्वच्छता	नियमित
जोखिम का आकलन	मिडिया के साथ स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर के बीच चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना	नियमित
डीआरआर कार्यक्रम और योजनाएं	स्वच्छ भारत अभियान संशोधित प्रावधानों के अनुसार और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण हताहत होने पर राहत प्रदान करना	नियमित

तालिका 18: डी.आर.आर. हेतु महत्वपूर्ण पहल

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे जिला स्तर के संस्थानों के कामकाज को मजबूत बनाने और जन जागरूकता अभियानों में क्षमता निर्माण की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

3.3 विकास की राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी-आर-आर- मुख्य धारा में –

क्र.	योजनाओं के नाम	पात्रता	लाभ	डी.आर.आर. एकीकरण
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	कोई भी व्यस्क जो हाथों से काम करना	यह योजना ग्रामीण परिवारों के व्यस्क सदस्यों के लिए रोजगार के लिए कानूनी अधिकार प्रदान	ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर में वृद्धि और बुनियादी ढांचा की

	योजना	चाहता है	करती है कम-से-कम एक तिहाई लाभार्थियों को महिला होना चाहिए। मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के हिसाब से भुगतान की जानी चाहिए, जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को सूचित न करे (यह प्रति दिन 60 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए)।	संपत्ति के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
2	प्रधान मंत्री आवास योजना	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग	छत्तीसगढ़ आवास बोर्ड ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए घरों का निर्माण करेगा	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास प्रदान करना। उन्हें अन्य उत्पादक पूंजी में निवेश करने की अनुमति देना
3	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली असंबद्ध बस्तियां (जनगणना 2001)	ग्रामीण सड़क संपर्क आर्थिक और उत्पादक रोजगार के अवसरों तक पहुंच को बढ़ावा देगा	बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण समुदायों की क्षमता में वृद्धि होगी

4	प्रधान मंत्री उज्जवला योजना	बी.पी.एल. परिवार	स्वच्छ और अधिक कुशल रसोई गैस (द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस) को ग्रामीण भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले अशुद्ध खाना पकाने वाले ईंधन से बदलना	स्वच्छ ईंधन, बीपीएल परिवारों को घर के भीतर एक स्वस्थ और धूम्रपान से मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा एवं यह लकड़ी के ईंधन लाने के लिए महिलाओं के बोझ को कम करेगा
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	किसान	पानी की बर्बादी को कम करने, सटीक-सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को गोद लेने में वृद्धि करने के लिए आश्वस्त सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करें, अधिक पानी की बचत करने वाली तकनीकों को बढ़ावा दें, जलस्रोत का फिर से भरें और सतत जल संरक्षण प्रथाओं को काम में लाएं	बेहतर सिंचाई सुविधा से किसान की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। सूखा-प्रभावित क्षेत्र पानी की कमी से स्थिति-व्यापक बन जाते हैं
6	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	ग्रामीण आबादी	ग्रामीण विद्युतीकरण: ग्रामीण परिवारों को हर समय बिजली और कृषि उपभोक्ताओं को प्रयाप्त बिजली प्रदान करना	कृषि और गैर-कृषि भक्षणों को अलग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जानकारियों को बढ़ावा मिलेगा
7	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	जो व्यक्ति लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं	पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय समर्थन सहित विभिन्न समर्थनों को विस्तारित करके यह देश में	रोजगार सृजन और आर्थिक गतिवधियों में वृद्धि

			सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का विकास करेगा	
8	स्वच्छ भारत मिशन	सभी लोग	खुले में शौच और मैला ढोने का उन्मूलन	स्वच्छता में सुधार, खुले में गंदगी से होने वाले रोगों को सीमित कर देगा
9	प्रधान मंत्री जन धन योजना	सभी लोग	यह विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा जैसे कि मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, अपवर्जित वर्गों की जरूरत, आधारित क्रेडीट, प्रेषण सुविधा, बीमा एवं पेंशन कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के लिए	अल्पसंख्यक लोगों का वित्तीय समावेशन
10	प्रधानमंत्रीय फसल बीमा योजना	किसान	प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में योजना, किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करें	खेती में लगे रहने के लिए यह किसानों की आय को स्थिर करेगा
11	मेक इन इंडिया	कंपनियां, श्रम बल	राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करके भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करना	आर्थिक पूंजी का निर्माण
12	डिजिटल भारत	सभी लोग	ई-गवर्नेंस पहल, रेलवे कंप्यूटरीकरण, भूमि रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण आदि जैसी प्रमुख परियोजनाएं, जो मुख्य रूप से सूचना प्रणालियों के विकास पर केन्द्रित थी	कृषि, जलवायु स्थितियों और प्रारंभिक चेतावनियों से संबंधित जागरूकता फैलाएं

तालिका 19: विकास राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में

3.4 विकास की राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी-आर-आर- मुख्य धारा में –

क्र.	योजनाओं के नाम	पात्रता	लाभ	डी.आर.आर. एकीकरण
1	मुख्यमंत्री बांस बाड़ी योजना	गरीब परिवार के ग्रामीण लोग	गरीब लोगों को मुफ्त में बांटने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बांस पौधे दिए जाएंगे। घर के पिछवाड़े में बड़े स्थान की आवश्यकता हो सकती है। गरीबों की आर्थिक आवश्यकता और भविष्य में पड़ने वाली बांस की मांग को भी पूरा करेंगे।	आपातकालीन स्थितियों के समय के दौरान गरीबों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
2	महतारी जतन योजना-गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार	आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाएं	गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार और तैयार खाना उपलब्ध कराएं	आपदाओं के दौरान, पौष्टिक भोजन और प्रोटीन उन कमजोर वर्ग को प्रदान किए जाएं जो असमर्थ हैं।
3	मुख्यमंत्री अमृत योजना-बच्चों के लिए पौष्टिक आहार	आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे	इसकी योजना आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने की है।	बच्चों को पौष्टिक और प्रोटीन उपलब्ध कराएं। बाढ़ और सूखे की चपेट में आने से हुए आर्थिक नुकसानों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के परिवारों के लिए पूरक भोजन की व्यवस्था करें।
4	मुख्यमंत्री अमृत योजना- छत्तीसगढ़ में कुपोषण का	हफ्ते में एक बार 6 से 9 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे	कुपोषण को खत्म करने के लिए पौष्टिक दूध को वितरित करने का अभियान चलाया	बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाना

	उन्मूलन करने के लिए		जाना चाहिये।	
5	मुख्य मंत्री खाद और पोषण सुरक्षा योजना	सभी राशन कार्ड धारक	नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए हलफनामे के बाद राशन कार्ड वाले मौजूदा लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाएगा	यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने हेतु क्रय शक्ति की कमी के कारण सस्ते दामों पर राशन की दुकानों के माध्यम से कम से कम चावल और गेहूं खरीद सकें व सतत विकास लक्ष्य की आवश्यकता को पूरा करें।
6	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना-स्वास्थ्य सेवा योजना	बच्चे	गंभीर कुपोषण और अन्य संकट से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श सुविधा प्रदान करें	बच्चों की जीवन प्रत्याशा बढ़ाना और मातृ मृत्यु दर से जुड़े कुछ घातक चीजों को कम करना।
7	मुख्य मंत्री आवास योजना	ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. आवेदक	ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. आवेदकों को वित्तीयसहायता प्रदान करें, ई.डब्ल्यू.एस. और ए.ल.आई.जी. घरों के तहत आवास योजनाएं बनाई जाएंगी।	ऐसे लोगों को आश्रय उपलब्ध कराएं जो घरों का निर्माण नहीं कर सकते। लोगों को सशक्त बनाने में मदद करना।
8	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	ग्रामीण इलाके	ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करना	सिंचाई सुविधाओं में किसानों की सहायता करें
9	सूचना क्रांति योजना	युवा	राज्य में युवाओं को मुफ्त	जागरूकता से संबंधित

			स्मार्टफोन उपलब्ध कराने बावत् निर्देश जारी किये गए। राज्य सरकार ने युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए राज्य में डिजिटलकरण को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है।	कृषि,वर्षा और प्रारंभिक चेतावनी के प्रचार में सहायता करना।
10	संजीवनी एक्सप्रेस	छत्तीसगढ़ के लोग	संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा	एम्बुलेंस सेवायें आपात स्थिति के दौरान गर्भवती महिलाओं, बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का एक अविभाज्य हिस्सा है। परिवहन घटक विभिन्न मिलेनियम विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी लाने के लिए योगदान करने के लिए जाना जाता है, इस लक्ष्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना भी शामिल है।
11	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	बेटियां	विवाह समारोहों के आयोजन के खर्चों से गरीब परिवारों को राहत देने, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए और विवाह समारोहों पर आवश्यक व्यय से बचने के प्रयत्न शामिल है।	यह योजना उन गरीब किसानों के तनावों को कम कर देती है जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए या किसी प्रकार का ऋण लेते हैं और फसलों के खराब होने या सूखे के कारण भुगतान करने में असमर्थ हैं।

12	सरस्वती साइकिल योजना	नौवीं कक्षा की कन्याएं	उन कन्याएं के नामांकन (बीपीएल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) को सुनिश्चित करना जिन्होंने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की है। उन्हें कक्षा 12वीं तक पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। 12वीं कक्षा तक कन्याओं का नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण को सुधारने के लिए शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखना। इस बात पर जोर देना कि कन्याएं प्राथमिक शिक्षा के बाद भी अपनी शिक्षा को जारी रखें।	ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को घर में काम करने, पानी लाने या उनके भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह योजना शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है।
13	सुचिता योजना	सरकारी स्कूल	लड़कियों को अपने व्यक्तिगत और मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में प्रोत्साहित करना, झिझक पर काबू पाने में छात्राओं की मदद करना जैसे बाजारों से सैनिटरी नैपकिन खरीदने के दौरान सामना करती हैं।	स्वच्छता बनाए रखने में मदद करें और लड़कियों को रोगों से बचाएं

तालिका 20: विकास राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाओं में डी.आर.आर. मुख्य धारा में

4. जलवायु परिवर्तन क्रियाएं –

जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर की आपदा घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ाई है। परिणामस्वरूप, मानव जीवन, आजीविका, अद्योसंरचना, पर्यावरण के नुकसान के संबंध में बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थापना में बाधाएं आयी हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों के लिए आजीविका के विकल्प, अद्योसंरचना, पारिस्थिति की तंत्र सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बारे में एक प्रमुख चिंता बन गई हैं। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात और वर्षा से संबंधित खतरों के परिमाण और आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। भारत भी प्राकृतिक और जलवायु से होने वाली तबाही का एक गवाह रहा है। विशिष्ट रूप से भू-जलवायु, सामाजिक आर्थिक स्थितियां और विकास संबंधी संकेतक, देश में होने वाली नाना प्रकार की खतरनाक दुर्घटनाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, जंगल की आग को और भी चिंताजनक बना देते हैं।

असम में बाढ़, चक्रवात, चेन्नई में बाढ़, उत्तराखंड में बादल फटने जैसी कई घटनाएं हुई हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर जलवायु संचालित आपदा घटनाओं, आपदा प्रतिक्रिया, तैयारी और शमन को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में, एक अध्ययन मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया था जिसमें कई सूखाग्रस्त जिलों की पहचान की गई है। इसमें बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर-चाम्पा, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, रायगढ़, कोरिया, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा इत्यादि शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष गतिविधियां

क्षेत्र	अविष्कार प्रकार	क्रियाएँ
कृषि		<ul style="list-style-type: none"> ● बहु-फसल को अपनाने के लिए संसाधनों को विकसित करने के साथ उसको लागू करना। ● जिला स्तर पर सुरक्षित भंडारण, बागवानी, वन और खाद्य उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा का विकास करना। ● बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए फसलों का विविधीकरण करना। ● छिड़काव और ड्रिप सिंचाई प्रणाली और बेहतर जल निकासी नेटवर्क का प्रयोग करना। ● नदियों के साथ बाढ़ की दीवारों या तटबंधों का निर्माण

		और सुदृढीकरण
	योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रत्येक जिले में कृषि और वन आधारित उद्योगों के विकास के लिए संभावित मानचित्र। ● किसानों से लेकर सरकार तक, फसल के नुकसान से होने वाले जोखिमों के लिए बीमा आधारित उपायों का उचित कार्यान्वयन।
	पानी और मिट्टी का संरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● पानी और मिट्टी के माध्यम से किए गए नुकसान को कम करने के लिए चरणों का क्रियान्वयन जैसे कि एग्रोफोरस्ट्री, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन, चेक डैम के माध्यम से जल संचयन, मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण, क्योंकि कृषि मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करती है। ● पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली का नवीनीकरण।
	पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> ● उन्नत कृषि प्रणालियों के जरिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और मौसम सेवाओं को मजबूत करना।
	एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ● संरक्षण कृषि के संवर्धन और एकीकरण के साथ कीटों के एकीकृत पोषण और प्रबंधन पर अनुसंधान और शिक्षा। ● मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उर्वरकों को लागू करना, जिससे उर्वरक की दक्षता में वृद्धि होने के अलावा भूगर्भ-जल और मिट्टी के प्रदूषण में कमी आए।
आपदा प्रबंधन	अनुसंधान और क्षमता निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> ● समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन की गतिविधियां, हर गांव में खोज और बचाव दल की स्थापना। ● बेहतर वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ स्वदेशी तकनीकों का एकीकरण। ● पारंपरिक व्यवहारों को प्रोत्साहन और जोखिम कम करने के लिए स्वदेशी ज्ञान।
	जागरूकता	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूलों और कॉलेजों में अनुकूर्ण्य अभ्यास और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण। ● ग्रामीण अधिकारियों को समुदाय के सदस्यों या प्रतिनिधियों के साथ समन्वय में खतरे और जोखिम के मानचित्रण की गतिविधियों में प्रशिक्षण देना।

		<ul style="list-style-type: none"> ● विभिन्न सार्वजनिक इमारतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं और सुरक्षा निकासी योजनाओं की तैयारी।
	भेद्यता और जोखिम	<ul style="list-style-type: none"> ● शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर ढांचों का आकलन। ● सबसे संवेदनशील समूहों और संरचनाओं के सुरक्षित और बेहतर स्थानों के लिए पुनर्वास।
	जांचना और परखना	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वचालित मौसम स्टेशनों और उपग्रह संकेतों की स्थापना के द्वारा विभिन्न जलवायु मापदंडों में विविधताओं का निरीक्षण करना। ● भविष्य की आपदा जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण की निगरानी करना। ● इसमें समय-समय पर मूल्यांकन और बहुमूल्य प्रतिक्रिया भी शामिल है। ● आपदा जोखिम में कमी और शमन के संबंध में उनकी प्रगति और कमियां दर्शाते हुए विभिन्न विभागों की नियमित लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना। ● विभिन्न लाइन विभागों की योजनाओं के संबंध में निकट समन्वय और जानकारी साझा करना।
जल संसाधन और स्वच्छता		<ul style="list-style-type: none"> ● कार्यात्मक हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन, मौसम के बदलने और वर्षा पर निगाह रखने वाले स्टेशनों की नियमित रूप से समीक्षा करना। ● जल संरक्षण और उचित स्वच्छता उपायों की प्रासंगिकता के बारे में जन जागरूकता हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को विकसित करना। ● विभिन्न विभागों के साथ-साथ विभिन्न पंचायतों और नगर निगम के वार्डों में पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण की पहल, विकास और तैनाती, ताकि वे अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों को इसे दे सकें। ● खुले में शौच के नुकसान और विभिन्न चीजों के महत्त्व को 'ग्राम सीट' के माध्यम से बढ़ावा देना जैसे कि गहन

		<p>रूप से सामाजिक संचार, नुक्कड़ नाटक, बैनर इत्यादि।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● गांव में मौजूद जल निकासी नेटवर्क में सुधार और गांव में मौजूद पेयजल स्रोतों का समय-समय पर मूल्यांकन। ● ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल स्रोतों का परीक्षण और उपचार, जो कि यूरोफिकेशन, जलीय वनस्पतियों और जीवों के नुकसान को रोकने के लिए है।
वन और जैव विविधता	जैव विविधता का संरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● शेष हरे रंग की आवरण की मात्रा और इसके विभिन्न एन्थ्रोपोजेनिक जोखिमों के संबंध में पहचान और प्रलेखन। ● गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का प्रयोग रोकना। ● आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकने और वनस्पतियों की स्वदेशी प्रजातियों के विकास को प्रोत्साहित करना। ● संस्थागत विकास की पहल जैसे कि संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम), एसएचजी इत्यादि के माध्यम से मौजूदा भूजल स्रोतों का संरक्षण और संस्थागत विकास के साथ उपयोगी आजीविका को बढ़ावा देना। <p>भूमि संरक्षण।</p>
	वन और गैर-वन क्षेत्रों में हस्तक्षेप	<ul style="list-style-type: none"> ● लोगों के लिए सुलभ क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल पर निर्भर हैं।
	जागरूकता और अनुसंधान	<ul style="list-style-type: none"> ● आदिवासियों के पारंपरिक और धार्मिक विश्वासों पर अध्ययन जो कि जैव विविधता के संरक्षण के अनुरूप हैं।
	अग्नि प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ● विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान जंगल में आग फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाना।
शहरी विकास	ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ● डंपिंग स्थलों की उपलब्धता और उसके मानव निवास से निकटता को ध्यान में रखते हुए, घरों में ठोस अपशिष्ट और तरल जल के प्रबंधन के लिए एक व्यापक और स्थायी दृष्टिकोण।
	रिन्यूएबल तकनीकों को अपनाना	<ul style="list-style-type: none"> ● उर्जा के वैकल्पिक और नवीकरणीय स्रोतों के इस्तेमाल में लाने के लिए योजनाओं सहित घरों की उर्जा दक्षता में सुधार के लिए सामाजिक योजनाओं का विकास करना।

		<ul style="list-style-type: none"> ● जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए अक्षय उर्जा स्रोतों में नवीनता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
	प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाना	<ul style="list-style-type: none"> ● जलवायु परिवर्तन से आवास और परिवारों की अनुकूलिय क्षमता में सुधार के लिए समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन और अग्रिम कमाई प्रणालियों को बढ़ाना। ● शहरी जल निकायों, हरे और खुले स्थान और अपशिष्ट जल के उपचार के संरक्षण के लिए एक समिति स्थापित करना। ● शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यस्त स्थानों में कुछ रिक्त स्थानों का रख-रखाव। ● शहरी आवास परियोजनाओं और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के लिए उर्जा की दृष्टि से कुशल व्यवस्थाओं का प्रचार और उनको अपनाना।
परिवहन	परिवहन संरचना, योजना और प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ● ईंधन के लिए स्वच्छ उर्जा स्रोतों की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ावा देना और उसे सुनिश्चित करना। ● कार पूलिंग को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ● सभी वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र का जारी करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सर्जित प्रदूषण का स्तर अनुमति तादाद के भीतर है।
उर्जा	उर्जा दक्षता में संरक्षण और सुधार	<ul style="list-style-type: none"> ● सौर उर्जा संचालित रोशनी, हीटर, पंपों और अन्य ऐसे नवीकरणीय उर्जा उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना। ● घरों और सार्वजनिक इमारतों में स्मार्ट ग्रिड मीटिंग सिस्टम को प्रयुक्त करना।
उद्योग		<ul style="list-style-type: none"> ● हवा और जल निकायों में उद्योगों द्वारा जारी प्रदूषकों की नियमित जांच करना। ● प्रदूषण नियंत्रण मशीन और फिल्टर का इस्तेमाल करना। ● ग्रीन हाउस गैस (जी.एच.जी.) में कमी करने के उपाय,

		उर्जा ऑडिट, ईंधन स्विचिंग के लाभ आदि के बारे में जागरूकता करना।
मानव स्वास्थ्य		<ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य विभाग में जलवायु परिवर्तन कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर के विभिन्न उप-कक्षों का गठन भी शामिल है। ● आपातकालीन प्रतिक्रिया की योजना का विकास करना और पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में अनुकरणीय अभ्यास का आयोजन करना। ● आपदाओं के दौरान और बाद में आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान क्षेत्रीय मानकों को अपनाने में जागरूकता फैलाना। <p>विभाग के कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के लिए उचित फीडबैक के साथ प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● घरम जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव का सामना करने के लिए प्रत्येक पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में आपदा प्रबंधन दल का विकास, प्रशिक्षण और तैनाती करना।

तालिका 21: जलवायु परिवर्तन के लिए क्षेत्र विशेष से संबंधित गतिविधियाँ

जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल

आपदाओं को कम करने की पहल (तीव्र जलवायु परिवर्तन)	जलवायु परिवर्तन को कम करने की पहल
आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों और कार्य योजनाओं का विकास और उसको लागू करना।	वैकल्पिक ईंधन के अंश और उपयोग में वृद्धि सहित नवीकरणीय उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना।
आपदाओं के जोखिम और प्रतिक्रिया के प्रबंधन में सुधार के लिए विभिन्न लाइन विभागों और एजेंसियों के बीच सुधार समन्वय।	उर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विशेष रूप से भवनों, परिवहन, औद्योगिक सेट अप और घरेलू उपकरणों में।
अनुशंसित बिल्डिंग नियमों के अनुसार खतरनाक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत ढांचे का उन्नयन और पुनः सुधार।	ग्रीन इंडिया मिशन और अन्य ऐसी पहलों का कार्यान्वयन।

<p>विशिष्ट खतरे और जोखिम के साथ-साथ संचार अभियानों के माध्यम एवं सूचना के माध्यम से पहुंचने में सुधार, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में।</p>	<p>परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र से विशेष रूप से उत्सर्जन की मात्रा में कमी।</p>
<p>आपदा की अनुकूल योजना बनाने हेतु समुदाय के सदस्यों या प्रतिनिधियों के साथ निकट समन्वय में अत्यधिक एच.आर.वी.सी. गतिविधियां, जिसमें मानवविज्ञानी कारकों द्वारा प्रेरित क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं।</p>	<p>घरों में ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल से उत्सर्जन में कमी।</p>

तालिका 22 : जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पहल

5. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय –

5.1 क्षमता निर्माण –

डीएम अधिनियम (2005) के अनुसार, क्षमता निर्माण में शामिल हैं –

- मौजूदा और संग्रहित संसाधनों की पहचान;
- आपदाओं से निपटने हेतु प्रभावशाली प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

क्षमता संवर्धन अथवा क्षमता निर्माण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम को कम करना और इस प्रकार समुदायों को सुरक्षित बनाना है। क्षमता निर्माण से तात्पर्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं में वृद्धि से है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट उपायों द्वारा संभव की जाती है। जिला स्तर पर प्रभावी क्षमता निर्माण के लिए उन सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए, इसमें एक व्यापक और अद्यतन जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची, जागरूकता निर्माण, शिक्षा और व्यवस्थित प्रशिक्षण को बनाए रखना शामिल होना चाहिए। आपदा के समय किये जाने वाले राहत व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिक्रिया कर सकता है।

जिला कलेक्टर को पूरे जिले की निम्नलिखित क्षमता निर्माण गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए, और विभागों के विभिन्न प्रमुखों को अपने संबंधित विभागों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए संबंधित उपकरणों को खरीदना चाहिए।

5.2 संस्थागत क्षमता निर्माण –

संस्थागत क्षमता निर्माण एक स्तर-प्रणाली पर संरक्षित किया जाएगा जिसे जिला स्तर पर कई क्षेत्रों से कौशल अधिकारियों और पेशेवरों को लाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। डीडीएमए प्राथमिकता के आधार पर स्तर के रूप में संरचित निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रतिनिधियों की क्षमताओं और विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।

छत्तीसगढ़ अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीजीएए) छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य स्तर पर जिम्मेदारी लेती है। ट्रेनिंग तीन से पांच दिनों तक होती है और प्रशिक्षण के विशिष्टताओं के अनुसार विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को

शामिल किया जाता है। डीडीएमपी को अद्यतन करने हेतु प्रभारी अधिकारी का समय-समय पर आयोजित की गई सभी प्रशिक्षणों का ट्रैक रखने की भी जिम्मेदारी है। उनमें जिले के सभी अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण शामिल होंगे जिन्होंने पिछले छह महीनों में किसी भी आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण में भाग लिया है। यह जिला स्तर पर आपदाओं से निपटने में सक्षम प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

इनके अलावा अन्य जिला स्तरीय संस्थान जैसे- कॉलेज, स्कूल, आ.ई.टी.आई, इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, इंस्ट्रिट्यूट, एनजीओ, आदि की सहायता प्रशिक्षण हेतु ली जायेगी जिससे इन प्रबंधन कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा।

प्रशिक्षण आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं में से एक है। समुदायों को प्रशिक्षित करना किसी भी आपातकाल के दौरान बिना विचलित हुए कुशल और प्रशिक्षित प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता को सुनिश्चित करता है। विभिन्न हितधारकों की तुलना में अधिकारियों और उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे क्षति कम हो।

5.3 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) –

आईडीआरएन, एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जो उपकरणों की सूची, कुशल मानव संसाधनों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रबंधन हेतु है। प्राथमिक केन्द्र निर्णय निर्माताओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता पर उत्तर खोजने में सक्षम बनाना है। यह डेटाबेस उन्हें विशिष्ट भेद्यता के लिए तैयारी के स्तर का आकलन करने में सक्षम बनाएगा।

राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया गया है जिसके माध्यम से वे अपने जिले में उपलब्ध संसाधनों के लिए आईडीआरएन में डाटा एंट्री व डेटा अपडेट कर सकते हैं।

आईडीआरएन नेटवर्क में विशिष्ट उपकरणों, कुशल मानव संसाधनों और उनके स्थान और संपर्क विवरण के साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति के आधार पर कई सवाल विकल्प उत्पन्न करने की कार्यक्षमता रखता है।

5.4 भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ –

विभाग	प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ
डीडीएमए	<ul style="list-style-type: none"> राहत शिविर की स्थापना करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

	<ul style="list-style-type: none"> ● राहत शिविरों के संचालन और प्रबंधन में प्रशिक्षित जिले की घटना प्रतिक्रिया टीम के एक सदस्य को राहत शिविरों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाएगा। ● चेतावनी संकेत प्राप्त करने पर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त बचाव उपकरण को तत्काल भेजा जाये।
कृषि	<ul style="list-style-type: none"> ● जिले में फसलों की निगरानी के उद्देश्य से मौसम/सूखा निगरानी समिति का गठन और प्रशिक्षण। ● मिट्टी, खेतों, सिंचाई प्रणालियों की स्थिति तथा आपदा स्थितियों में फसलों को कोई अन्य नुकसान का आकलन करने के लिए क्षति मूल्यांकन टीमों का गठन।
पशुपालन	<ul style="list-style-type: none"> ● पशुधन, फीड और चारा, और पशुपालन के क्षेत्र में अन्य चीजों के कारण होने वाली क्षति की जांच और आकलन करने में सक्षम क्षति मूल्यांकन टीमों के गठन को सुनिश्चित करें।
शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> ● विभाग में क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन प्रशिक्षण और टीमों का गठन। ● जिले में शिक्षकों और छात्रों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवित कौशल में प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम पाठ्यक्रम में शामिल करें। ● स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) के तहत विभिन्न गतिविधियों को पूरा कर संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण को बढ़ाया जाना चाहिए।
सी.एस.ई.बी.	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से, पर्याप्त तैयारी की स्थिति बनाए रखने और त्वरित और कुशल आपदा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत उपकरणों की समय पर खरीद सुनिश्चित करें।
अग्नि सेवाएं	<ul style="list-style-type: none"> ● सभी जिला अधिकारियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण एवं समय-समय पर आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करना। ● विभिन्न सरकारी और नागरिक इमारतों की सुरक्षा लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना यह जांचने के लिए कि वे अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं। ● अग्निशमन और निकासी प्रक्रियाओं के लिए नियमित मॉक-ड्रिल होना चाहिए।
नागरिक रक्षा और नगर सेना	<ul style="list-style-type: none"> ● खोज और बचाव (एसएआर), प्राथमिक चिकित्सा, यातायात प्रबंधन, मृत शरीर प्रबंधन, निकासी, आश्रय और शिविर प्रबंधन, जन देखभाल और भीड़ प्रबंधन में स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से खोज और बचाव उपकरणों की

	<p>खरीद के लिए व्यवस्था करें।</p>
वन	<ul style="list-style-type: none"> ● जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए विभाग के अंतर्गत टीमों के गठन और प्रशिक्षण सुनिश्चित करें जो मानव सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
आर.टी.ओ.	<ul style="list-style-type: none"> ● प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में ड्राइवरों, कंडक्टरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● जिले में सभी वाहनों और डिपो में प्राथमिक चिकित्सा किटों और आग बुझाने वाले यंत्रों के रख-रखाव की पर्याप्त स्टॉकिंग सुनिश्चित करना।
स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> ● विभाग में क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन प्रशिक्षण और समूहों का गठन। ● मोबाइल मेडिकल समूह, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा समूहों, मनो-सामाजिक देखभाल समूहों तथा पैरामेडिक्स के त्वरित प्रतिक्रिया चिकित्सा समूहों (क्यूआरएमटी) के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● क्षेत्र और अस्पताल निदान इत्यादि के लिए पोर्टेबल उपकरणों की समय पर खरीद की व्यवस्था करें। ● प्राथमिक चिकित्सा और जीवन बचाने वाली तकनीकों में स्वास्थ्य परिचरों और एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं में स्थानीय समुदायों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। ● क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपायों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करके संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण में वृद्धि।
सिंचाई	<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ के लिए प्रारंभिक चेतावनी के संबंध में सभी मानव संसाधनों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और संचार उपकरणों की समय पर खरीद की व्यवस्था करें।
पुलिस	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की तैनाती। ● जिला में क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करें। ● आपदाओं के बाद मानव तस्करी और अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए तैयारी।

तालिका 23: प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

5.5 सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन –

समुदाय केवल विपत्तिग्रस्त होने के साथ किसी भी आपदा में पहला उत्तरदायी भी होता है । समुदायिक क्षमता से किसी भी आपदा का निवारण किया जा है । इसलिए समुदाय को रोकथाम शमन, तैयारी, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया, राहत, वसूली यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ निकटता से जुड़ा होना चाहिए।

कार्य	कार्यकलाप	उत्तरदायित्व
सामुदायिक तैयारी	<ul style="list-style-type: none"> ● कमजोर समुदाय और खतरे में सबसे कमजोर समूहों का चयन करना ● भेद्यता और समुदाय के लिए जोखिम के बारे में जानकारी प्रसारित करें। ● सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय स्तर के आपदा जोखिम प्रबंधन योजना को बढ़ावा देना। स्थानीय संसाधनों और सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से समुदाय आपदा रोकथाम, शमन और तैयारी के लिए जहां भी आवश्यक हो सलाह और दिशा निर्देश प्रदान करें। ● समुदाय स्तर पर आपदा जोखिम में कमी के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करें। ● समुदाय स्तर पर तैयारी की समीक्षा करें समुदाय की क्षमता को बढ़ाने के लिए उचित कार्यवाही करें। ● सामुदायिक शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। ● समुदाय को आने वाली आपदा की भविष्यवाणी और चेतावनी के समय पर प्रसार के लिए सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करें। ● किसी भी आपदा स्थिति में समुदाय स्तर पर तत्काल जानकारी प्रसारित करें । 	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला कलेक्टर ● राजस्व विभाग ● मौसम विभाग ● वित्त शाखा ● नगर आयुक्त ● शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग ● पंचायती राज

तालिका 24: सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन

खण्ड – 3

क्रं.	विषय	पेज संख्या
1	राहत उपाय एवं प्रतिक्रिया	1-8
1.1	राहत व प्रतिक्रिया के चरण	1
1.2	आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण	2-3
1.3	आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया	4
1.4	कोरबा जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रतिक्रिया के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन	4
1.5	राज्य सरकार / जिला प्रशासन का सक्रीय होना	4-6
1.6	आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति	7
1.7	पुनर्निर्माण	7-8
2	पुनर्निर्माण, पुनर्वास के उपाय	9-13
2.1	पुनर्निर्माण और पुनर्वास	9
2.2	रिकवरी गतिविधियां	10-13
2.2.1	अल्पकालिक रिकवरी	10
2.2.2	दीर्घकालिक रिकवरी	10-11
2.2.3	नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण	11-12
2.2.4	पुनर्गठन (समुत्थान)	12-13
3	जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन	14-16
3.1	केंद्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता	14
3.1.1	क्षमता वर्धन के लिए फंड	14
3.2	राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं	14-15
3.2.1	बाहय फंडिंग व्यवस्थाएं	14
3.2.2	वित्तीय प्रावधान	15
3.2.3	आपदा राहत निधि	15
3.3	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि	15
3.4	राज्य आपदा मोचन निधि	15
3.5	छत्तीसगढ़ राहत कोष	15
3.6	वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान	16
3.7	जिले के वित्तीय संसाधन	16
3.8	जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत	16
4	जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण	17-20
4.1	डीडीएमपी का मूल्यांकन	17
4.2	डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण	17-18
4.3	आपदा पश्चात मूल्यांकन तंत्र	18
4.4	योजना के निरीक्षण व अधीकरण का दायित्व	18-19
4.5	मीडिया प्रबंधन	19-20
4.6	जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन	20

4.6.1	माकड़िल हेतु उत्तरदायी संस्थाए निम्न होंगी	20
5	क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र	21-26
5.1	केन्द्र व राज्य के साथ समन्वय	22
5.1.1	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	22
5.1.2	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति	22
5.1.3	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)	22
5.1.4	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF)	22
5.2	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	22
5.2.1	राज्य कार्यकारी समिति (SEC)	22
5.3	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	23
5.4	राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF)	23
5.5	आपदा प्रबंधन केन्द्र	23
5.6	नोडल विभाग	23
5.7	जिला स्तर पर समन्वय	23-24
5.8	स्थानीय स्तर पर समन्वय	24-25
5.9	समाजसेवी संस्थाएँ—निजी संस्थाओं से समन्वय	25
5.10	पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय	25-26
5.11	राज्य SDMP से समन्वय	26
6	मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट	27-35
6.1	मानक संचालन कार्यप्रणाली	27-28
6.2	बाढ़ के लिए तैयारी	28-30
6.2.1	सावधानियां	28-29
6.2.2	आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधन	29-30
6.3	सूखे के लिए तैयारी	30-31
6.3.1	सावधानियां	30-31
6.3.2	सूखा प्रबंधन के लिए उपयोगी सूचना	31
6.4	भगदड़ से बचाव के लिए तैयारी एवं उपाय	31
6.5	अन्य सभी आपदाओं के लिए मानक संचालन कार्यप्रणाली	32-33
6.6	केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता	33-34
6.7	मानवीय राहत व सहायता	34-35

क्रं.	तालिका	पेज संख्या
1	तालिका 1: राहत व प्रतिक्रिया के चरण	1
2	तालिका 2: IRTF के विभिन्न चरण	6
3	तालिका 3: पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/अधिकारी	12
4	तालिका 4: जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत	16

5	तालिका 5: डीडीएमपी समीक्षा पैनल के लिए प्रारूप	18
6	तालिका 6: सहायता हेतु तहसील अनुसार निकटस्थ जिले एवं राज्य	26
7	तालिका 7: बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना	30
8	तालिका 8: केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता	34
9	तालिका 9: मानवीय राहत व सहायता	35

क्रं.	चित्र	पेज संख्या
1	चित्र 1: जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली	2
2	चित्र 2: इंसिडेंट रिस्पांस टीम	6
3	चित्र 3: आपदा राहत व प्रतिक्रिया हेतु धन के स्रोत	8
4	चित्र 4: नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु	12
5	चित्र 5: DDMP के निरीक्षण व आधुनिकीकरण का चतुस्तरीय तंत्र	19

क्रं.	प्रवाहचित्र	पेज संख्या
1	प्रवाह चित्र 1: राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण	1
2	प्रवाह चित्र 2: प्रमुख आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट	3
3	प्रवाह चित्र 3: प्रशासनिक रिस्पांस सिस्टम के विभिन्न चरण	5
4	प्रवाह चित्र 4: चित्र –इंसिडेंट रिस्पांस टीम फ्रेमवर्क	5
5	प्रवाह चित्र 5: पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य	9
6	प्रवाह चित्र 6: DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र	21
7	प्रवाह चित्र 7: जिला स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र	24
8	प्रवाह चित्र 8: स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र	25
9	प्रवाह चित्र 9: जिला आपदा प्रबंधन योजना	26

1. राहत उपाय एवं प्रतिक्रिया


सभी आपदाएँ, आकस्मिक घटनाएँ एवं संकटकालीन घटनाएँ अत्यंत गतिशील होती हैं। जिससे शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकार भी पैदा हो सकते हैं। राहत एवं प्रतिक्रिया वे उपाय हैं जो आपदा घटित होने के तुरन्त बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका उद्देश्य आपदा से पूर्व, आपदा काल व आपदोत्तर दशा में जनजीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पत्ति को सुरक्षित रखना एवं आपदा से हुए नुकसान से निपटना है। राहत व प्रतिक्रिया सामान्यतः अत्यन्त विषम परिस्थितियों में क्रियान्वयित होते हैं। इन अभियानों के लिए बड़ी तादाद में मानव संसाधन, उपकरणों व अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है, अतः कुशल योजना, प्रबन्धन, प्रशिक्षण और प्रतिक्रिया टीम के बिना इन अभियानों का सफल होना कठिन है। आपदा के प्रत्युत्तर में कार्यवाही जितनी तत्परता व कुशलता से की जाये नुकसान व जोखिम उतना ही कम किया जा सकता है।

1.1 राहत व प्रतिक्रिया के चरण –

आपदा से पूर्व	चेतावनी, आवश्यक तैयारी
आपदा के दौरान	प्रथम प्रतिक्रिया – राहत
आपदोत्तर	राहत– समुत्थान

तालिका 1: राहत व प्रतिक्रिया के चरण

इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदोपरांत किये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। अतः इस कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जाता है। राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण–



प्रवाह चित्र 1: राहत व प्रतिक्रिया का आरेखीय निरूपण

1.2 आपदा पूर्व राहत व प्रत्याक्रमण –

आपदाओं को भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान के आधार पर दो भागों में बाँटा जा सकता है –

प्रथम प्रकार की आपदाएँ वे हैं जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव है।


द्वितीय आपदाएँ वे हैं जो आकस्मिक रूप से घटित होती हैं जिनकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान संभव नहीं है। आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया कार्य उक्त दोनों प्रकार की आपदाओं हेतु क्रियान्वित किये जाते हैं।

किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को आपदा पूर्व तैयारी के नाम से जाना जाता है।

इनके द्वारा आने वाली सम्भावित आपदा से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। आपदा पूर्व राहत व प्रतिक्रिया में निम्न तत्व सम्मिलित किये जाते हैं –


- पूर्व चेतावनी प्रणाली
- आपदा सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण
- शरणस्थलों को चिन्हित करना
- आपदा से सम्बन्धित उपकरणों की एक स्थान पर उपलब्धता
- मॉकड्रिल
- संचार प्रणाली को दुरुस्त करना
- आपदा से सम्बन्धित विभाग को हाईअलर्ट
- फर्स्ट रेस्पॉन्ड यूनिट का हाईअलर्ट
- जोखिमपूर्ण बस्तियों, मकानों को खाली करवाना
- पर्याप्त भोजन, दवा, जल, आवश्यक सामग्री का संग्रह

बाढ़ एवं सूखा कोरबा जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उक्त आपदाओं का पूर्वानुमान तथा चेतावनी संभव हैं। आगजनी, सड़क दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटनाएँ आदि अन्य आपदाएँ हैं जिनका पूर्वानुमान संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं के पूर्वानुमान तथा चेतावनी हेतु जिले में चेतावनी प्रणाली को सुदृढ बनाना आवश्यक है। जिला प्रशासन के द्वारा संचार/पूर्व चेतावनी प्रणाली को दुरुस्त करना प्रस्तावित है। यह प्रणाली निम्न चरणों में कार्य करेगी।



चित्र 1: जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली

जिले की प्रस्तावित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली



प्रवाह चित्र 2: प्रमुख आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए घटनाओं का फ्लोचार्ट

➤ आपदाओं संबंधित पूर्व चेतावनी हेतु राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थान कार्यरत हैं :-

1. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
2. मौसम विभाग
3. सुदूर संवेदन विभाग तथा भौगोलिक सूचना तंत्र
4. राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

1.3 आपदा की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया-

आपदा की स्थिति में लोग आपदा व उसके प्रतिकूल प्रभावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी चरण के दौरान राहत व प्रतिक्रिया की महती आवश्यकता होती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गई कार्यवाही जितनी तेजी व कुशलता से की जायेगी, उतनी ही आधिक जन धन तथा सम्पत्ति के नुकसान को कम किया जा सकेगा। जिले में आपदा के प्रभाव की स्थिति में राहत व प्रतिक्रिया के निम्न चरण होंगे –

1. फर्स्ट रिस्पॉड ग्रुप का निर्धारण
2. राज्य सरकार व जिला प्रशासन का सक्रीय होना
3. सर्च व रेस्क्यू टीम
4. आवश्यक सेवाओं की तुरंत बहाली
5. आश्रय स्थलों तथा अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था
6. शान्ति व्यवस्था बनाये रखना
7. क्रेन, बुलडोजर तथा आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण
8. अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना
9. राहत सामग्री की आपूर्ति
10. आपदा के बाद क्षति का आंकलन
11. आपदा पीड़ितों हेतु तत्काल राहत


1.4 कोरबा जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रतिक्रिया के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन –

प्रथम समुदाय प्रतिक्रियक –

आकस्मिक आपदा आने के बाद सहायता मिलने में लगभग 12 से 24 घटें का समय लग जाता है अतः जन समुदाय फर्स्ट रिस्पॉडर के रूप में कार्य करते हैं। कोरबा जिले में विभिन्न जोखिम पूर्ण स्थानों पर रहने वाले तथा उनके आस पास रहने वाले समुदायों को आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉडर के रूप में कार्य करने हेतु दक्ष करना आवश्यक है। इस हेतु उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन आवश्यक है।


1.5 राज्य सरकार /जिला प्रशासन का सक्रीय होना –

समुदाय के पश्चात प्रथम रिस्पॉस देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील व नगर पालिका/परिषद् की होती है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य व केन्द्र से भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रशासनिक रिस्पॉस सिस्टम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार प्रस्तावित है—




प्रवाह चित्र 3: प्रशासनिक रिस्पॉस सिस्टम के विभिन्न चरण

आपदा में त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए जिले में इंसिडेंट रिस्पॉस टीम (त्वरित कार्यबल) तथा एक इंसिडेंट रिस्पॉस सिस्टम की आवश्यकता होगी जो आपदा के समय तुरंत स्वतः क्रियाशील होकर स्थिति नियंत्रित कर सके। जिला इंसिडेंट रिस्पॉस टीम का फ्रेमवर्क निम्न प्रकार से होगा –



प्रवाह चित्र 4: चित्र –इंसिडेंट रिस्पॉस टीम फ्रेमवर्क

इस प्रकार जिले की इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम फ्रेमवर्क के चार मुख्य अनुभाग होंगे। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम फ्रेमवर्क (IRTF) के किस अनुभाग को सक्रिय करना है, क्या कार्य करना है यह जिम्मेदारी कमांड स्टाफ की होगी। जिसके प्रमुख जिला कलेक्टर होंगे। यह फ्रेमवर्क आपदा राहत व प्रतिक्रिया की रीढ़ होगी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का मुख्यालय जिला कार्यालय होगा जो आपदा नियंत्रण कक्ष के समन्वय से कार्य करेगा। आपदा के समय IRTF के विभिन्न चरण तथा घटक निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से क्रियाशील हो जायेंगे।



चित्र 2: इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम

एल - 0	यह सामान्य स्तर का द्योतक है जिसमें पूर्व तैयारी शामिल हैं।
एल - 1	यह आपदा का वह स्तर होगा जो जिला स्तर पर ही प्रबंधित की जा सकेगी।
एल - 2	यह आपदा का वह स्तर होगा जो राज्य स्तर के सहयोग से ही प्रबंधित किया जा सकेगा।
एल - 3	यह आपदा का वह स्तर होगा जिसमें केन्द्र सरकार एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

तालिका 2: IRTF के विभिन्न चरण

1.6 आपदोत्तर राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति –

यह आपदा के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया की स्थिति है। इस स्थिति में आपदा की तीव्रता तथा जोखिम लगभग समाप्त हो जाते हैं किन्तु राहत तथा प्रतिक्रिया का कार्य जारी रहता है। इस अवस्था में राहत तथा प्रतिक्रिया की प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं। इस अवस्था का प्रमुख कार्य पुनर्वास तथा पुनरुत्थान होते हैं। कोरबा जिले में राहत व प्रतिक्रिया की आपदोत्तर अवस्था के निम्न चरण होंगे—

- विस्तृत हानि का आंकलन – इसके अर्न्तगत जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सचिव, पटवारी, कोटवार, सरपंच के माध्यम से आपदा से हुई हानि का विस्तृत आंकलन करवाया जायेगा। इसके माध्यम से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा आधारभूत संरचना की बहाली के लिए वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सकेगा। आपदा से हुए नुकसान के साथ-साथ उसका कारण, आपदा प्रबंधन में रही कमियाँ आदि का भी रिकार्ड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रखा जाएगा। जिससे भविष्य में पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके।
- प्रभावित लोगों का पुनर्वास
- आपदा के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या पुनर्वास की होती है। राहत शिविरों में रह रहे लोग पुनः अपने घरों को लौटना चाहते हैं, इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्न उपाय किए जा सकेंगे—
 - राज्य सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता दिलवाना। आपदा प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित न होने की दशा में सुरक्षित स्थान पर लोगों के रहने हेतु भूमि की व्यवस्था।
 - भूमि व वित्तीय सहायता का आबंटन प्रभावितों की आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से किया जायेगा।
 - जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार विद्युत, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

1.7 पुनर्निर्माण –

जिला स्तर पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया इस प्रकार किया जाएगा जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलकर बेहतर निर्माण किया जा सके, यह एक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया होगी। इस हेतु एक समर्पित कार्यदल का गठन किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए, उच्च स्तर पर भी निगरानी रखी जायेगी।


➤ आजीविका को पुनर्व्यवस्थित करना –

आपदा से प्रभावित परिवारों के समक्ष प्रमुख समस्या आजीविका के साधनों की होगी। इस हेतु कोरबा जिले में निम्न प्रयास सुझाये गये हैं—

1. दुकानों, व्यावसायिक भवनों आदि का ढांचा पुनः सुधारना जिससे प्रभावित लोगों का रोजगार पुनः प्रारम्भ हो सके।
2. जिनकी आजीविका के साधन नष्ट हो चुके हैं उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा अथवा स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।
3. स्थानीय आवश्यकतानुसार नवीन आजीविका के साधन विकसित किये जायेंगे। इस क्रम में महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

➤ **धन का आबंटन व ऑडिट –**

विभिन्न माध्यमों जैसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, दानदाताओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं जनसहयोग से प्राप्त धन को आपदा राहत व प्रतिक्रिया में खर्च करने के बाद उसकी ऑडिट प्रस्तावित की जायेगी जिससे प्राप्त धन का किसी प्रकार दुरुपयोग न हो सके।



चित्र 3: आपदा राहत व प्रतिक्रिया हेतु धन के स्रोत

2. पुनर्निर्माण, पुनर्वास के उपाय


2.1 पुनर्निर्माण और पुनर्वास

पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास आपदा प्रबंधन का आखिरी चरण है। इस चरण में आपदा के पश्चात पुनः एक बेहतर एवं सुरक्षित समाज का निर्माण किया जाता है, अतः यह एक व्यापक प्रक्रिया है। पुनर्निर्माण में सभी सेवाओं, स्थानीय बुनियादी ढांचे, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाओं के प्रतिस्थापना,, अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान और सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की बहाली शामिल होती है। भविष्य में आपदा जोखिमों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित उपायों को शामिल करके ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए पुनर्निर्माण को दीर्घकालिक विकास योजनाओं में पूरी तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी—

- बाढ़ से प्रभावित गांवों के इमारतों और घरों में,
- सड़कों, पुलों आदि जैसे बुनियादी ढांचे,
- आर्थिक संपत्ति (वाणिज्यिक और कृषि गतिविधियों आदि सहित),
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा।

आपदा के पश्चात लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होती है। पुनर्वास एक व्यापक शब्द है, इसमें आपदा से प्रभावित लोगों को आपदा क्षेत्र से हटाकर अन्य स्थान पर बसाना अथवा उसी स्थान पर पुनर्निर्माण तथा आधारभूत सुविधाओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली शामिल है। पुनर्वास लोगों को आपदा की स्थिति से पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटाने की प्रक्रिया है, इसमें आपदा से सहमें तथा भयभीत लोगों को मानसिक तथा भावनात्मक बल भी प्रदान किया जाता है।

आपदा के समय आवासीय भवनों तथा प्रशासनिक एवं अन्य भवनों को नुकसान होना स्वाभाविक है। अतः आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है। इस कार्य के तीन अंग हैं—



प्रवाह चित्र 5: पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य

2.2 रिकवरी गतिविधियां

2.2.1 अल्पकालिक रिकवरी

शॉर्ट टर्म रिकवरी चरण आपातकालीन घटना के पहले घंटों और दिनों के दौरान शुरू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक सुविधाओं को पुनः स्थापित करना है। तत्काल उपायों के साथ अल्पकालिक रिकवरी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संचार नेटवर्क
- पुनर्वास
- पीने के पानी की सप्लाई
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा
- खाद्य पदार्थ और कपड़े
- आश्रय और आवास
- सड़कें और पुल
- बिजली की आपूर्ति
- ड्रेनेज और सीवेज

2.2.2 दीर्घकालिक रिकवरी

दीर्घकालिक रिकवरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक पुनर्विकास और पुनः स्थापना सम्मिलित है। पुनर्निर्माण चरण के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समय और संसाधनों की पर्याप्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भविष्य में किसी भी आपदाजनक मामले में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे:

- आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं और सामाजिक सेवाओं के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण।
- नष्ट हुए पर्याप्त आवास की पुनः स्थापना।
- नौकरियों की पुनः स्थापना।

जिले की आपदा प्रबंधन योजना में त्वरित अथवा लघु अवधि कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रम शामिल किये जायेंगे—

1. अति आवश्यक सेवाओं की पुनः बहाली।
2. आधारभूत संरचना की पुनर्रचना।
3. पुनर्निर्माण।

4. आर्थिक सहायता।
5. प्रभावित लोगों का पुनर्स्थापन।

जिले की दीर्घावधि पुनर्वास योजना में दीर्घावधि में प्राप्त किये जाने वाले निम्न उद्देश्य सम्मिलित हैं –

1. प्रभावित लोगों के जनजीवन को पुनः सामान्य बनाना।
2. प्रभावित इलाकों में मानसिक चिकित्सक की उपलब्धता जिससे लोग बुरे अनुभवों को भूल सकें।
3. धीरे-धीरे लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के सतत प्रयास।
4. लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु जीवन बीमा जैसे दीर्घावधि प्रयास।
5. निश्चित समयांतराल पर प्रभावित इलाकों में समस्या समाधान शिविर।
6. प्रभावित इलाकों में पार्क, सिनेमा घर, मॉल इत्यादि की स्थापना जिससे लोग मनोरंजन में समय व्यतीत कर सकें।

2.2.3 नुकसान का आंकलन तथा नीति निर्धारण –

आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने का प्रभार जिला कलेक्टर का होगा। जिनके निर्देश पर स्थानीय स्तर की एक कमेटी का गठन किया जायेगा। यह कमेटी विस्तृत आंकलन के पश्चात् रिपोर्ट, जिला कलेक्टर को सौंपेगी। जिला कलेक्टर यह निर्धारित करेंगे कि आपदा किस स्तर की है तथा किस स्तर पर पुनरुत्थान कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

● नीति निर्धारण –

समुत्थान, पुनर्निर्माण व पुनर्वास हेतु निर्धारित नीति के तीन प्रमुख चरण होंगे—


1. बहाली
2. पुनर्निर्माण
3. बसाव

● बहाली—

यह प्रथम आवश्यक चरण होगा, इसमें आपदा के कारण नष्ट हो चुकी अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली की जायेगी। आपदा के समय विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज, चिकित्सा, शिक्षा आदि आवश्यक सेवाएँ सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अतः नीति निर्धारण में इन आवश्यक सेवाओं की बहाली हेतु प्रभावी प्रस्ताव होगा।

● पुनर्निर्माण –

आपदा के दौरान आधारभूत संरचना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भूकम्प, बाढ़, आग, सुनामी जैसी आपदा में आवासीय भवन, प्रशासनिक भवन, रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, व्यावसायिक भवन, सड़कें, पटरियाँ आदि क्षतिग्रस्त हो जाती हैं अतः नीति निर्धारण का द्वितीय चरण पुनर्निर्माण होगा जिसमें क्षतिग्रस्त तथा नष्ट आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण सम्मिलित है।



चित्र 4: नीति निर्धारण के प्रमुख बिन्दु

● बसाव –

आपदा से बेघर, शारीरिक–मानसिक रूप से टूट चुके व्यक्तियों का बसाव व पुनर्वास आवश्यक है। आपदा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास भी नीति निर्धारण में सम्मिलित है।

2.2.4 पुनर्गठन (समुत्थान) –

इस प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर प्रभारी विभागों तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को आवश्यक व उचित दिशा–निर्देश प्रदान किये जायेंगे। पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्यों हेतु अलग–अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करेंगे।

कार्य / पुनर्स्थापना	नोडल विभाग
1. विद्युत	स्थानीय विद्युत वितरण निगम
2. चिकित्सा	चिकित्सा विभाग
3. शिक्षा	शिक्षा विभाग
4. दूरसंचार	जिला दूरसंचार विभाग
5. पेयजल	जिला स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
6. सीवरेज	नगर पालिका / परिषद् / निगम
7. मलबा हटाना	नगर पालिका / परिषद् / निगम
8. खोज–बचाव	पुलिस विभाग

तालिका 3: पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग / अधिकारी

पुनर्गठन अथवा पुनर्स्थापना के अर्न्तगत आवश्यक सेवाएँ सम्मिलित की जाती है। इसके अर्न्तगत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

- **बुनियादी सेवाएँ** – बुनियादी सेवाओं में जलापूर्ति, सेनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज आदि आती है। इन सेवाओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभागों तथा विशेष एजेंसियों व एनजीओ की सहायता से यह कार्य संभव है। कोरबा जिले में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकरों से जलापूर्ति, अस्थायी टंकियों का निर्माण आदि उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे। जिनमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जायेगा। सेनीटेशन तथा सीवरेज हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शौचालय, चल शौचालय तथा स्नानघर उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिससे उन स्थानों पर सेनीटेशन तथा सीवरेज की समस्या हल हो सके। आपदा के पश्चात् मलबा हटाने हेतु जेसीबी तथा ट्रेक्टरों आदि के लिए नगर परिषद् तथा निजी एजेंसियों की सहायता ली जावेगी।
- **अत्यावश्यक सेवाएँ** – ये सेवाएँ जीवन रेखा कही जाती है – जैसे विद्युत, संचार, परिवहन आदि। इन सेवाओं की पुनर्स्थापना अतिआवश्यक है, क्योंकि राहत तथा प्रत्याक्रमण इन्हीं सुविधाओं पर निर्भर है। सामान्यतया सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी अत्यावश्यक सेवाओं की पुनर्स्थापना कितनी जल्दी होती है, क्योंकि इसके असफल होने पर अव्यवस्था, दंगे, पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिले में जिला कलेक्टर के आदेश व अनुशंसा पर विद्युत, संचार व परिवहन स्थापना हेतु क्रमशः – विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग तथा परिवहन विभाग, नोडल विभाग बनाये जायेंगे। जो अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

आवासीय ढाँचे के पुनर्निर्माण में शहरी व ग्रामीण इलाकों के सभी प्रभावित घरों की डिजाइन, योजना व पुनर्निर्माण शामिल है। जिले में इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु दो उपाय किये जा सकते हैं –

1. लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता देना।
2. उचित स्थान का निर्धारण कर, आवास निर्मित कर लोगों को प्रदान करना।

आर्थिक सहायता आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय अथवा व्यावसायिक ढाँचों के पुनर्निर्माण हेतु दी जायेगी। पूर्णरूप से नष्ट आवासीय तथा व्यावसायिक संरचना का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु उचित निर्माण स्थल का चयन करने के बाद बड़ी तादाद में निर्माण सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु जिले में अनुभवी अभियंताओं की सहायता ली जावेगी। इस आधार पर प्रभावित लोगों हेतु अस्थाई तथा स्थाई आवासों का निर्माण किया जायेगा। लोगों की भवन पुनर्निर्माण में स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानों की डिजाइन आदि में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

3. जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन

3.1 केंद्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

आपदा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए नीति और फंडिंग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परियोजनाओं में सम्मिलित होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग हर 5 साल में पुनर्निरीक्षण करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य में एक क्लैमिटी रिलीफ फंड स्थापित किया गया है। क्लैमिटी फंड का आकार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है इसमें 75 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार का और 25 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का होता है। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत सहायता सीआरएफ से दी जाती है। अगर आपदा बहुत व्यापक है, जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है तो वहां फंड नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंसी फंड (एनसीसीएफ) जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, में दिया जाता है। यह एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। देश में राहत एवं रिसपॉस संबंधी कार्यक्रमों के लिए फंडिंग की संस्थागत व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही मजबूत और कारगर है, हालांकि आपदाओं की सूची और मांगों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और यह कार्य राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (2005) के अनुसार वर्ष 2010-11 में क्लैमिटी रिलीफ फंड का नाम स्टेट डिजास्टर रिसपॉस फंड (एसडीआरएफ) तथा नेशनल फंड (एनडीआरएफ) कर दिया गया है तथा स्टेट डिजास्टर मिटिगेसन फंड (एसडीएमएफ) की भी व्यवस्था की गई है। नुकसान का आकलन करने वाली मुख्य एजेंसी जिला प्रशासन है तथा इस काम में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, गृह, चिकित्सा, पशुपालन, वन, जलापूर्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु कल्याण आदि के कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं।

3.1.1 क्षमता वर्धन के लिए फंड –

आपदा प्रबंधन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल तक (वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15) 4 करोड़ सालाना देने का प्रावधान किया है यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार में खर्च किया जावेगा।

3.2 राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं –

उपरोक्त प्रावधानों के अलावा राज्य ने भी एक फंड स्थापित किया है जिसका नाम है छतीसगढ़ राहत कोष है, जिसके लिए शुरुआती तौर पर 6 करोड़ रुपए का प्रावधान है और आगामी वर्षों में इसमें 25 लाख रुपए सालाना डाले जाएंगे इस फंड का इस्तेमाल दुर्घटनाओं से पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्यों के लिए किया जाएगा।

3.2.1 बाह्य फंडिंग व्यवस्थाएं –

अभी तक बाह्य स्रोतों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से कुछ परियोजनाओं के लिए ही फंड जुटाने का प्रावधान है।

3.2.2 वित्तीय प्रावधान –

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से बजट राशि उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केंद्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती है।

3.2.3 आपदा राहत निधि –

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा 21.12.2010 से राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है, जिसमें केंद्र का 75% व राज्य का 25% अंशदान होता है, केंद्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं।

3.3 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि –

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत विज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिस पर एक केंद्रीय दल द्वारा स्थिति का आकलन किया जाता है। केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

3.4 राज्य आपदा मोचन निधि–

राज्य में 13वें वित्त आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की पालन में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि में केंद्र का 75% व राज्य का 25% अंशदान होगा इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदंड अनुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जाएगा।

3.5 छत्तीसगढ़ राहत कोष –

ऐसी प्राकृतिक आपदायें जिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाना संभव नहीं है, उनमें राहत प्रदान करने/ व्यय हेतु छत्तीसगढ़ राहत कोष स्थापित किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है, इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी, राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

3.6 वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान –

राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु निवारण, तैयारी, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार योजना के तहत करनी होगी। आपदा पूर्व तैयारी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आपदा प्रबंधन हेतु प्रावधान करना सुनिश्चित करेगी।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के तहत जोखिम बीमा जैसे वित्तीय साधनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा फसल बीमा योजना, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं को विकसित किया जायेगा। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाईयों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित इकाई की होगी।

3.7 जिले के वित्तीय संसाधन –

यद्यपि आपदा के समय व्यापक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नहीं हो पाती है। फिर भी तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर भी राहत कोष बनाया जाएगा।

3.8 जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत –

जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत निम्न है जिनसे आपदा के समय वित्तीय सहायता ली जा सकती है –

व्यावसायिक संसाधन	जिले के प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान, शोरूम, होटल्स आदि
औद्योगिक संस्थान	राईस मिल आदि
एन0 जी0 ओ0	विभिन्न समाज सेवी संस्थान एवं दानदाता
जन सहयोग	विभिन्न समाज सेवी
सरकारी कर्मचारी	एक दिन का वेतन दान करेंगे।

तालिका 4: जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्रोत

4. जिला आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अद्यतीकरण

4.1 डीडीएमपी का मूल्यांकन

योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभ्यास, आपदा के पश्चात प्रश्नावली आदि के संयोजन शामिल है, परिणामस्वरूप योजना में उल्लेखित लक्ष्यों, उद्देश्यों, निर्णयों, कार्यों का समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया होगी।

- नियमित रूप से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- जिले में किसी भी बड़ी आपदा/ आपात स्थिति के बाद योजना की प्रभावकारिता की जांच करना और उसके अनुसार योजना में संशोधन करना।
- भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) को योजना से जोड़े रखना तथा समय समय पर अद्यतन करना।
- जिम्मेदार कर्मियों और उनकी भूमिका का अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक या जब भी परिवर्तन होता है का अद्यतन करना। नियमित रूप से संसाधनों के प्रभारी या नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण का अद्यतन करना।
- योजना सभी हितधारकों विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्रसारित की जानी चाहिए ताकि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को जान सकें और अपनी योजना तैयार कर सकें।
- योजना के प्रभावकारिता का परीक्षण करने और विभिन्न विभागों और अन्य हितधारकों की तैयारी के स्तर की जांच के लिए नियमित अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पार्टियां अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझें और आबादी के आकार और कमजोर समूहों की जरूरतों को समझें।
- योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण और अभिविन्यास किया जाना चाहिए।
- सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को नियमित रूप से योजना और अभ्यास में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- डीडीएमपी को आपदाओं के दौरान समन्वय को मजबूत बनाने के लिए सेना या किसी अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के साथ नियमित बातचीत और बैठकों का आयोजन करना चाहिए।

4.2 डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण

डीडीएमपी को अपडेट करने का कार्य जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) में सम्मिलित है। जिनका वार्षिक अद्यतन किया जाएगा। प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारी डीडीएमपी को बनाए रखने और समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं—

डीडीएमपी समीक्षा पैनल के लिए प्रारूप

क्रं.	अधिकारियों का विवरण	पद	कार्यालय	मो. न.
1	कलेक्टर	अध्यक्ष	श्री मो0कैसर अब्दुल हक (आई0ए0एस0) कोरबा 07759-222886	
2	स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि	सह अध्यक्ष		श्री जय सिंह अग्रवाल 94252-24712
3	सीईओ, जिला पंचायत	सदस्य	917759- 223901	श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल
4	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	श्री मयंक श्रीवास्तव 07759-224500	
5	मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य		डॉ. पी.एस. सिसोदिया 9425548449
6	ईई, जल संसाधन विभाग	सदस्य		श्री राजेश धवनकर 9826802464

तालिका 5: डीडीएमपी समीक्षा पैनल के लिए प्रारूप


4.3 आपदा पश्चात मूल्यांकन तंत्र

आपदा मूल्यांकन तंत्र के एक हिस्से के रूप में, डीडीएमए की बैठक जिले में आपदा के 2 सप्ताह के भीतर आयोजित की जाएगी, जहां प्रत्येक संबंधित विभाग/ एजेंसी के टीम/ नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। डीडीएमपी के नवीनीकरण की अनुसूची विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारी/ डेटा के आधार पर अप्रैल/ मई के महीने में होगी।

4.4 योजना के निरीक्षण व अद्यतीकरण का दायित्व –

DDMP का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना में उल्लेखित प्रणाली को किस स्तर तक प्रयोग में लाया जा रहा है। DDMP के निरीक्षण व अद्यतीकरण में विभिन्न स्तर होंगे।

सर्व प्रथम जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की जायेगी। इस प्राधिकरण में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, विषय विशेषज्ञ शामिल किये जायेंगे। यह 8-10 सदस्यीय दल होगा तथा इसमें संख्या निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर का होगा।



चित्र 5: DDMP के निरीक्षण व अद्यतीकरण का चतुस्तरीय तंत्र

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समान नगर पालिका, तहसील, विकासखण्ड, ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार की समिति बनायी जानी चाहिए। प्रत्येक स्तर की प्रत्येक समितियों DDMP में दिये गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर की समिति अपने-अपने क्षेत्र की आपदाओं, उनके प्रभाव, उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं राहत व प्रतिक्रिया हेतु आवश्यकताओं का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट वर्ष के अंत में अथवा आवश्यकता होने पर जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। जिसके माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति DDMP में आवश्यक अद्यतीकरण करेगी।

4.5 मीडिया प्रबंधन

मीडिया प्रबंधन आपदा प्रबंधन से संबंधित मूल मुद्दों में से एक है, आपदा के मामले में, मीडिया संवाददाता बाहरी आपदा प्रबंधन एजेंसियों से पहले साइट तक पहुंचते हैं और वे स्थिति का आकलन करते हैं पर इनसे अपवाह की भी स्थिति निर्मित होती है। इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिले द्वारा व्यवस्था की जाती है। घटना कमांडर मीडिया को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे:-

- ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एजेंसियों को सूचना प्रसार के साथ, प्रेस को मूल्यांकन के आधार पर प्रारंभिक डेटा दिया जाएगा। यह अफवाहों के फैलाव को कम करेगा।

- केवल राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया को साइट पर ले जाना चाहिए। हर एक घंटे में, घटना कमांडर अफवाहों को नियंत्रित करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति देगा।
- किसी भी मीडिया को मृत स्थिति की तस्वीरों को मुद्रित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपदा की स्थिति में, जिला स्तर में केवल पीआर कार्यालय मीडिया के साथ संवाद करेगा और संक्षेप में डेटा प्रदान करेगा, कोई अन्य समांतर एजेंसी या ईएसएफ या आपदा प्रबंधन में शामिल स्वैच्छिक एजेंसी किसी भी प्रकार की प्रेस ब्रीफिंग नहीं देगी।

4.6 जिला स्तर पर मॉकड्रिल का आयोजन

जिला स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा चरण से पहले हर साल आयोजित किया जाएगा। संबंधित विभाग मॉक ड्रिल में भाग लेंगे ताकि वे निकासी, खोज और बचाव, स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा, पेय सुविधाएं और राहत शिविर सेट अप के लिए, उचित योजना तैयार कर सकें। निष्पादन का मूल्यांकन DEOC द्वारा किया जाना है, जो आयोजन समिति उत्तरदायी है।

4.6.1 मॉकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थाएं निम्न होंगी –

- वे संस्थाएं जो उस आपदा से जुड़ी हैं, जिनकी माकड्रिल की जा रही है। जैसे अग्नि दुर्घटना की मॉकड्रिल हेतु नगरपरिषद व अग्निशमन दल।
- उस क्षेत्र का प्रशासन जहां पर माकड्रिल की जा रही है। जैसे कोरबा जिले में मॉकड्रिल की जानी है तो नगर सेना, स्थानीय प्रशासन उत्तरदायी संस्था होगा।


इस प्रकार आपदा विशेष तथा स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी संस्था बनाने से माकड्रिल अधिक यथार्थ प्रभावी हो सकेगी। जबकि वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन तथा राज्यआपदा प्रबंधन कोष से प्राप्त किये जायेंगे।

5. क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित हुआ है। ये सभी संस्थाएँ परस्पर समन्वय से आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबंधन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबूत आधार का काम करेगा। राज्य व जिला स्तर पर समन्वय हेतु सभी सरकारी विभागों तथा अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रेस्पांस किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं। इस काम में अन्य कई एजेन्सियों तथा संस्थाएँ भी शामिल होती हैं।

आपात सेवाएँ सदैव तैयार अवस्था में रहती हैं, जिससे वह तुरन्त रिस्पांड कर सकें तथा प्रशासन अन्य सेवाओं को अलर्ट कर सकें। विभिन्न आपात सेवाएँ अनिवार्य होती हैं किन्तु आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटने हेतु कुछ अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ भी सहयोग करती हैं। ये सब संस्थाएँ अलग हैं इनकी ऑथोरिटी अलग है, पदानुक्रम अलग-अलग है। अगर बचाव तथा समुत्थान कार्यों को बेहतर अंजाम देने है तो इन सभी विभागों तथा एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक है। साथ ही एक दूसरों की क्षमताओं, सीमाओं व दायित्वों को समझना आवश्यक है।

कोरबा जिले में आपदा के समय सभी विभागों तथा एजेन्सियों के मध्य बेहतर तालमेल हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। जिले द्वारा पूर्व में ही केन्द्र व राज्य स्तर पर तालमेल रखा जायेगा जो महत्वपूर्ण है। DDMP के समन्वित क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक का तंत्र निम्न प्रकार होता है –



प्रवाह चित्र 6: DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

5.1 केन्द्र व राज्य के साथ समन्वय –

5.1.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण –

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन हेतु देश का शीर्ष निकाय है। यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश निर्धारित करने, आपदा के समय पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं क्रियान्वयन में समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

5.1.2 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति –

केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित “ राष्ट्रीय कार्यकारी समिति” राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करती है और उसके अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

5.1.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) –

आपदा प्रबंधन हेतु “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान” शीर्ष संस्था है। यह आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षकों आपदा प्रबंधन अधिकारियों व अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का कार्य करती है। साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन, शोध एवं प्रकाशन का कार्य भी करती है।

5.1.4 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) –

किसी चुनौती पूर्ण आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। यह आपदा की स्थिति में जरूरत पड़ने पर राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

5.2 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) –

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। यह राज्य में आपदा प्रबंधन के नीतियाँ और योजनाएँ निर्धारण हेतु शीर्ष निकाय है। इसके कार्य राज्य आपदा योजना को अनुमोदित करना, राज्य आपदा योजना के लिए क्रियान्वयन का समन्वयन करना, निवारण, शमन, तैयारी के उपायों के लिए प्रावधान करना और राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की आपदा सम्बन्धी निगरानी करना है।

5.2.1 राज्य कार्यकारी समिति (SEC) –

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय व राज्य की नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करेगी।

5.3 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) –

प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह निकाय जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा निवारण, शमन, तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देशों का जिला स्तर पर सभी विभागों एवं अधिकारियों द्वारा पालन किया जाये।

5.4 राज्य आपदा अनुक्रिया बल –

केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। इस बल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसे आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बाढ़, भूकम्प, रासायनिक एवं आणविक जैसी आपदाओं के लिए विशेष दल बनाए जायेंगे। महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल के लिए इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा, शनैःशनै इसका आवश्यकतानुसार विस्तार किया जायेगा।

5.5 आपदा प्रबंधन केन्द्र –


राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों की क्षमता संवर्धन करने के उद्देश्य से निमोरा प्रशासन अकादमी रायपुर में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आपदा प्रबंधन के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना, आपदा प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रबंधन एवं अनुसंधान के लिए कार्य करती है। धीरे-धीरे आपदा प्रबंधन केन्द्र का पृथक से स्वतंत्र अस्तित्व विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रायपुर में स्थित है जो कि क्षमता संवर्धन का कार्य कर रहा है।

5.6 नोडल विभाग—

राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की प्रकृति के आधार पर उनके नोडल विभाग निर्धारित किये गए हैं। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधन किया जावेगा। इन नोडल विभागों का यह कर्तव्य है कि वे विभाग से संबंधित आपदा के निवारण, उपशमन एवं तैयारी के लिए आवश्यक योजनाएं बनाएं।

5.7 जिला स्तर पर समन्वय —

आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय लोग होते हैं। उनके तुरन्त बाद जिले को उत्तरदायित्व लेना होता है जिले में डीडीएमपी सर्वोच्च स्तर पर होती है। इसके बाद जिले का उत्तरदायी अधिकारी, जिला कलेक्टर होगा। इसके पश्चात् जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य सचिव कमाण्डर का कार्य करेगा। इसके साथ जिला सूचना अधिकारी एसडीएम अथवा तहसीलदार (संबंधित स्थान के) कार्य करेंगे। एसडीआरएफ का एक अधिकारी समन्वय हेतु होगा। इसके पश्चात् दल तीन भागों में बंट जायेगा। (1) सभी उत्तरदायी विभागों के मुखिया (2) एसडीआरएफ के लीडर (3) रसद प्रमुख। यह समन्वित ढांचा निम्न प्रकार होगा।



प्रवाह चित्र 7: जिला स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

5.8 स्थानीय स्तर पर समन्वय —

किसी भी आपदा के समय स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय व्यक्ति प्राथमिक अनुक्रिया कारक होते हैं। आपदा का प्रथम प्रभाव उन्हें ही झेलना पड़ता है, तथा प्रत्याक्रमण भी उन्हें ही करना पड़ता है। अतः स्थानीय प्रशासन तहसील पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, प्रमुख अनुक्रिया कारक होते हैं। इस दृष्टि से कोरबा जिले में स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाया जावेगा तथा आपदा संभावित गाँव में प्रशिक्षण व आवश्यक उपकरण देकर उन्हें प्रत्याक्रमण हेतु सक्षम बनाया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर

पर त्वरित आपदा अनुक्रिया दल का गठन किया जावेगा। इसमें सरपंच, पटवारी, सचिव, कोटवार, मितानिन, चिकित्सा अधिकारी तथा गांव के समाजसेवी लोग सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार निकट तहसील, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत भी आपदा के समय प्रथम अनुक्रिया के समान उपयोगी हो सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर पटवारी, सचिव, सरपंच, कोटवार सम्पूर्ण तंत्र के आधार होते हैं, जो आपदा के समय कार्य करते हैं। आपदा के समय दूरस्थ स्थानों की जानकारी, सूचनाओं का सम्प्रेषण, आपदा के स्तर का आकलन, आपदा की क्षति का सर्वेक्षण आदि कार्यों की सही जानकारी स्थानीय स्तर के लोग/कर्मचारी ही दे सकते हैं।



प्रवाह चित्र 8: स्थानीय स्तर पर क्षैतिज व अनुलम्ब समन्वित तंत्र

5.9 समाजसेवी संस्थाएँ—निजी संस्थाओं से समन्वय –

विभिन्न एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा समाज सेवी संस्थाएँ ऐसे कारक हैं जो आपदा के समय प्रशासन के सामान ही प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं बहुत ऐसे संस्थान हैं जो लम्बे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं यह आपदा के समय प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हैं इसी प्रकार निजी विद्यालय निजी अस्पताल भी आपदा के समय समन्वित तंत्र का अहम् हिस्सा होते हैं कोरबा जिले के सभी निजी एवं शासकीय विद्यालय को आश्रय स्थल तथा निजी अस्पतालों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

5.10 पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय –


प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन के संदर्भ में सर्वसाधन सम्पन्न तथा क्षमता नहीं होता है। आपदा के समय प्रत्येक क्षण बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण – आपदा घटित होने की दशा में जिला कोरबा मुख्यालय की अपेक्षा बिलासपुर जांजगीर जिला मुख्यालय से राहत तुरंत पहुंच जायेगी। इस हेतु ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निकटस्थ जिलों तथा तहसीलों में उपलब्ध संसाधनों की सूची कोरबा जिला मुख्यालय पर रखी जायेगी। जिससे आवश्यकता पड़ने पर मदद ली जा सके। यहां ऐसे जिलों एवं राज्यों की सूची दी जा रही है जो निकटस्थ हैं तथा आपदा के समय तुरंत सहायता ली जा सके।

क्षेत्र	निकटस्थ जिला
उत्तर	कोरिया ,सूरजपुर, सरगुजा
दक्षिण	जांजगीर
पूर्व	रायगढ़
पश्चिम	बिलासपुर

तलिका 6:- सहायता हेतु तहसील अनुसार निकटस्थ जिले एवं राज्य

5.11 राज्य SDMP से समन्वय –

राज्य SDMP सभी जिलों के लिए आदर्श स्तर एवं मानक होगी। सभी जिले राज्य SDMP के अनुसार अपने-अपने क्रियान्वयन तंत्रों व समन्वय तंत्रों में सुधार करेंगे। DDMP क्रियान्वयन में भी कोई समस्या या शांका उपस्थित होने पर SDMP का अनुशरण किया जावेगा।



प्रवाह चित्र 9: जिला आपदा प्रबंधन योजना

6. मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चेकलिस्ट

इस अध्याय में शामिल हैं:

1. बाढ़, सूखे और भगदड़ के लिए मानक संचालक कार्यप्रणाली
2. अग्निशमन दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातकालीन निकासी योजना

6.1 मानक संचालन कार्यप्रणाली –

जोखिम विश्लेषण के अनुसार बाढ़ प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। बालोद जिले में सूखे का भी खतरा है, हालांकि, यह धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसमें बाढ़ की तुलना में तत्काल सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। यह जिला सड़क दुर्घटनाओं, वनीय आग, महामारी आदि जैसे अन्य सामान्य आपदाओं से ग्रस्त है। चूंकि जिले में मेला (मंडई) होने पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, इसलिए अव्यवस्था की संभावना होती है जिसके परिणामस्वरूप उत्सव के दौरान भगदड़, अग्नि दुर्घटनाएँ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ हो सकती हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यह मानक संचालन कार्यप्रणाली प्रस्तावित है ताकि आपदा जोखिम में कमी की जा सके और सुरक्षा में वृद्धि हो सके।

i. अग्नि दुर्घटनाओं के लिए सावधानी पूर्वक उपाय।

अस्पतालों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक भवनों आदि में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, धूम्रपान अलार्म या स्वचालित अग्नि का पता लगाने / अलार्म सिस्टम की स्थापना, निवासियों को आग की प्रारंभिक चेतावनी के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। आग दुर्घटनाओं को रोकने और गतिविधियों के दौरान आपात स्थिति की स्थिति को प्रबंधित करने और सावधानी बरतने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

- सभी आवासीय भवनों के लिए आपातकालीन निकासी योजनाएं या जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अग्नि और सुरक्षा नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी।
- निकासी के समय में किए जाने वाले प्रक्रियाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित मोकड़िल अभ्यास किए जाएंगे।
- विशेष रूप से आग बुझाने वाले यंत्र, चिकित्सा किट और मास्क रखने की सलाह दी जाएगी।

ii. प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सावधानी पूर्वक उपाय

आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कदम अपनाए जाने चाहिए:

- भूकंप के दौरान, कुछ भारी फर्नीचर के नीचे छिपना या कवर के लिए दरवाजे के नीचे खड़े हो जाओ।

- इमारत में आग लगने से सीढ़ियों से बाहार निकले, लिफ्ट का प्रयोग न करें।
- अगर घर बाढ़ में डूब रहा हो तो छत या ऊँचे स्थान में जाने का प्रयास करें।
- मदद के लिए कॉल करने के अलावा टेलीफोन का उपयोग न करें, ताकि प्रतिक्रिया के संगठन के लिए टेलीफोन लाइनों को मुक्त किया जा सके।
- नवीनतम जानकारी के साथ अद्यतन रखने के लिए रेडियो और विभिन्न मीडिया द्वारा प्रसारित संदेशों को सुनो।
- रेडियो या लाउडस्पीकर द्वारा दिए गए आधिकारिक निर्देशों को पूरा करें।
- एक पारिवारिक आपातकालीन किट तैयार रखें। विभिन्न प्रकार की आपातकाल परिस्थितियों के लिए तैयार होना बेहतर है, ताकि बचाव किया जा सके।
- बाढ़ के दौरान बिजली से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए बिजली प्रवाह बंद कर दें।
- जैसे ही बाढ़ का आना शुरू होता है, ऊपरी मंजिल पर कमजोर लोगों (बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, आदि) को पहुँचाये।
- पानी के प्रदूषण से सावधान रहें, सुरक्षित घोषित पानी या पीने से पहले पानी को उबालकर इस्तेमाल करें।
- बाढ़ वाले कमरे को साफ और निर्जलित करें।
- तूफान होने की घोषणा के बाद तूफान के दौरान कार या नाव में बाहर नहीं जाये।
- यदि तूफान में बाहर जाते हैं तो, तो जितनी जल्दी संभव हो सके आश्रय में शरण लें (कभी भी पेड़ के नीचे नहीं), यदि कोई आश्रय नहीं है, तो किसी गड्ढे या खाई में सीधे लेट जाये।
- आंधी या तूफान में दरवाजे, खिड़कियां, और विद्युत कंडक्टर से दूर रहें, बिजली के उपकरणों और टेलीविजन हवाई जहाजों को अनप्लग करें। किसी भी विद्युत उपकरण या टेलीफोन का उपयोग न करें।

6.2 बाढ़ के लिए तैयारी –

6.2.1 सावधानियां –

- मानसून की शुरुआत से पहले सभी हैंड पम्प, ट्यूब वेल, सैनिटरी कुएं की जांच की जानी चाहिए और मरम्मत की जानी चाहिए।
- सभी कुओं और पीने के अन्य स्रोतों की कीटाणुशोधन करना और दस्त(डायरिया) से बचाव के लिए नियंत्रित उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
- किसी भी आपातकालीन बचाव अभियान के लिए खोज और बचाव टीमों को रखा जाना चाहिए।

- स्थिति की निगरानी करने के लिए आपातकालीन समन्वय टीम का गठन।
- जल निकासी चैनल/नल - नालियों का समय-समय पर साफ - सफाई एवं रख- रखाव सुनिश्चित करें।
- तहसीलदार और जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने स्तर पर बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और क्षेत्रीय कर्मचारियों / पीआरआई / एनजीओ / स्थानीय स्वयंसेवकों से जुड़े राहत दल बनायेंगे।

6.2.2 आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधन –

ए - विशेषज्ञ संसाधन

- खोज और बचाव दल (गोताखोर / तैराक, आपातकालीन चिकित्सा)
- विशेष उपकरण— नौकाओं, जीवन जैकेट, हेलीकॉप्टर इत्यादि।

बी- जनशक्ति

सी- चिकित्सा सहायता

- एम्बुलेंस (आपातकालीन दवाओं के साथ)
- डॉक्टर
- नर्स

डी- कानून और व्यवस्था एजेंसियां

- पुलिस / नगरसेना
- एसडीआरएफ / एनडीआरएफ
- सेना / वायु सेना (यदि आवश्यक हो)

ई - अन्य अनिवार्यताएं

- जल भंडारण टैंक
- क्लोरीन गोलियाँ
- स्वच्छता सुविधाओं के साथ अस्थायी आश्रय
- अस्थायी आम रसोई या खाद्य पैकेट

कसी भी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना नीचे दी गई है:-

कार्य / गतिविधियां	विभाग / जिम्मेदार अधिकारी
अलार्म / मास मैसेजिंग / सामुदायिक प्रणाली विकसित करें	डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर
पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से नियमित अपडेट लेवे और कार्रवाई का पालन करें।	डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर
अगर पानी का स्तर महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच रहा है तो अलार्म बढ़ाएं	इंसिडेंट कमांडर
स्थिति का आकलन करें, निकासी योजना बनाएं और समुदाय को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाएं	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
विशेष संसाधनों को सक्रिय करें जैसे खोज और बचाव दल (गोताखोर / तैराक, नाव, जीवन जैकेट, सर्चलाइट्स, नायलॉन रस्सी) विशेष उपकरण (हेलीकॉप्टर, सैंडबैग, पोर्टेबल मोटर पंप)	इंसिडेंट कमांडर
एकीकृत आदेश स्थापित करें (प्रतिक्रिया एजेंसियों के साथ संपर्क के लिए)	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
बाढ़ वाली सड़कों और क्षेत्रों में सुरक्षा एवं प्रवेश प्रतिबन्ध	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
आईएमडी / सीडब्ल्यूसी और अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क में घंटे-प्रति घंटे की स्थिति का आकलन करें	इंसिडेंट रिस्पांस टीम
क्षति मूल्यांकन का संचालन करें	डीडीएमए
पूरी तरह से चेक-अप और औपचारिक निकासी के बाद, समुदाय को उनके निवास स्थान पर लौटने की अनुमति	इंसिडेंट रिस्पांस टीम

तालिका 7: बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने हेतु कार्य योजना

6.3 सूखे के लिए तैयारी –

6.3.1 सावधानियां –

- जिलों और उप-जिलों के स्तरों, विशेष रूप से कमजोर जिलों में कृषि आकस्मिक योजनाओं की तैयारी।
- तहसील स्तर पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान।
- सूखा प्रभावित स्थानों पर सूखा लचीला विविधता के बीज जैसे इनपुट की तैयारी।
- सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल निकायों / टैंक / कुओं आदि की मरम्मत और रखरखाव।

- जिम्मेदारियों के स्पष्ट आवंटन के साथ - साथ आकस्मिक उपायों को शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।
- किसानों के बीच अन्तराल फसल, गीली घास, जंगली घास, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि जैसे प्रबंधन प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करना।
- किसानों को फसल बीमा रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गांवों में वर्षा जल संचयन और वाटरशेड प्रबंधन जैसे जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना

6.3.2 सूखा प्रबंधन के लिए उपयोगी सूचना –

- सूचना प्रदान करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी सीमांत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
- डाटाबेस, फसल की स्थिति, बाजार की जानकारी इत्यादि पर नियमित रूप से बनाया और अपडेट किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), आईएसआरओ, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा स्थापित गांव संसाधन केंद्रों से नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करना।

6.4 भगदड़ से बचाव के लिए तैयारी एवं उपाय

- पंडाल और आश्रय के आस-पास के क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करना।
- प्रमुख स्थानों और निकास मार्गों तक पहुंचने के लिए रूट मानचित्र का निर्माण।
- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतार में लोगों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश द्वार पर बैरीयर सिस्टम का उपयोग करे।
- छीना-झपटी जैसे अन्य छोटे अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और पुलिस उपस्थिति।
- गहरे पानी वाले स्थानों के आसपास बच्चों और बुजुर्गों को डूबने से रोकने के लिए बचाव दल के एक हिस्से के रूप में व्यावसायिक तैराकों को तैनात करना।
- भीड़ वाले स्थानों के आसपास एक एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था।
- अनियोजित और अनाधिकृत विद्युत वायरिंग, भीड़ वाले स्थानों में खाद्य स्टालों पर एलपीजी सिलेंडरों की जांच की जानी चाहिए।
- नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिकों की सूची का निर्माण।

6.5 अन्य सभी आपदाओं के लिए मानक संचालन कार्यप्रणाली

- **आग**

आग दुर्घटना के दौरान अग्नि शमन बचाव विभाग को बुलाएं इमारत / अपार्टमेंट परिसर को निकटतम उपलब्ध निकास से खाली करें। आपातकाल के दौरान परिसर या अपार्टमेंट छोड़ने के लिए कभी भी लिफ्ट का उपयोग न करें। यदि आपके कपड़े में आग लगी है तो न घबराए न दौड़ें, रुकें और रोल करें।

- **गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें**

धुएं और दम घुटने से बचने के लिये गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें कभी भी ऊंची इमारत के किनारे चढ़ने का प्रयास न करें और न कूदें।

- **भागिए मत**

आग के दौरान, कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) जैसे जहरीले गैस धुएं में होती है। जब आप धुएं से भरे कमरे में भागते हैं, तो आप धुएं को तेजी से श्वास में लेते हैं। सीओ इंद्रियों को सुस्त करता है और स्पष्ट सोच को रोकता है, जिससे बचने के लिए गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें

- **प्राकृतिक आपदा**

अधिकांश आपदाएं भूकंप, बाढ़, तूफान, सैंडस्टॉर्म, भूस्खलन, सुनामी और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक हैं। हमारे पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम उनके कारण उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए तरीका सीख सकते हैं। बाढ़, आग, भूकंप, भूस्खलन, बचाव जैसी आपदाओं के दौरान घर से बचाव शुरू होता है। बाहरी सहायता आने से पहले, आपदाओं से प्रभावित लोग एक दूसरे की मदद करते हैं।

सरकार और कई स्वैच्छिक संगठन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान में प्रशिक्षित लोगों की टीम भेजते हैं। ये टीम स्थानीय सामुदायिक सहायकों जैसे डॉक्टरों, नर्सों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं।

अस्थायी आश्रय विस्थापित लोगों के लिए बनाया जाता है। डॉक्टर और नर्स चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। वे घायल और महामारी को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आपदा प्रभावित लोगों के लिए भोजन और कपड़े एकत्र करते हैं। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। मीडिया-पीड़ितों और उनकी स्थितियों के बारे में खबर फैलाने में मदद करते हैं। वे ऐसे विज्ञापन भी पोस्ट करते हैं जो लोगों से पीड़ितों के लिए दान करने का आग्रह करते हैं।

चरम स्थितियों में, सेना और वायु सेना बचाव अभियान आयोजित करती है। वे सड़कों को साफ करते हैं, मेडिकल टीम भेजते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करते हैं। वायु सेना प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और कपड़े छोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन बड़े पैमाने पर आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करता है।

6.6 केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता-

क्रं.	कार्य	विभाग	मानक राहत स्तर व पुनर्वास
1	खाली करवाना (आवासीय व व्यवसायिक भवन)	पुलिस,नगर परिषद्	<ul style="list-style-type: none"> जोखिम पूर्ण भवनों को तुरंत खाली करवाना। व्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन। विस्थापित लोगों हेतु अस्थायी सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना।
2	खोज व बचाव	पुलिस, NGOs,स्काउट, NSS,NCC,SDRF, नगरसेना	<ul style="list-style-type: none"> संकट में फंसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थान पर भेजना। संकटग्रस्त पशुओं को बचाना। 3. गुमशुदा व्यक्तियों की खोज।
3	प्रभावित क्षेत्र का सुरक्षा घेरा	पुलिस, नगरसेना SDRF	<ul style="list-style-type: none"> प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचने हेतु सुरक्षा घेरा ताकि भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखा जा सके।
4	यातायात नियंत्रण	पुलिस, यातायात पुलिस, NGOs	<ul style="list-style-type: none"> प्रभावित स्थल के आस-पास वाहनों को न आने देना। राहत कार्य में लगे वाहनों को शीघ्र परिवहन हेतु व्यवस्था। आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की व्यवस्था।
5	कानून व्यवस्था	पुलिस, नगरसेना SDRF	<ul style="list-style-type: none"> आपदा के समय भगदड़ आदि को रोकने की व्यवस्था। अफवाहों को रोकना। दंगों तथा लूटपाट को रोकना। प्रभावितों को जान माल की सुरक्षा।
6	मृत देहों का निस्तारण	चिकित्सा विभाग, पुलिस, नगर परिषद्	<ul style="list-style-type: none"> महामारी व प्रदूषण से बचने हेतु मृत देहों का तुरंत विस्थापन। मृत देहों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था। रासायनिक या जैविक या महामारी की दशा में मृत देहों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था। मृत लोगों के सन्दर्भ में उनके रिश्तेदारों को

			सूचना।
7	मलबे का निस्तारण	पुलिस, नगरपरिषद्, प्रशासन SDRF	<ul style="list-style-type: none"> अतिआवश्यक सेवाओं के पुनः स्थापना हेतु मलबे को हटाना। मलबे को उचित स्थान पर डालना। मलबे को सावधानी पूर्वक हटाना जिससे मूल्यवान वस्तुओं व मृत देहों को नुकसान न हो।

तालिका 8: केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता

6.7 मानवीय राहत व सहायता –

राहत व पुनर्वास के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताएँ आती हैं, जो सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक होती हैं जो जिले में आपदा के समय सामान्य मानव जीवन हेतु अति आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निम्न मानदंड होंगे –

क्रं.	अति आवश्यक मानवीय सुविधाएँ	मानक स्तर के कार्य
1	भोजन	1.दूध, ब्रेड, दूध पाउडर इत्यादि का वितरण
		2.भोजन के पैकेट दानदाताओं से, घर से एकत्रित करके, रसद विभाग।
		3.फल इत्यादि का वितरण।
2	पेयजल	1.नगरपरिषद् द्वारा पेयजल टैंकर उपलब्ध करवाना।
		2.जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल।
		3.पूर्व में विद्यमान जल स्रोतों की सफाई व क्लोरीन डलवाना।
		4.पेयजल आपूर्ति तुरंत बहाल करना।
3	दवाइयों	1.सरकारी अस्पताल द्वारा आवश्यक दवाओं –बुखार, उल्टी –दस्त आदि की दवाओं का वितरण।
		2.दवा व्यावसायियों के पास पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।
4	वस्त्र	1.जिला प्रशासन व दानदाताओं द्वारा कम्बल व वस्त्र वितरण
		2. NGOs, NSS, NCC, द्वारा पुराने वस्त्रों का संग्रहण व जरूरत मंदों में वितरण।
6	अस्थायी आवास	1.अस्थायी आवास (स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन) की व्यवस्था।
		2. बारिश से बचाव हेतु तिरपाल वितरण
		3. अस्थायी टेंट
7	हेल्पलाइन	1.आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
		2.आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर तुरंत हेल्प लाइन नम्बर की स्थापना।

8	वीआईपी भ्रमण	1.नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार के मंत्रियों के निरीक्षण की व्यवस्था।
		2.परिवहन तथा भीड़ का नियंत्रण।
9	निजी संस्थाओं का सहयोग	1.निजी विद्यालय –अस्थायी आवास के रूप में
		2. निजी अस्पतालों के संसाधनों का प्रयोग
		3. निजी बिल्डरों से जेसीबी, टैक्टर ट्रॉली, डम्पर आदि की सहायता लेना।

तालिका 9: मानवीय राहत व सहायता

जिले में आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु एक SOP (Standard Operating Procedure) निर्धारित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से आपदा तथा आपदा के स्तरों को परिभाषित किया जायेगा। इसके पश्चात् चेतावनी तथा उसका प्रसारण होगा। आपदा के स्तर तथा आवश्यकता को देखते हुए बाहरी सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा। आपदा स्थल से जिला मुख्यालय तक सूचनाएँ भेजने हेतु विशेष व्यवस्था होगी। डीडीएमपी में संचार माध्यमों का प्रबंधन, सहायता, संसाधन तथा राहत उपलब्ध करवाने के विभिन्न मानक स्तरों का भी उल्लेख किया गया है।

खण्ड – 4

अनुबंध

जिला - कोरबा

(छ.ग.)

क्रमांक	विषय - सूची	पृष्ठ संख्या
1	अनुबंध 1 संपर्क विवरण	1-24
2	अनुबंध 2 उपकरणों की सूची	24 -27
3	अनुबंध 3 बाढ़ बचाव प्रशिक्षित तैराक नगर सैनिकों की सूची	27

1. संपर्क विवरण

National Disaster Management Authority राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	एन.डी.एम.ए., भवन
	ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव
	नई दिल्ली – 110029
	दूरभाष +91.11.26701700
	नियंत्रण कक्ष +91.11.26701728
Government of India	हेल्पलाइन नंबर 011.1078
भारत सरकार	फैक्स +91.11.26701729

एनडीएमए नियंत्रण कक्ष				
नाम	कार्यालय	फैक्स	मोबाइल	ईमेल आई डी
नियंत्रण कक्ष	011-26701728	011-26701729	9868891801	controlroom@ndma.gov.in
	011-1078		9868101885	ndmacontrolroom@gmail.com

एनडीआरएफ मुख्यालय				
मुख्यालय एनडीआरएफ, अन्त्योदय भवन, बी-2 विंग 9th फ्लोर				
सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110033				
नियंत्रण कक्ष की जानकारी				
नंबर - 011-24363260, फैक्स न. - 011-24363261				
EMAIL ID: hq.ndrf@nic.in				
एक्सचेंज/रिसेप्शन विवरण				
क्र. - 011-24369279, फैक्स - 011-24363261				
एनडीआरएफ यूनिट				
श्री जैकब किसपोट्टा, कमांडेंट				
3री एनडीआरएफ बटा.				
पो – मुंडाली, कटक – ओड़िसा, पिन - 754013				
नाम	कार्यालय	फैक्स	यूनिट कंट्रोलरूम न.	ईमेल आई डी
ओड़िसा जोन	0671-2879710	0671-2879711	0671-2879711 09437581614	ori03-ndrf@nic.in

राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष	श्रीमती हीना नेताम, संयुक्त आयुक्त			
	पुराना भू – अभिलेख कार्यालय			
	गाँधी चौक, रायपुर			
राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष				
नाम	कार्यालय	फैक्स	मोबाइल	ईमेल आई डी
नियंत्रण कक्ष	0771-2223471	0771-2223472	7974916920	cgrelied@gmail.com

2. जिला अधिकारियों की दूरभाष नंबर - कोरबा

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	
कलेक्टर कार्यालय, कोरबा				
1	मोहम्मद कैसर,अब्दुल हक	कलेक्टर, कोरबा		07759222886
2	प्रियंका ऋषि महोबिया	अति. कलेक्टर कोरबा	9425538762	07759224255
3	नेपाल सिंह नौरोजी	अपर कलेक्टर कोरबा	9406167100	
4	कमलेश नंदनी साहू	डिप्टी कलेक्टर कोरबा	7869102898	
5	शिम्मी नाहिद	डिप्टी कलेक्टर कोरबा	9584759880	
6	निष्ठा पाण्डेय तिवारी	डिप्टी कलेक्टर कोरबा	9827986654	
7	श्री देवेन्द्र प्रधान	डिप्टी कलेक्टर कोरबा	9425524931	
8	एम.एस. भूआर्य	अधीक्षक जिला कार्यालय	9407901836	
9	बी.एस.मरकाम	एस.डी.एम. कोरबा	9424167878	
10	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	एस.डी.एम. कटघोरा	8225992500	
11	अखिलेश साहू	एस.डी.एम. पोडीउपरोडा	9926970500	
12	श्रीकांत दुबे	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा	9425546710	
13	डी.के.कौशिक	जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा	9406438245	
14	ए.के.गढ़वाल	परियोजना प्रशासक कोरबा	9826136807	
15	सतीश प्रकाश सिंह	सचिव, साक्षरता मिशन कोरबा	9826184765	
16	एन.पी. सिंह	उपसंचालक, पशु चिकित्सा कोरबा	9826113321	
17	मंजू श्री कसेर	सहायक आयुक्त, आबकारी कोरबा	9826112394	
18	डॉ.डी.के. मिश्रा	जिला खनिज अधिकारी कोरबा	9826190136	
19	एच.मसीह	खाद्य अधिकारी कोरबा	9827185411	
20	ममता यादव	प्रभारी अधिकारी डी.एम.एफ	7879304444	
तहसीलदार				
21	तुलाराम भारद्वाज	तहसीलदार कोरबा	9406216044	07759224988
22	अमित बेक	तहसीलदार कटघोरा	8659966210	
23	सुरेश कुमार साहू	तहसीलदार करतला	7587030552	
24	शशिकांत कुरे	तहसीलदार पाली	9691053879	
25	धनशायम सिंह तंवर	तहसीलदार पोडीउपरोडा	9907111506	

26	रविशंकर राठौर	नायब तहसीलदार कोरबा	8120493376	
27	करुणा आहेर	नायब तहसीलदार भैसमा	7898095469	
28	पवन कोसमे	नायब तहसीलदार बरपाली	7587488429	
29	संध्या नामदेव	नायब तहसीलदार कटघोरा	9893789134	
30	अभिषेक राठौर	नायब तहसीलदार हरदीबाजार	9329704404	
31	प्रांजल मिश्रा	नायब तहसीलदार पाली	8602447020	
32	बाबूलाल कुर्रे	नायब तहसीलदार दीपका	9630053636	
33	तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार कोरबा	8965047975	
34	गुरुदत्त पंचभावे	नायब तहसीलदार कोरबा	8839735053 9691337301	
35	चंद्रशिला जायसवाल	नायब तहसीलदार पसान	9893132130	
36	फागुराम सिदार	नायब तहसीलदार पोडीउपरोडा	9685654614	
37	श्री जगत कश्यप	स्टेनो टू कलेक्टर	9826200478 9977363229	222886
38	श्री अशोक कुमार कैवर्त	स्टेनो शाखा सहायक	9826900411	
39	श्री एम.एस. भूआर्य	अधीक्षक, जिला कार्यालय कोरबा	9407901836	224611
नगर निगम/नगर पालिक				
40	रणबीर शर्मा	आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा	7697778888	221288
41	प्रवेशचन्द्र कश्यप	मुख्य नगर पालिका अधिकारी कटघोरा	9770599288	250211
42	श्रीमती रंजना	मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका	9425536789	239299
43	मनीश पात्रे	मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाली	7354200011	
44	विद्यासागर चौधरी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी छुरी	9424249296	
45	एम.के. वर्मा	कार्यपालन अभियंता, नगर निगम कोरबा	9752094116	
जिला पंचायत/जनपद पंचायत				
46	इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं. कोरबा	9004037600	224255
47	रिमन सिंह ठाकुर	परियोजना अधिकारी, जि.पं. कोरबा	9425253560	
48	एम.एस.नागेश	सहायक परियोजना अधिकारी, जि.पं.कोरबा	9406264161	

49	बी.एस.राजपूत	सहायक परियोजना अधिकारी,जि.पं.कोरबा	9425250188	
50	प्रीति पवार	सहायक परियोजना अधिकारी,जि.पं.कोरबा	8770966006	
51	संदीप डिकसेना	सहायक परियोजना अधिकारी,जि.पं.कोरबा	7987757559	
52	अरविंद लकड़ा	रुर्बन विशेषज्ञ	9340061050	
53	राजेश थवाईत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ज.पं. कटघोरा	9406454275	
54	जी.के. मिश्रा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ज.पं. करतला	9424187800	279713
55	श्री देवेन्द्र प्रधान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ज.पं. कोरबा	9425524931	221531
56	एम.आर.कैवर्त्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ज.पं. पाली	8120472007	8319838300
57	वीरेन्द्र कुमार राठौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ज.पं. पोडीउपरोडा	9425256859	
सहायक आयुक्त/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.खं. शिक्षा अधिकारी				
58	डी.के.कौशिक	जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा	9406438245	240287
59	संदीप पाण्डेय	खण्ड शिक्षा अधिकारी करतला	9926546502 9993657118	
60	जी.आर. राजपूत	खण्ड शिक्षा अधिकारी कटघोरा	9981729417	
61	संजय अग्रवाल	खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा	7999265499	
62	डी. लाल	खण्ड शिक्षा अधिकारी पाली	9691333511	
63	ए.के. चंद्राकर	खण्ड शिक्षा अधिकारी पोडीउपरोडा	7697492950	
64	आर. जायसवाल	जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्य.शिक्षा मिशन कोरबा	9926274141	
65	श्रीकांत दुबे	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा	9425546710	
66	सतीश प्रकाश सिंह	सचिव, साक्षरता मिशन कोरबा	9826184765	228255
67	के.पी. मनहर	सहायक संचालक शिक्षा विभाग	7898977990	
68	एस.के. दुबे	सहायक संचालक, आदि.वि.वि. कोरबा	9641531067	
वनमण्डलाधिकारी कोरबा/कटघोरा				
69	एस. जगदीशन	वन मंडलाधिकारी कटघोरा	8349076519	250157
70	एस. वेंकेटाचलम	वन मंडलाधिकारी कोरबा	9425268680	223531 221273
71	राठिया	एसडीओ वन कोरबा दक्षिण	9165926553	

72	प्रेमलता यादव	एसडीओ वन कटघोरा	9479258551	
73	ए.के. तिवारी	एसडीओ वन पाली	7587012405 9753209191	
74	एन.एल. अग्रवाल	एसडीओ वन कोरबा	7869723748	
75	तिलक कंवर	स्टेनो, वनमंडलाधिकारी कटघोरा	8463021368	
कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता				
76	अशोक देवांगन	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	9993775300	221924
77	शिवा साहू	एस.डी.ओ. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	9826185873	
78	जितेन्द्र प्रसाद	सहायक अभियंता, क्रेडा कोरबा	7999516236	
79	आर पी शुक्ला	कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन विभाग कोरबा	9425230130	225550
80	निखरा	कार्यपालन अभियंता, गृह निर्माण मंडल कोरबा	9424209021	221883
81	कमल राम साहू	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	9179514334	221237 227646
82	नरेश स्वामी	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	9893211870	22110 225568
83	एस.के. चंद्रा	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	9755511112	
84	तरुण ठाकुर	कार्यपालन अभियंता, सीएसईबी वितरण (ग्रामीण)	8120001765	
85	रंजीत कुमार	कार्यपालन अभियंता, सीएसईबी वितरण (शहरी)	9826765678	
86	राजेश धवनकर	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बरॉज दर्री	9826802464	
87	आर.एल. साहू	सहायक अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स. योजना	9754012794	
88	के.एल. प्रसाद	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन माचाडोली	9827489061	
89	आर.जे. आर्या	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग कोरबा	9826625784	
90	अक्षय जैन	एस.डी.ओ. सेतु लोक निर्माण विभाग	9893564601	
91	एच.एल. बंजारे	एस.डी.ओ. विद्युत, लोक निर्माण विभाग	9424190466	
उप संचालक / सहायक संचालक				
92	ए.के. बाजपेयी	सहायक संचालक रेशम विभाग	9425335215	221242
93	एम.जी. श्याम कुंवर	उप संचालक कृषि कोरबा	9424112012	227641

94	डी.पी.एस.कंवर	सहायक संचालक कृषि	9179587424	
95	श्रद्धा मैथ्यू	उप संचालक समाज कल्याण विभाग कोरबा	9893457769	
96	जे. नागेश	उपसंचालक जनसंपर्क	9425285515	
97	कमलज्योति जाहिरे	ए. पी. आर. ओ. कोरबा	9300664566	
98	विजय कुमार सोनी	उप संचालक औद्योगिकि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	9424156234	
99	कुशवाहा	सहायक संचालक उद्यान	9424290664	227028
100	भुनेश्वरी कंवर	वरिष्ठ उद्यान अधिकारी	7566346776	
101	के.पी. चौधरी	सहायक संचालक मत्सय	9425541644	225626
102	आर.सी.एस.ठाकुर	महा प्रबंधक उद्योग	9407947666	
103	आदित्या शर्मा	सहा.संचा.महिला एवं बाल विकास विभाग	9174745247	
104	एस.के. दुबे	सहायक संचालक अजाक	9644531067	
105	सूर्यभान सिंह ठाकुर	उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश	9406297915	
106	के.एस. कंवर	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	9907134459	
107	सुरेन्द्र शाह	लीड बैंक अधिकारी	9424144457	
108	विकास सरोदे	सहायक श्रमायुक्त कोरबा	9826179404	
109	जे.पी. खाण्डे	जिला रोजगार अधिकारी	9165156998	
पुलिस विभाग				
110	मयंक श्रीवास्तव	पुलिस अधीक्षक	9479193300 9406320859	224500
111	कीर्तन राठौर	अति. पुलिस अधीक्षक	9479193301 8085312115	
112	सुरेन्द्र साय पैकरा	सी.एस.पी. कोरबा	9479193303	232353
113	पुष्पेंद्र चंद्र बघेल	सी.एस.पी. दर्री	7987301505	
114	रीतेश श्रीवास्तव	डीएसपी कोरबा	9644493907	
115	संदीप मित्तल	एस.डी.ओ.पी. कटघोरा	7389600200	
116	कुशवाहा	जेलर कटघोरा	8817764364	
117	के.एस. देशमुख	जेलर कोरबा	9826418604	
एन.आई.सी. कोरबा				
118	एच.के. जायसवाल	जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी	9977636515	227733
119	शिखा ठाकुर	ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चिप्स	7828183048	
120	अयाज	गुड गवर्नेस फेलो	9873753898	

स्वास्थ्य विभाग कोरबा				
121	पी.एस.सिसोदिया	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	9425548449	226766
122	डॉ. अरुण तिवारी	सिविल, सर्जन कोरबा	9827171020	221044
123	टी.आर. राठिया	जिला आयुर्वेद अधिकारी कोरबा	9752001715	
पंजीयक/उप पंजीयक				
124	आशु अग्रवाल	जिला पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्राक शुल्क)	9770570800	227797
125	विनोद बुनकर	उप पंजीयक सहाकरी संस्थाए कोरबा	9424188437	222202
126	सतीश कुमार पाटले	सहायक पंजीयक	9755733303	
127	आर.पी.शिन्दे	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा	9685095421 9406307398	222370
128	जी.एस. जागृति	जिला कोषालय अधिकारी	9691397245	225215
129	डी.के.मिश्रा	जिला खनिज अधिकारी कोरबा	9826190136	
130	रामकृपाल साहू	जिला खेल अधिकारी	7000608461	
131	एस.पी.पाण्डे	जिला प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग जिला पंचायत कोरबा	9425549178	
132	समीर तर्की	जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम कोरबा	79998187501	
133	एच.के. कश्यप	जिला परिवहन अधिकारी कोरबा	8720841444	
134	एम.एस. कंवर	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	8463077267	227875
135	शंभूनाथ गुप्ता	जिला विपणन अधिकारी कोरबा	9300621181	245320
136	सुशील जोशी	नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. कोरबा	7898001828	
137	बी.एन. विश्वास	मुख्य अभियंता, सीएसईबी उत्पादन कोरबा पश्चिम	9479119001	
सार्वजनिक उपक्रम				
138	अमित कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक एन.टी.पी.सी. कोरबा	9425538276	
139	सुनित कुमार	डिप्टी मेनेजर एनटीपीसी कोरबा	9425219049	
140	श्री विकास शर्मा	महाप्रबंधक बालको		
141	श्री यू.के. सिंह	महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुंडा	9425533001	271143
142	श्री जे.पी. द्विवेदी	महाप्रबंधक एसईसीएल कोरबा	9425533101	221041

143	श्री बी.के.चन्दोरा	महाप्रबंधक एसईसीएल दीपका	9425534030	239011
144	श्री एस.के.पाल	महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा	9425534001	275430
महिला एवं बाल विकास विभाग				
145	आनंद प्रकाश क्रिसपोट्टा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, म. बा.वि.वि	9425251742	
146	आदित्या शर्मा	सहा.संचा.महिला एवं बाल विकास विभाग	9174745247	
147	विकास सिंह	परियोजना अधिकारी कोरबा ग्रामीण	9981343214	
148	मनोज अग्रवाल	परियोजना अधिकारी कोरबा शहरी	9753386448	
149	उमाशंकर अनंत	परियोजना अधिकारी कटघोरा	8770718004	
150	डॉ. विद्यानंद बोरकर	परियोजना अधिकारी करतला	8349866831	
151	ज्योति तिवारी	परियोजना अधिकारी बरपाली	9827994764	
152	गजेन्द्र देव सिंह	परियोजना अधिकारी पाली	9424150319	
153	मो. अहमद	परियोजना अधिकारी पोडीउपरोडा	9644664262	
154	कुर्दला खाखा	परियोजना अधिकारी चोटिया	9406272488	
155	रीना बाजपेयी	परियोजना अधिकारी पसान	7869433574	
शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य				
156	डॉ. एम.एल. अग्रवाल	इंजिनियरिंग कॉलेज कोरबा	7415367124	
157	जी.एल. सोनकर	प्रभारी प्राचार्य, इंजिनियरिंग कॉलेज कोरबा	9893905053	
158	आर.के. सक्सेना	पी.जी. कॉलेज कोरबा	9425547200	
159	डॉ. तारा शर्मा	मिनीमाता शा. कन्या कॉलेज कोरबा	9425540532	
160	डॉ. एस.के. अग्रवाल	शा. मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय कटघोरा	9425546746	
161	डॉ. एच.पी. खैरवार	शा. महाविद्यालय भैंसमा	9406322763	
162	डॉ. शिखा शर्मा	शा. महाविद्यालय दीपका	9406035998 8435575187	
163	डॉ. एल.एन. कंवर	शा. महाविद्यालय करतला	9425539509	
164	रंजना नाथ	शा. महाविद्यालय बरपाली	9827196196 7000065403	
165	डॉ. शीला प्रभा मिश्रा	शा. महाविद्यालय पाली	9755177128 9425227782	
166	टी.डी. वैष्णव	शा. ग्राम्य भारती महा. हरदीबाजार	7879928558	
167	पटेल	शा. पालिटेक्निक कोरबा	9907128214	

168	प्रसाद	प्राचार्य डाईट कोरबा	8461060156	
169	जे.के कौर	कमला नेहरू महा. कोरबा	9826540208	
170	डॉ.वाई के. सिंह	श्री अग्रसेन महा. कोरबा	9893384573	
171	डॉ. एडलिन रोज	मार्डन कॉलेज कोरबा	7809115529 9302184783	
172	राजेश अग्रवाल	कोरबा कम्प्यूटर कॉलेज कोरबा	9907119500	
173	डॉ. पी. एल. आदिले	जय बुढादेव महाविद्यालय कटघोरा	9893489186 9300032801	
174	एच.के. पासवान	ज्योति भूषण विधि महा. कोरबा	9039957375	
175	सुनीता साहू	माताकर्मा महा. कुसमुण्डा	7587705595	
176	आर.के. पाण्डेय	बिसाहू दास मंहत महा. पाली	9424171163	

जिला स्तरीय रेपिड रिस्पांस टीम – जिला कोरबा छ.ग.			
क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल कमांक
1	डॉ. पी.एस. सिसोदिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	9425548449
2	डॉ. आर. के. अग्रवाल	जिला नोडल अधिकारी (आईडीएसपी एवं एनव्हीबीडीसीपी)	9691464400
3	डॉ. जी.एस. जात्रा	चिकित्सा अधिकारी – पैथोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय कोरबा	9406008183
4	श्री आर.आर. देवांगन	खाद्य सुरक्षा अधिकारी – खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरबा	8878008285
5	श्री हर्ष कवीर	सहायक अभियंता – लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी खण्ड कोरबा, जिला कोरबा	7089331838
6	डॉ. सोहम गुर्जर	पशु चिकित्सक सहायक शल्यज्ञ, चलिष्णु इकाई कोरबा	8889319279
7	प्रतिमा साहू	लैब टेक्नीशियन – एनसीडी क्लीनिक, जिला चिकित्सालय कोरबा	8770808635
कॉम्बेट टीम – जिला कोरबा छ.ग.			
विकासखण्ड कोरबा जिला कोरबा छ.ग.			
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा			
1	डॉ. दीपक सिंह राज	बी.एम.ओ.	9926133477
2	श्रीमती गीतिका राठौर	आर.एम.ए	7898623923
3	श्रीमती शीतल तिग्गा	स्टॉफनर्स	8866978795

4	ज्योति खाकसे	फार्मासिस्ट	8435552691
5	श्री इंद्रजीत सिंह	ड्रेसर	9926112048
6	धारा सिंह	आर.एच.ओ	7617312857
7	श्री द्वासराम	वाटरमेन	8959177023
8	डॉ. टी. सिंह	चिकित्सा अधिकारी	9165532708
9	श्रीमती पार्वती श्रीवास	आर.एम.ए	8103603940
10	श्रीमती एम. अग्रवाल	बी.ई.टी.ओ.	9977048722
11	श्री टकेश्वर सिंह पुलस्त	लैब टेक्नीशियन	7828160875
12	कु. हेमपुष्पा चौहान	स्टॉफनर्स	8461983112
13	श्री परमेश्वर पटेल	आयुष फार्मासिस्ट	9098118535
14	पी.डी तिर्की	सुपरवाइजर	9630814458
15	श्री लाला प्रसाद चौहान	वाहन चालक	9827104696

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसमा

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. प्रेमप्रकाश अमरदीप तिर्की	होम्यो. चिकित्सा अधिकारी	9009748071
2	श्री ओमप्रकाश माण्डले	ए.एम.ओ.	8959168577
3	श्रीमती शबाना अंजुम	ए.एम.ओ.	9907991952
4	श्री गोवर्धन कंवर	फार्मासिस्ट	7828656664
5	कु. सरिता लहरे	स्टॉफनर्स	9753214777
6	श्री एस.के. गुप्ता	लैब टेक्नीशियन	8269690781
7	श्री अमृत टोप्पो	पर्यवेक्षक	8461973169
8	कु. रमशीला कुर्रे	आर.एच.ओ. (महिला)	9753875830
9	श्री अनुराग कंवर	आर.एच.ओ.	7697775203
10	कु. सुनिता सोनवानी	ए.एन.एम	9685559871
11	श्री जयप्रकाश ओगरे	पु.स्वा.कार्यकर्ता	9827288670
12	श्री अमजद खान	पु.स्वा.कार्य.	9691679420
13	कु. निर्मल जायसवाल	स्टॉफनर्स	8085468116
14	कु. धनेश्वरी साहू	आर.एच.ओ. (महिला)	8224810864
15	कु. बेबी शोभा बर्मन	आर.एच.ओ. (महिला)	9926945565
16	कु. प्रियंका बारसागढे	आर.एच.ओ. (महिला)	9770890165
17	श्रीमती प्रियंका साहू	वार्डआया	9575489424
18	श्री फिरतू यादव	भृत्य	8821994172

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पताढी

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्रीमति चंचल कौशिक	ए.एम.ओ.	9340061418
2	श्रीमती रजनी कटकवार	ए.एम.ओ.	9926174290
3	श्री हरप्रसाद	नेत्र सहायक अधिकारी	7587137939
4	श्रीमति शांति कसिसिया	एल.एच.व्ही.	8319644103
5	ललीता कंवर	स्टॉफनर्स	7987240612
6	श्रीमती गायत्री साहू	आर.एच.ओ. (महिला)	9617493898

7	श्रीमती सिम्मी जान	आर.एच.ओ. (महिला)	8120606575
8	श्रीमती संतोषी लहरे	आर.एच.ओ. (महिला)	8435981658
9	श्रीमति रेखा निम्बालकर	आर.एच.ओ. (महिला)	9753213416
10	श्री गोर्वधन प्रसाद कैवर्त	पु.स्वा.कार्यकर्ता	9669815058
11	रुबीना दास	स्टॉफनर्स	9589478392
12	कु. शशी	आर.एच.ओ. (महिला)	8518041700

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलकेजा

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्रीमति मिथलेश माण्डले	ए.एम.ओ.	9644778274
2	श्री लाल जी श्रीवास	ए.एम.ओ.	9926174262
3	श्री छवीकांत कौशिक	सेक्टर सुपरवाइजर	9589190705
4	श्री नरेश कुमार साहू	लैब टेक्नीशियन	9179163220
5	कु. भारती स्वरूपा	स्टॉफनर्स	9165368895
6	श्री संतोष कुमार कंवर	आयुष फॉर्मासिस्ट	9406435084
7	कु. सोनिया सुनहरे	आर.एच.ओ. (महिला)	9907834757
8	श्रीमती आशा चन्द्रा	आर.एच.ओ. (महिला)	9753068151
9	कु. शारदा कंवर	ए.एन.एम	8461038567
10	कु. सावित्री दिवाकर	आर.एच.ओ. (महिला)	8463870578
11	श्रीमती मनोरमा बंधोर	आर.एच.ओ. (महिला)	9329486711
12	श्री उदयभान पटेल	पु.स्वा.कार्यकर्ता	7697805582
13	श्रीमती हेमलता लकरा	वार्डआया	9617717304
14	श्रीमति पुष्पा कंवर	एम.टी.	9340420046
15	दुलेरिन	थमतानिन	9179392479

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरकोमा

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. जी.पी.नेताम	आयु.चिकि. अधि.	9165686875
2	श्रीमति भावना राठिया	ए.एम.ओ.	9669966605
3	श्री भीष्म कुमार राठिया	सुपरवाइजर	8889780253
4	श्री हरी सिंह कंवर	लैब टेक्नी.	9977675409
5	कु. प्रीति ढहरिया	आर.एच.ओ. (महिला)	9826468242
6	शशी कुमारी कंवर	आर.एच.ओ. (महिला)	8889306280
7	श्रीमती निर्मला साहू	आर.एच.ओ. (महिला)	8889728054
8	दिलीप शास्वत	ए.एम.ओ.	9770193703
9	श्री राहुल दत्ता	सहायक ग्रेड-3	9713219338
10	श्री रमेश दास	आर.एच.ओ.	9165914032
11	श्रीमती सावित्री तिवारी	आर.एच.ओ. (महिला)	6260534334
12	श्रीमती लता राठौर	आर.एच.ओ. (महिला)	9827975419
13	श्रीमति चम्पा यादव	आर.एच.ओ. (महिला)	8225923736

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अजगरबहार

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. दिनेश कुमार धनगर	आयुष चिकि.अधिकारी	9977501922
2	श्रीमती विम्लेश्वरी लहरे	ए.एम.ओ.	7389406222
3	श्री राजेश जायसवाल	ए.एम.ओ.	9754357671
4	श्रीमती प्रीति सोनवानी	स्टॉफनर्स	8085963110
5	श्री रविन्द्र जय कंवर	फार्मासिस्ट	8889600000
6	श्री राजकुमार श्रीवास	पु.स्वा.कार्यकर्ता	9479114553
7	श्रीमती कलावती कंवर	ए.एन.एम	9907462986
8	श्री सोमनाथ साहू	आर.एच.ओ. (पुरुष)	9827107526
9	श्रीमती रूखमणी यादव	ए.एन.एम	9770605260
10	कु. पद्मनी कंवर	ए.एन.एम	8435992010
11	कु. सुनिता पाटले	ए.एन.एम	7909305017
12	श्री भाष्करकुमार साहू	पु.स्वा.कार्यकर्ता	9993521459
13	श्रीमति क्रांति नौरंगे	ए.एन.एम	7725067472
14	राजेश चंद्रा	वार्ड आया	9826119438

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेमरु

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. बंसीधर नायक	आयु.चिकि.अधि.	7828513108
2	श्री मनीष सिंह	फार्मासिस्ट	9425548779
3	श्रीमती शीला कोरी	ए.एन.एम	9479153534
4	कु. सुमन सिदार	ए.एन.एम	7879630872
5	श्रीमती सरिता कंवर	ए.एन.एम	9827887245
6	श्री लेखराम गौतम	ए.एम.ओ.	9425548779
7	श्री के.जी. गोस्वामी	सुपरवाइजर	8517923843
8	चिंता सिंह कंवर	फार्मासिस्ट	9406473085
9	श्री किशोर कुमार केंवट	पु.स्वा.कार्य	9407682143
10	सुनिता कुमारी कश्यप	आर.एच.ओ. (महिला)	946056463
11	कु. भारती यादव	ए.एन.एम	7909305133
12	श्री प्रवीण कुमार मिल्टन	ड्रेसर	9039231158
13	कु. केरोलीना टोप्पो	वार्डआया	8103164641

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुदमुरा

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री रामध्वज राजवाडे	ए.एम.ओ.	8103456508
2	कु. कपिला राठिया	ए.एम.ओ.	9826663427
3	कु. निमन झरिया खाखा	स्टॉफनर्स	9827934933
4	श्रीमती वंदना एक्का	नेत्र सहायक अधिकारी	7898352340
5	श्री आर.एन.सिंह	सुपरवाइजर	9009918804
6	श्रीमति नीलिमा तिकी	एल.एच.व्ही.	8964865401
7	कु. मोजेस्ता लकडा	ए.एन.एम	9098135118

8	श्रीमती रूखमणी जाटवर	ए.एन.एम	9669857085
9	श्रीमति इंदु यादव	ए.एन.एम	9977982134
10	श्रीमती अमला मेहरा	ए.एन.एम	9617958086
11	श्री देव विकास दीवान	एम.पी.डब्ल्यू.	8120771527
12	श्री संतोष कुमार बंजारे	आर.एच.ओ. (पुरुष)	7747969887
13	कु. हेमलता.बिज्ञवार	आर.एच.ओ. (महिला)	8461871080
14	श्री परदेशी राम सारथी	आर.एच.ओ. (पुरुष)	8349975177
15	कु. उर्मिला कंवर	ए.एन.एम	8461924323
16	श्रीमती अश्वनी साहू	महिला अटेंडेंट	8878737580
17	श्री क्रांति कुमार बनर्जी	वार्डवॉय	9753434758

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यांग

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. राजेश गवेल	आयु.चिकि. अधि.	8839475967
2	श्री ओम प्रकाश धृतलहरे	सहायक चिकि. अधिकारी	9827175508
3	राजु कंवर	आर.एच.ओ. (पुरुष)	7879617058
4	अमर कंवर	आर.एच.ओ. (पुरुष)	8720822629
5	कु. संतोषी पैकरा	आर.एच.ओ. (महिला)	7489394314
6	कु. बेबी शबनम	आर.एच.ओ. (महिला)	9691540796
7	श्रीमती हेमकंवर	आर.एच.ओ. (महिला)	8889385493
8	श्री जितेन्द्र रक्षित	वार्डवॉय	9977840106
9	कु. सविता मंहत	आर.एच.ओ. (महिला)	9926963125
10	श्रीमती दिव्या पटेल	आर.एच.ओ. (महिला)	7089027970
11	श्रीमती सरिता कंवर	आर.एच.ओ. (महिला)	8889707926
12	श्रीमति अबला अगरिहा	एम.टी.	8462946334
13	श्रीमति गीता मिंज	एम.टी.	8305615394
14	श्रीमति नान कुमारी	एम.टी.	8959430184

विकासखण्ड कटघोरा जिला कोरबा छ.ग.

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. आर.पी. सिंह	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	9926172819
2	श्री पी. आर. साहू	बी.ई.ई.	9300842482
3	श्री जगन्निथिया जायसवाल	एम.पी.डबल्यू.	9993805637
4	श्री गोविन्द सिंह मरकाम	वॉर्डवाय	9009829274
5	श्री यशवंत सावडे	ड्राईवर	9575502370

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दीपका

1	डॉ. हरि प्रकाश कंवर	चिकित्सा अधिकारी	8109667795
2	श्री मुरली मनोहर साहू	फार्मासिस्ट	9691055701
3	श्रीमती हेमलता तिग्गा	एल.एच.बी.	9907639829
4	श्रीमती आरती साहू	स्टॉफ नर्स	7509392096
5	श्री श्रवण कुमार प्रजापति	एम.पी.डब्ल्यू.	9179845489

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छूरी			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. एस.आर. सिरसो	चिकित्सा अधिकारी	9424149996
2	कु. एन्जील रोज खेज	स्टाफ नर्स	9630746546
3	श्री अनिल पटेल	एम.पी.डबल्लु.	9907901509
4	श्री अरुण केशरवानी	वॉर्डवाय	9981208829
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांकीमोंगरा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. आर.एस. कंवर	चिकित्सा अधिकारी	9329474040
2	प्रेरणा गर्ग	आर.एम.ए.	9685424813
3	जी.आर.बरेठ	सुपरवाइजर (सुराकछार)	9179871732
4	शिवशंकर कंवर	लेब टेक्नीशियन	9584074591
5	सुनीता कर्ष	एएनएम	7828289893
6	श्रीमती आकांक्षा रंजन	स्टॉफ नर्स	8435529219
7	श्री कन्ट्रोल कुमार साहू	फार्मासिस्ट	9827958381
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकाबुड़ा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. कदम	चिकित्सा अधिकारी	9479251120
2	श्री चंद्रपाल सिंह	आर.एम.ए.	9098280476
3	श्रीमती सुनीता नाग	एल.एच.व्ही.	8964924390
4	कु. संतोषी कश्यप	ए.एन.एम.	7869223970
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिलाईबाजार			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. पी.एस. कंवर	चिकित्सा अधिकारी	7898189030
2	डॉ. अलोक तिवारी	चिकित्सा अधिकारी	9109542450
3	श्री राजकुमार यादव	आर.एम.ए.	8823832070
4	श्री एस. सिदार	सुपरवाइजर	9644832793
5	श्री एस.के. कश्यप	ड्रेसर	9098083059
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रंजना			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. दिनेश कुमार चौहान	चिकित्सा अधिकारी	9827108025
2	डॉ. सरोज पंडा	चिकित्सा अधिकारी	9826822621
3	श्री के.के. जायसवाल	आर.एम.ए.	9926909935
4	श्रीमती शीतल निराला	स्टाफ नर्स	9691408227
5	श्रीमती जितेन्द्र कुमारी वैष्णव	एएनएम	8959176705
विकासखण्ड पाली जिला कोरबा छ.ग.			
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली			

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. सी.एल रात्रे	बी.एम.ओ.	9425393176
2	डॉ. अनिल शराफ	एम.ओ.	7869450019
3	श्री एस.एस.अली	बी.ई.ई.	9425535785
4	श्रीमति पूर्णिमा लाल	स्टाफ नर्स	9424150104
5	श्रीमति रीता गुप्ता	स्टाफ नर्स	8817525777
6	श्रीमति आभा टाडगर	स्टाफ नर्स	7987512490
7	श्री प्रभात सिंह ठाकुर	लेब टेक्नीशियन	9303671706
8	श्री आर.के. ध्रुव	लेब टेक्नीशियन	9770810910
9	श्री एस.आर.डिक्सेना	कम्पाउंडर	9406392264
10	श्री मानिकलाल डिक्सेना	वार्ड ब्वाय	9406214754

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाफा बी

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. राजकिरण शर्मा	एस.एम.ओ.	9406409026
2	श्रीमति रेखा चौहान	एल.एच.व्ही.	9098971634
3	श्री महावीर राज	सुपरबाईजर	9926775353
4	श्री कुलदीप राजपुत	एम.पी.डब्ल्यू.	9753987215
5	श्रीमति प्रेमा जगत	ए.एन.एम.	8976083543

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाफा ए

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. राजकिरण शर्मा	एस.एम.ओ.	9406409026
2	श्रीमति शंटी राजेश	स्टाफ नर्स	7828687583
3	श्रीमति रेखा चौहान	एल.एच.व्ही.	9098971634
4	श्री जी.सी.कश्यप	एम.पी.डब्ल्यू.	9406084485

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबी

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्रीमति माधुरी आदित्य	ए.एम.ओ.	9893616658
2	श्री दिनेश राठौर	सुपरबाईजर	8817677479
3	कु.ललिता पाटले	एएनएम	8349868963
4	श्री दिवाकर ध्रुवे	एम.पी.डब्ल्यू.	9669474264
5	कु. नेहा खरे	वार्ड आया	9617254388

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरदीबाजार

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. ए.एन. कंवर	एस.एम.ओ.	9827941222
2	श्री युधेश कुमार सांडे	ए.एम.ओ.	9827474760
3	श्री पी.सी. पात्रे	फार्मासिस्ट	9826938929
4	श्री राजेश कौशिक	एल.टी.	9685383813
5	श्रीमति एम.बी. शेखर	स्टाफ नर्स	9977840117

6	श्री अर्जूनलाल यादव	वार्ड ब्वाय	9770882483
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सपलवा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	ए.एम.ओ.	9907598283
2	श्रीमति प्रीयका श्रीवास्तव	ए.एम.ओ.	9617775247
3	डॉ. गौरी शंकर साहू	ए.एम.ओ.	9826680902
4	श्री जी.पी. सिंगरौल	सुपरबाईजर	9754578167
5	श्रीमति भारती रात्रे	आयुष फार्मासिस्ट	8719825710
6	श्री पुरन लाल खुंटे	एम.पी.डब्ल्यू	9669544916
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरदा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री भावनीलाल थावईत	ए.एम.ओ.	9926177743
2	कु. मीनाक्षी राठौर	ए.एम.ओ.	7898597239
3	श्रीमती स्नेहा मंहत	स्टाफ नर्स	7582954641
4	श्री आर.पी. साहू	ड्रेसर	9752167299
5	श्री विमल कुमार सिंह	एम.पी.डब्ल्यू	9009551665
6	श्री मधुरलाल	वार्ड ब्वाय	9179990544
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चैतमा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. सी.एस. कंवर	एम.ओ.	9301283208
2	श्री लक्ष्मी शरण यादव	ए.एम.ओ.	8878755006
3	श्रीमती प्रभा राठौर	ए.एम.ओ.	9479026908
4	कुमारी खुशबू प्रधान	स्टॉफ नर्स	9685605726
5	श्री कुलेश्वर सिंह पैकरा	एल.टी.	9691583513
6	श्री पी.के.कश्यप	एम.पी.डब्ल्यू	9300938037
विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग.			
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – पोड़ी उपरोड़ा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. दीपक सिंह	चिकित्सा अधिकारी	8817580950
2	डॉ. लाल भैरव प्रताप सिंह	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	9575557849
3	डॉ. चन्द्र किरण सिंह	चिकित्सा अधिकारी	9300624470
4	डॉ. राकेश सिंह	चिकित्सा अधिकारी	9713636955
5	डॉ. उमाशंकर सिंह	चिकित्सा अधिकारी	9691374130
6	डॉ. अविनाश कश्यप	चिकित्सा अधिकारी	7000720121
7	डॉ. सास्वत व्यवहार	ए.एम.ओ.	9406225804
8	श्री अशोक मिश्रा	फार्मासिस्ट	9406008182
9	श्री डी.आर. साहू	सेक्टर सुपरवाइजर	9993321998
10	श्रीमति एस. झारिया	एल.एच.व्ही.	7089851850

11	श्री विरेन्द्र सिंह	लैब टेक्निशियन	9754373329
12	श्री बसन्त शुक्ला	ड्रेसर	9479213717
13	श्रीमति सुनीता भगत	स्टॉफ नर्स	7879203243
14	श्रीमति सुनीता भगत	स्टॉफ नर्स	7879203246
15	कु. अर्चना सिंह	स्टॉफ नर्स	9131529441
16	कु. शिवकुमारी खैरवार	स्टॉफ नर्स	9691128112
17	कु. सोनम टोप्पो	स्टॉफ नर्स	9098155454
18	कु. पूर्णिमा खुंटे	स्टॉफ नर्स	8085831531
19	कु. पद्मा भारती	स्टॉफ नर्स	9754877174
20	कु. अंजली किस्पोट्टा	स्टॉफ नर्स	7999925493
21	श्री मोतीलाल नेताम	स्टॉफ नर्स	9713870419
22	कु. रामेश्वरी नाग	ए.एन.एम.	9479241606
23	श्री मनहरण लाल	स्वच्छक	9406210085
24	श्री सतीष सिंह	वाहन चालक	9407738864

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – जटगा

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. कैलाष पाण्डेय	आयुष चिकित्सा अधिकारी	8720018954
2	श्रीमति ममता कांत जाटवर	सहायक चिकित्सा अधिकारी	7089533423
3	श्री प्रवीण प्रसाद	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9584410480
4	श्री सुरतराम अरगल	सेक्टर सुपरवाइजर	7354438846
5	श्री शिव कुमार कश्यप	फार्मासिस्ट	9981922091
6	श्री परदेशी राम रात्रे	ड्रेसर	9993586685
7	श्री अजय कुमार कुर्रे	लैब टेक्निशियन	9098151985
8	कु. सावित्री जाटवर	ए.एन.एम.	9993586685
9	कु. हीरा कुमारी	स्टॉफ नर्स	9589356432
10	श्री दिग्पाल दास वैष्णव	वार्ड बॉय	9630814792

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – पसान

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. दुष्यंत कश्यप	चिकित्सा अधिकारी	9907901469
2	श्रीमति एस. विश्वास	एल.एच.व्ही.	8120780477
3	श्री दिवाकर राव भोसले	एल.टी.	8120950304
4	कु. वर्षा यादव	स्टॉफ नर्स	9179198501
5	श्रीमति बीना गुप्ता	ए.एन.एम.	7587853905
6	श्री रामेश्वर सिंह कवंर	वार्ड बॉय	9981368347

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सिरमिना

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. सुनील पाटक	आयुष चिकित्सा अधिकारी	8889329753
2	श्री किस्मत सिंह राठिया	सेक्टर सुपरवाइजर	.
3	श्री अजित एक्का	एम.पी.डब्ल्यू	9617829701
4	कु. सरिता पाण्डेय	स्टॉफ नर्स	9926401047

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – तुमान			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री पीयुष पालिया	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9630208600
2	श्रीमति मधु पालिया	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9755788336
3	श्री कमलेश जायसवाल	सेक्टर सुपरवाइजर	9713579139
4	श्रीमति लक्ष्मी सोरी	एल.एच.व्ही.	9179253842
5	कु. निलेश्वरी खुंटे	स्टॉफ नर्स	8085245191
6	श्री अरुण चौधरी	वार्ड बॉय	9993191074
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – कटोरी नगोई			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री लखनलाल	सहायक चिकित्सा अधिकारी	7611110450
2	श्रीमति सरिता राय यादव	सहायक चिकित्सा अधिकारी	7241168600
3	श्री पंकज जोशी	एम.पी.डब्ल्यू.	9111311454
4	कु. सहोद्रा पोर्ते	ए.एन.एम.	7089071577
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – मोरगा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री अतुल सिंह	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9516340661
2	डॉ. रमापति तिवारी	आयुष चिकित्सा अधिकारी	9893488488
3	श्रीमति आर.एन. बघेल	एल.एच.व्ही.	9009339142
4	श्री ए.एस. राम	सेक्टर सुपरवाइजर	7354021254
5	श्री आर. के. इन्दवार	ड्रेसर	9753680914
6	श्री पीटर रॉय	एल.टी.	7587313698
7	कु. आशा चन्द्रा	स्टॉफ नर्स	7747806259
8	श्री वृन्दावन शर्मा	स्वच्छक	7770861870
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – माचाडोली			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री शिवकुमार मांझी	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9669505238
2	डॉ. सदानन्द गिरि	आयुष चिकित्सा अधिकारी	7587037320
3	श्रीमति मंजूषा सिंह	सहायक चिकित्सा अधिकारी	8319697626
4	श्री अभिषेक लहरे	एम.पी.डब्ल्यू.	7828813672
5	कु. रबीका मसीह	स्टॉफ नर्स	8965048960
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – कोरबी			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. हृषिकेश नायक	आयुष चिकित्सा अधिकारी	8889508980
2	श्री अवधेश कुमार	सेक्टर सुपरवाइजर	7354460575
3	श्री भरतलाल कश्यप	फार्मासिस्ट	7869097756
4	कु. ईजहार बेगम	ए.एन.एम.	8889590790
5	श्री संतोष तिकी	वार्ड बॉय	9926752921

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – पिपरिया			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	कु. रेणु साहू	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9826777918
2	डॉ. संतोष कुमार पसायत	आयुष चिकित्सा अधिकारी	9407643436
3	श्रीमति आर.सोना	एल.एच.व्ही.	9630255094
4	कु. निशा बरेठ	स्टॉफ नर्स	9644988289
5	श्री एच.आर.चन्द्रा	स्वा.सहा.	9754936430
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – महोरा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ गजराज सिंह	चिकित्सा अधिकारी	9406354438
2	डॉ. डी.एन. पटेल	आयुष चिकित्सा अधिकारी	8966090322
3	श्री विजय बघेल	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9993974567
4	श्री संतोष मरावी	सेक्टर सुपरवाइजर	9165177007
5	श्रीमति सी. बघेल	एल.एच.व्ही.	9009840227
6	श्री सी. आर. धृतलहरे	नेत्र सहायक	9826435261
7	श्री गौकरण सिंह	एल.टी.	9977818593
8	कु. संगीता खुशू तिर्की	स्टॉफ नर्स	7354739131
9	श्री विजय कुमार यादव	एम.पी.डब्ल्यू	9981159267
10	कु. कौषिल्या साहू	ए.एन.एम.	9691715780
11	श्री नीलाम्बर प्रसाद केवर्त्य	वार्ड बॉय	8889375572
विकासखण्ड करतला जिला कोरबा छ.ग.			
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करतला			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. राकेश पटेल	चिकित्सा अधिकारी	9669810700
2	श्री चुरामणी पटेल	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9827105438
3	श्रीमती गायत्री पटेल	स्टाफ नर्स	
4	श्री सुरेश चंद बंजारे	सुपरबाइजर	9755974483
5	श्रीमती सुषमा सिंह	फार्मासिस्ट	8103313667
6	श्री शिव कुमार नागर्ची	एल.टी.	9907712022
7	श्री संदीप धावलकर	वर्ग 4	9589596652
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री अरविन्द भारती	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9407776951
2	श्रीमती बतिता महंत	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9009886288
3	श्रीमती राजश्री राठिया	एल.एच.व्ही.	7692002383
4	श्री बी. जाटवार	कम्पाउण्डर	9429590660
5	श्री केशव साहू	एल.टी.	9617411372
6	कु. पूनम रानी तिर्की	स्टाफ नर्स	9691909346
7	श्री लेखराम साहू	वर्ग 4	9009150558

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केराकछार			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	कु. अंजू राठौर	सहायक चिकित्सा अधिकारी	8965988185
2	श्री ईश्वर जयसवाल	सहायक चिकित्सा अधिकारी	8959806662
3	श्री पवन अनंत	सुपरवाइजर	9575570098
4	श्री विद्या प्रकाश	सुपरवाइजर	9669725405
5	श्री आर. के. दीघे	कम्पाउण्डर	9479214984
6	श्री मोतीलाल कंवर	एल.टी.	9669789667
7	श्री परमानंद चन्द्रकर	वर्ग 4	9407942929
8	श्री हरीश यादव	नेत्र सहायक	8120900411
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरगबुंदिया			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री पुर्णानंद सोनी	सहायक चिकित्सा अधिकारी	8120776736
2	श्रीमती दिप्ती डिकसेना	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9691721776
3	श्री आर.पी. दूबे	सुपरवाइजर	9826926425
4	श्री जे.आर. लदेर	एल.टी.	8103913771
5	श्री वेद प्रकाश पटेल	वार्ड व्वाय	8269962247
6	श्रीमती सुष्मिता खाखा	स्टाफ नर्स	9098118579
7	श्रीमती सुषन्ना वायलेट	एल.एच.व्ही.	9479276025
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकनीपाली			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	कृष्णा कुमार साहू	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9340061428
2	कु. श्वेता निर्मलकर	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9993208806
3	श्री राजेन्द्र पैकरा	फार्मासिस्ट	9669675587
4	श्री मनोज कंवर	वार्ड व्वाय	7974241224
5	खेम सिंह कंवर	एल.टी.	76977442720
6	अरुन्धती कंवर	स्टाफ नर्स	7697144440
7	श्री कोमलसिंह राठौर	एमपीडब्ल्यू	9301179527
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोथारी			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. पवन कुमार मिश्रा	आयुष चिकित्सा अधिकारी	8899146061
2	श्रीमती उर्मिला सिन्हा	सहायक चिकित्सा अधिकारी	8305289481
3	श्री प्रमोद जयसवाल	सहायक चिकित्सा अधिकारी	7805858017
4	श्री तेरसलाल बंजारे	एमपीडब्ल्यू	7869631803
5	श्री सुशील कुमार पैकरा	फार्मासिस्ट	9826091975
6	क. अल्पना कुजुर	स्टाफ नर्स	9174018203
7	श्री इंद्रासन चंदन	नेत्र सहायक	8103831593
8	श्री प्रमेन्द्र पैकरा	एल.टी.	8889304788
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरवानी			

क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	श्री अजय चौहान	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9927209350
2	कु. हीरोशिमा	सहायक चिकित्सा अधिकारी	8963901323
3	श्री डी.डी. कुम्भकार	सुपरवाइजर	9165349373
4	श्री रामकीर्तन कश्यप	कम्पाउण्डर	9977271273
5	श्री पदूम पटेल	वार्ड बॉय	9926734014
6	श्री तुला राम साहू	एल.टी.	7089641398
7	कु. राजेश्वरी ठाकुर	स्टाफ नर्स	9752888097
8	मनोज कुमार महंत	नेत्र सहायक	9770138473
9	श्री गणेश राम कुर्मी	ड्रेसर	9893662093
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसवानी			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	शिव कुमार बांधेकर	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9827952433
2	श्रीमती ज्योति राठौर	सहायक चिकित्सा अधिकारी	9179116475
3	गनपत कवंर	सुपरवाइजर	9617878819
4	श्री रामगोपाल	एल.टी.	8109712582
5	कविता साहू	स्टाफ नर्स	9179605084
6	श्री कोमलसिंह मरावी	वार्ड बॉय	9754816863
7	कु. मीना कंसारी	एएनएम	9165807997
खण्ड स्तरीय विकासखण्ड करतला			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. कुमार पुष्पेश	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	8109799954
2	डॉ. नोमिता सिंह	स्त्री रोग विशेषज्ञ	9406262250
3	श्री बी.के. पुलस्त	बीईईओ	9424170684
4	श्री बी.पी. बघेल	बीपीएम	9406395031
5	श्री विनेन्द्र सिंह पहिलांगे	फार्मासिस्ट	9907904283
6	संदीप धवलकर	वर्ग 4	9589596652
7	श्री बहोरन प्रसाद कैवर्त	वाहन चालक	8817158515
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढोढीपारा			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. दीप्ती सिंह राज	चिकित्सा अधिकारी	7772899900
2	चन्द्रशेखर नागर्ची	सुपरवाइजर (दादरखुर्द)	8103849194
3	डी.पी.एस. सोलंकी	सुपरवाइजर (बाल्को)	8109777935
4	नंदलाल पैकरा	सुपरवाइजर (पंपहाउस)	9479034312
5	मालारानी डे	सुपरवाइजर (सीतामढी)	9039149694
6	डी. केरकेट्टा	सुपरवाइजर (रामसागरपारा)	9827461828
7	एकता कटकवार	फार्मासिस्ट	9753957555
8	रेशम कंवर	लेब टेक्नीशियन	9827027829
9	कृष्ण कुमार सोनी	क्लर्क	9981910438

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालपुर			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. सागर आनंद	चिकित्सा अधिकारी	9827175969
2	श्रीमती रीता गुप्ता	सुपरवाइजर (गोपालपुर)	7000443019
3	श्री के.पी. सिंह	सुपरवाइजर (दर्री)	9993522251
4	आर. मसीह	सुपरवाइजर (जमनीपाली)	9009840346
5	उमेश सोनी	फार्मासिस्ट	9479029040
6	ए. जयाम्मा	स्टाफ नर्स	7587352034
7	सीमा जात्रा	स्टाफ नर्स	8827138150
8	हेमंत श्रीवास	वर्ग 4	9827941334
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटाईनार			
क्रं .	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल क्रमांक
1	डॉ. समरेश बोस	चिकित्सा अधिकारी	9425539185
2	डॉ. नेहा पाण्डेय	चिकित्सा अधिकारी	7898692244
3	श्रीमती एस. हलधर	सुपरवाइजर (घुडदेवा)	9993234281
4	श्रीमती सुषमा चंद्रा	लेब टेक्नीशियन	8103866088
5	रंजना जोशी	स्टाफ नर्स	8305993435
6	अजय	क्लर्क	9685327878
7	रामरतन	वर्ग 4	9617968662

**2.कार्यालय जिला सेनानी नगर सेना कोरबा में उपलब्ध आपदा (राहत) सामग्री
की सूची**

वर्ष 2018-19		
क्रं.	नाम सामग्री	उपलब्ध संख्या
1	2	3
1	लाइफबाय	22
2	लाईफ जैकेट पुराना	16
3	दास्ताने जोड़	2
4	कटर बोल्ट	2
5	मनीला रोप 100×2	5
6	नायलोन रोप 100×2	8
7	ट्रक ट्यूब	2
8	एल्युमीनियम सीढ़ी 20 फुट	1
9	पोर्टेबल इनफ्लेटेबल इमरजेंसी लाईट सिस्टम	2
10	टार्च लाईट	2
11	वायरलैस मेनपेक	2
12	गमबूट	28
13	बाल्टी	5
14	फावड़ा	10
15	गैती	13
16	बेलचा	3
17	तगाड़ी	8
18	चैन सा MS – 361	1
19	चैन सा MS – 180	2
20	पल पुनर HT – 75	1
21	200 ली. ड्रम	4
22	चप्पू बड़ा	4
23	चप्पू छोटा	6
24	रबर मोटर बोट विथ इंजन	2
25	इंफ्लेटेबल रेस्क्यू ब्रीफकेस	1
26	बोट ऐसेसरीज पर्सनल लाईट	12
27	बोट ट्राली	1
28	बांस बल्ली	50

29	मोबाईल टावर लाईट	1
30	सेल्फ पावर्ड सॉव फार वूड	1
31	इकलेक्ट्रीक चैन सॉ	1
32	डीस्ट्रीस सिग्नल यूनिट	1
32	रोटरी हैमर ड्रील	1
33	रोटरी हैमर ड्रील बीट	1
34	रेसीप्रोकेटिंग सॉ	1
35	रेसीप्रोकेटिंग सॉ ब्लेड बूड	1
36	रेसीप्रोकेटिंग सॉ ब्लेड मेटल	1
37	कार्डलेस हैमर ड्रील	1
38	रोप (साईज 01 इंच)	30 मीटर
39	रोप (साईज 0.5 इंच)	30 मीटर
40	बी.ए.सेट 05 कि.ग्रा.	1
41	हैमर बडा	2
42	ओ.बी.एम. स्टैण्ड रोबोटिक टाईप	1
43	बोल्ट कटर	3
44	फुल बाडी हार्नेस पी.एन. 56	1
45	सेल्फ कन्ट्रैनेड पोजिटिव प्रीसियुर ओपन क्रिक्चूट टाईप ब्रेटिंग अपोरिटिस	1
46	गैस माक्स फार वारियस आफ गैस	4
47	डिस्ट्रीस सिग्नल यूनिट	2
48	हेड्स अप लाईट	4
49	एबिकाटन ट्रिगनल	2
50	मल्टी डिटक्टर	1
51	पारा आरमिउ केरामिक पीयु कटिंग नीडल स्टीक और पुनट्रियुर रिस्टैण्ड हैंड ग्लो	4
52	30 मीटर मनीला रोप फार रैस्क्यू परपोस	2
53	लार्ज एक्स	8
54	पीक एक्स	8
55	स्पैड	8
56	सोवल्स	8
57	इमरजेंसी ड्रेगन लाईट वीडि1010	2
58	टार्च	4
59	फस्टेड बाक्स 2500 सीराइस	2
60	मोबाईलीजी पोल स्ट्रेचर	2
61	हैड टुल किट मैट्रिस और ए.एफ. 132	2
62	पावर कोड हैंड ग्लब्स	8

63	कैमटेक्स कैनवास हैंड ग्लब्स	8
----	-----------------------------	---

3 .बाढ़ बचाव प्रशिक्षित तैराक नगर सैनिकों की सूची नगर सेना कोरबा (छ0ग0) वर्ष 2018-19

क्रं.	सै0 क0	पद	नाम	मोबाईल नंबर	क्र.	सै0 क0	पद	नाम	मोबाईल नंबर
01	06	सी.एच.एम.	नकूल प्रसाद	9589851144	21	258	सैनिक	राकेश कुमार	8103380969
02	29	नायक	नारायण सिंह	8435192770	22	280	—"	पुरुषोत्तम शर्मा	9617944532
03	79	—"	जगदीश प्रसाद	8889213598	23	235	—"	दिलीप कुमार	9827942141
04	42	—"	ननकी राम	9826112503	24	210	—"	चमरू सिंह	9669023612
05	41	—"	राम कपूर	9977898772	25	262	—"	ललित कुमार	9827966807
06	120	ला0ना0	संतोष कुमार	7748840260	26	304	—"	संत कुमार	8817554088
07	145	—"	मिथिलेश कुमार	8085743263	27	170	—"	राजेश कुमार	9907123714
08	40	—"	संतोष कुमार	8085333262	28	144	—"	विकाश कुमार	9827466062
09	104	सैनिक	समार सिंह	9753274971	29	128	—"	कमलेश सिंह	8959243005
10	222	—"	राजेन्द्र कुमार	9770197935	30	274	—"	मनोज कुमार	9009885303
11	126	—"	परमेश्वर सिंह	9907094705	31	175	—"	सुधीर कुमार	9907118963
12	234	—"	अजय अमर	7566941888	32	165	—"	महेन्द्र सिंह	9826769912
13	178	—"	संतोष सोनवानी	9589926738	33	150	—"	राजेश कुमार	9754457525
14	270	—"	सुमार सिंह	9111639886	34	117	—"	पवन सिंह	9074175676
15	266	—"	मोहन सिंह	8871856439	35	215	—"	सुलेन्द्र सिंह	7697002306
16	219	—"	अनवर मोहम्मद	7415263525	36	103	—"	प्रेम सिंह	9826168945
17	151	—"	राजेश कुमार	7898090070	37	39	—"	प्रजेश कुमार	9827876401
18	200	—"	लव शर्मा	9907111142	38	01	—"	रूप नारायण	9669918245
19	231	—"	गंगा राम बंजारे	9165873955	39	143	—"	सुचिल कुमार	9907168913
20	199	—"	लोकनाथ	9827942997	40	259	—"	रामेश्वर सिंह	9669520514

